

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**
Original Application No. 1400/2024

IN THE MATTER OF:

Devendra Faujdar

...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.


...Respondent(s)

N.D.O.H. – 20.11.2025

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit on behalf of Respondent No. 3 - the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change.	1-5
2.	Annexure R3/1: A true copy of Uttar Pradesh Forest Department Report dated 11.05.2025.	6-192

THROUGH



SUHASINI SEN
(COUNSEL FOR MOEF&CC)
R289B, LGF, GREATER KAILASH I NEW
DELHI- 110048
TEL: +91-96500 96066, +91-9953049776,
suhasini@rschambers.net,
office@rschambers.net

New Delhi
Date: 05.09.2025

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN
Original Application No.1400/2024**



IN THE MATTER OF:

Devendra Faujdar

.....Applicant


VERSUS

State of Uttar Pradesh & Ors.

.....Respondent(s)

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE MINISTRY
OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE
CHANGE (RESPONDENT NO.3)**

1. I, Dr R. B. Lal S/o Shri Jhamman Lal, aged about 49 years working as Scientist 'F' in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (hereinafter referred to as MoEFCC) at Regional Office, Lucknow do hereby solemnly affirm and say on oath that, I am competent and




P

authorized to swear this affidavit for and on behalf of the Respondent No.-

3.

2. That, I have read and understood the contents of the present Affidavit, the contents thereof are true, and no part of it is false, and nothing material has been concealed therefrom.
3. That, the instant application was filed by the applicant alleging illegal felling of more than 100 trees in Magogra, Mathura district falling within the Taj Trapezium Zone. The applicant has alleged that the private respondents on account of some rivalry on 21.11.2024 had broken the wire fencing, uprooted about 100 trees and completely destroyed the orchard.
4. In this regard, it is humbly submitted that the MoEFCC deals with policy and regulatory issues at a broader level. The role of the MoEFCC is to frame policy, provide directions and guidance in an advisory capacity, as well as to provide necessary approvals under the provisions of the relevant Central Acts so far as the protection and conservation of forest, wildlife, and other environmental resources are concerned.
5. That the 'land' is a subject matter of the State Government. The forest areas and the legal boundaries thereof are determined and maintained by the concerned State Government. That being the repository of land records, the




State Government has the primary responsibility to determine the status of any parcel of land, giving due regard to gazette notifications, provisions under State and Central Acts, and concerned judgments and directions of the Hon'ble Supreme Court.

6. It is submitted that the felling of trees in non-forest land is regulated by the respective State Government /UT Administration as per the provisions of various State Acts and Rules made thereunder. Many States have specific Tree Preservation Acts / Tree Felling Acts including guidelines for regulating the felling of trees on revenue lands and penal provisions for the violations. The implementation of these rules is supervised by designated authorities in the State Government whose permission is necessary for the felling of reserved trees in Non- Forest Land, under such rules.
7. That, prior approval of the Central Government under Section 2 of the "Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam", 1980, [earlier known as the Forest (Conservation) Act, 1980] (hereinafter referred to as "**Van Adhiniyam, 1980**") is required for carrying out any non-forest activity on forest land. Any contravention of the above provision would amount to a violation of the Act, 1980 and attract the penal provisions in it.



✓

8. To ascertain the correct position and verify the facts of the matter, the MoEFCC, vide letter dated 02.04.2025, sought a factual status report from the State Government of Uttar Pradesh. In response, the Uttar Pradesh Forest Department submitted its report dated 11.05.2025. The report concludes that 41 trees were felled in the Taj Trapezium Zone area without permission. The concerned government agencies have taken punitive action by registering an FIR, issuing a Forest Offence Report, and seizing the felled timber. A copy of the report date 11.05.2025 is annexed hereto as **Annexure-1**.
9. It is humbly submitted that The Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976 came on the force on 19 November 1976, the act to provide for regulation of felling of trees and replanting of trees in Uttar Pradesh.
10. That the answering respondent per se does not have jurisdiction under the Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976. The Forest Department Government of Uttar Pradesh is the appropriate authority under this Act to look and take punitive action in the matter.
11. It is submitted that the MoEFCC has been providing technical and financial assistance besides issuing guidelines to State/UT Forest Departments regarding the protection and conservation of forests and wildlife.




✓

12. It is humbly submitted that no action of the MoEFCC is being challenged by the applicant in the present matter.

13. That, the answering respondent reserves the right to file additional information before the Hon'ble Tribunal, if required till *Pendente-lite*.


14. That, in view of the aforementioned facts and circumstances, this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to pass appropriate order(s)/directions as the Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the interest of justice.





DEPONENT

Verification

Verified at Lucknow on the 2ND Day of September, 2025, that the contents of this affidavit are true and correct to my knowledge based on the official record maintained in the daily course of its business, no part of this affidavit is false and nothing material has been concealed therefrom.

EXECUTION ADMITTED
BEFORE ME

A. K. Maurya
Advocate Notary
7, Model House, Lucknow


DEPONENT

I identify the deponent/representant who has signed/put up before me



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-को०के० 3360/6ई-2(एन०जी०टी०) दिनांक, लखनऊ, मई, 16-2025

सेवा में,

असिस्टेंट इन्स्पेक्टर,

जनरल ऑफ फॉरेस्ट (सेन्ट्रल),

भारत सरकार, रीजनल ऑफिस,

केन्द्रीय भवन, पॉचवा तल सेक्टर-एच,

अलीगंज, लखनऊ।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में ओ०ए० सं०-1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के संबंध में वांछित रिपोर्ट।

संदर्भ- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा का पत्रांक-2363/35-3 दिनांक 23.04.2025 नहोदय,

उपर्युक्त विषयगत प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23.04.2025 का कृपया अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से वाद में अवगत कराया गया है कि मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 28.02.2025 के अनुपालनार्थ संबंधित अवैध पातन प्रकरण की जांच हेतु प्रभागीय निदेशक, मथुरा की अध्यक्षता में 04 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। गठित समिति के द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं प्रकरण में कृत कानूनी कार्यवाही के अभिलेखों का परीक्षण एवं अन्य आवश्यक जांच कार्यवाही के उपरान्त प्रस्तुत जांच आख्या दिनांक 11.04.2025 के आधार पर प्रभागीय निदेशक, मथुरा कार्यालय द्वारा विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर अपने नोडल अधिकारी/वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के उपरान्त उनकी अनुमति/सहमति सहित अपने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23.04.2025 के माध्यम से विस्तृत एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु असिस्टेंट इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट (सेन्ट्रल) भारत सरकार रीजनल ऑफिस, लखनऊ को प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है।

तत्कम में यह भी अवगत कराना है कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23.04.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं अभिलेख परीक्षण हेतु पत्रावली मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा एवं सर्तकता, उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित की गयी थी, जिसके क्रम में मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा एवं सर्तकता, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा जांच आख्या का परीक्षण कर उपरोक्तानुसार क्रम में अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु पत्रावली इस कार्यालय को वापस की गयी।

अतः अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा का उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23.04.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये वांछित विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट/प्रस्ताव मय संलग्नक अनुरोध के साथ आपको प्रेषित है।

संलग्नक -1-संदर्भित पत्र दिनांक 23.04.2025

2- विस्तृत रिपोर्ट/जांच आख्या की प्रति।

भवदीय,

(पी०के० गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक कोर्टकेस

उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- / तददिनांकित।

प्रतिलिपि-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा (पर्यवेक्षक अधिकारी), एवं वन संरक्षक संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा (नोडल अधिकारी) को उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23.04.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा वन प्रभाग, मथुरा को उक्तानुसार समुचित अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पी०के० गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक कोर्टकेस,

उ०प्र०, लखनऊ।


संख्या- / तददिनांकित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा एवं सर्तकता, उ०प्र०, लखनऊ को उक्त टीप दिनांक 30.04.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(पी०के० गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक कोर्टकेस,

उ०प्र०, लखनऊ।



कोर्ट केस/महत्वपूर्ण

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जिला, आगरा।

पत्रांक 2363 /35-3 आगरा, दिनांक,

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कोर्ट केस,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।कार्यालय
मुख्य वन संरक्षक, आगरा (कोर्ट केस)
दिनांक 24.5.2025
स्वी नं. C.O. 1014.T
शाखा 28/04/2025
दिनांक

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 सं0-1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के सम्बन्ध में वॉछित रिपोर्ट।


संदर्भ :- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा का पत्रांक-3619/35-3 दिनांक 17.04.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-1400/2024 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के अनुपालनार्थ, सम्बन्धित अवैध पातन प्रकरण की जाँच हेतु प्रभागीय निदेशक, मथुरा के कार्यालय के पत्रांक 4115/35-3 दिनांक 11.03.2025 के द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा की अध्यक्षता में 04 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, गठित समिति के द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं प्रकरण में कृत कानूनी कार्यवाही के अभिलेखों का परीक्षण एवं अन्य आवश्यक जाँच कार्यवाही उपरान्त प्रस्तुत जाँच आख्या दिनांक 11.04.2025 के आधार पर प्रभागीय निदेशक, मथुरा कार्यालय द्वारा विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की गयी है।

प्रकरण में अवैध वृक्ष पातन की घटना स्थल निरीक्षण, अवैध पातित वृक्षों/झाड़ियों की पृकृति, प्रजाति, अवैध वृक्ष पातन करने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों एवं प्रकरण में अब तक कृत कानूनी कार्यवाही के सम्बन्ध में परीक्षण कर तैयार किये गये अनुदेश आलेख को नोडल अधिकारी/वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा से प्रतिहस्ताक्षरित कराने उपरान्त उनकी अनुमति/सहमति की दशा में उक्त पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के अनुपालन में प्रतिवादी सं0-7 की तरफ से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ससमय दाखिल किये जाने हेतु प्रक्रिया प्रचलित है।


तदनुसार आपका कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र से प्रकरण के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार वॉछित विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है। कृपया अपने स्तर से परीक्षणोपरान्त आख्या असिस्टेंट इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट (सेन्ट्रल) भारत सरकार, रीजनल ऑफिस, लखनऊ को प्रेषित करने का कष्ट करें।



वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा द्वारा प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो इस अनुरोध के साथ आपको प्रेषित है कि उक्त प्रस्ताव असिस्टेंट इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट (सेन्ट्रल) भारत सरकार, रीजनल ऑफिस, लखनऊ को प्रेषित करने हेतु अपने स्तर से पत्र लिखने की कृपा करें।

संलग्नक :- यथोपरि। *अनुसूचित जाति प्रतिलिपि।*

भवदीय,


(भीम सेन)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
आगरा जोन, आगरा

पत्रांक 2363 / 35-3 दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा को सूचनार्थ एवं वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा के सन्दर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


(भीम सेन)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
आगरा जोन, आगरा



कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
पत्रांक 3619 / 35-3 आगरा, दिनांक, 17 अप्रैल, 2025

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
आगरा जोन, आगरा।
विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 सं0-1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के सम्बन्ध में वॉछित रिपोर्ट।
संदर्भ :- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक File No. L-1342/UP/2025/07 Dt. 02.04.2025, एनजीटी-35/81 -2-2025 दिनांक 03.04.2025 व मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक को0के0 2698/6ई-2(एन0जी0टी0) दिनांक 17.03.2025, को0के0 2960/6ई-2 (एन0जी0टी0) दिनांक 09.04.2025 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक 2107/35-3 दिनांक 19.03.2025, 2276/35-3 दिनांक 09.04.2025, 2288/35-3 दिनांक 11.04.2025 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 3227/35-3 दिनांक 18.03.2025, 3474/35-3 दिनांक 08.04.2025 व प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा के कार्यालय का पत्रांक 4703/35-3 दिनांक 17.04.2025

महोदय,

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा के कार्यालय का पत्रांक 4703/35-3 दिनांक 17.04.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-1400/2024 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के अनुपालनार्थ, सम्बन्धित अवैध पातन प्रकरण की जांच हेतु प्रभागीय निदेशक, मथुरा के कार्यालय के पत्रांक 4115/35-3 दिनांक 11.03.2025 के द्वारा लप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा की अध्यक्षता में 04 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, गठित समिति के द्वारा स्थानीय निरीक्षण एवं प्रकरण में कृत कानूनी कार्यवाही के अभिलेखों का परीक्षण एवं अन्य आवश्यक जांच कार्यवाही उपरान्त प्रस्तुत जांच आख्या दिनांक 11.04.2025 के आधार पर प्रभागीय निदेशक, मथुरा कार्यालय द्वारा चिस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की गयी है।

प्रकरण में अवैध वृक्ष पातन की घटना स्थल निरीक्षण, अवैध पातित वृक्षों/झाड़ियों की पृकति, प्रजाति, अवैध वृक्ष पातन करने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों एवं प्रकरण में अब तक कृत कानूनी कार्यवाही के सम्बन्ध में परीक्षण कर तैयार किये गये अनुदेश आलेख को नोडल अधिकारी/वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा से प्रतिहस्ताक्षरित कराने उपरान्त उनकी अनुमति/सहमति की दशा में उक्त पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के अनुपालन में प्रतिवादी सं0-7 की तरफ से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ससमय दाखिल किये जाने हेतु प्रक्रिया प्रचलित है।

तदनुसार आपका कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र से प्रकरण के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार वॉछित विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है। कृपया अपने स्तर से परीक्षणोपरान्त आख्या असिस्टेंट इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट (सेन्ट्रल) भारत सरकार, रीजनल ऑफिस, लखनऊ को प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा द्वारा प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो अधोहस्ताक्षरी द्वारा परीक्षणोपरान्त इस अनुरोध के साथ आपको प्रेषित है कि उक्त प्रस्ताव असिस्टेंट इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट (सेन्ट्रल) भारत सरकार, रीजनल ऑफिस, लखनऊ को प्रेषित करने हेतु अपने स्तर से मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र लिखने की कृपा करें।
संलग्नक :- यथोपरि (03 प्रतियों में)।

भवदीय,

(डॉ० अनिल कुमार पटेल)

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक / 35-3 दिनांकित।


प्रतिलिपि - मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक को0के0 2960/6ई-2(एन0जी0टी0) दिनांक 09.04.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा के कार्यालय का पत्रांक 4703/35-3 दिनांक 17.04.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप पत्रावली सहित किररी भिन्न अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी को लखनऊ भेजकर कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0 लखनऊ एवं उ0प्र0 शासन से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर उपरोक्त प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही कर इस कार्यालय को शीघ्र अवगत कराना सुनिश्चित करें। इसे अति आवश्यक समझें।

(डॉ० अनिल कुमार पटेल)

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।



कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा।

पत्रांक 4703 /35-3 मथुरा, दिनांक 17/04/2025.

सेवा में,

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के सम्बन्ध में वॉछित रिपोर्ट।

सन्दर्भ:- 1-कार्यालय असिस्टेंट इस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट (सेन्ट्रल) भारत सरकार, रीजनल ऑफिस, लखनऊ का पत्रांक फाइल-L-1342/U.P./2025/07 दिनांक 28.03.2025 (संलग्न)

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-1400/2024 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के अनुपालनार्थ, सम्बन्धित अवैध पातन प्रकरण की जाँच हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 4115/35-3 दिनांक 11.03.2025 द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी मथुरा की अध्यक्षता में 04 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, गठित समिति के द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रकरण में कृत कानूनी कार्यवाही के अभिलेखों का परीक्षण एवं अन्य आवश्यक जाँच कार्यवाही उपरान्त प्रस्तुत ज्ञ आख्या दिनांक 11.04.2025 के आधार पर इस कार्यालय द्वारा विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की गयी है।

प्रकरण में अवैध वृक्ष पातन की घटना स्थल निरीक्षण, अवैध पातित वृक्षों/झाड़ियों की पृकृति, प्रजाति, अवैध पातन करने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों एवं प्रकरण में अब तक कृत कानूनी कार्यवाही के सम्बन्ध में परीक्षण कर तैयार किये गये अनुदेश आलेख को नोडल अधिकारी/वन संरक्षक आगरा वृत्त आगरा से प्रतिहस्ताक्षरित कराने उपरान्त उनकी अनुमति/सहमति दशा में उक्त पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के अनुपालन में प्रतिवादी सं0-7 की तरफ से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली में ससमय दाखिल किये जाने हेतु प्रक्रिया प्रचलित है।

तदनुसार आपका कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र से प्रकरण के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार वॉछित विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है। कृपया अपने स्तर से परीक्षणोपरान्त आख्या असिस्टेंट इस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट (सेन्ट्रल) भारत सरकार, रीजनल ऑफिस, लखनऊ को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

- 1-प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0, लखनऊ।
- 2-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक आगरा जोन, आगरा।
- 3- असिस्टेंट इस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट (सेन्ट्रल) भारत सरकार, रीजनल ऑफिस लखनऊ
- 4-उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा को यथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।



Report in matter of order dated 28.02.2025 of Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. -1400/2024

A) Background:

The Hon'ble National Green Tribunal has issued an order dated 28.02.2025 in OA 1400/2024 (Devendra Faujadar Vs. State of UP & Ors.) filed by the Petitioner Shri Devendra Faujadar. The effective portion of the order is as follows:-

"...3. Issue notice to the respondents for filing the reply by way of affidavit. Applicant is directed to serve the respondents and file the affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

4. The respondent no. 7 - Divisional Forest Officer is directed to file a comprehensive report disclosing the number and nature of trees that have been cut/uprooted and the persons responsible for the same and action taken by the forest department against them. Let this report be filed within six weeks.

5. List on 30.05.2025."


B) Details of the incident and investigation: -

A 4 member committee was formed by the order dated 11.03.2025 Of divisional director, social forestry division, Mathura under chairmanship of SDO (Forest), Mathura to comprehensively enquire into the matter and submit a report based on field investigation and documents. The committee submitted its report dated 11.04.2025 (attached as annexure no.1). Based on the report of the committee and the analysis of the facts of the case, the details of the incident and investigation are as follows:-

1. On 21.11.2024, on the basis of complaint received regarding illegal felling of trees on the spot of offence, Forest officials immediately reached the spot of reported offence viz. village Sheoba Bhag, Singapatti, Tehsil- Govardhan at around 11:40 AM.

2. Upon field investigation, it was found that on the side of the Chak Road, total 27 trees and 49 Bush had been uprooted apparently with the help of some heavy machinery/JCB. Relevant legal action including filing of Forest Offence case (H2 case no. 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024), Lodging an F.I.R. (0341/2024 dated 22.11.2024) in PS- Magorra and seizure of timber were taken and further enquiry was being conducted.

3. Meanwhile again, on 08.12.2024, on the information received from a special informant regarding illegal felling on the same spot, the Forest officials reached the incident spot in village Sheoba Bhag Singapatti on 08.12.2024 at about 08:00 A.M. and found that in addition to the trees uprooted in the earlier incident dated 21.11.2024, 14 more trees were uprooted from the side of Bamba /canal on the side of the Chak Road. Relevant legal action including filing of



Forest Offence case (H2 case no. 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024), sending Tahrir (written complain report to police) in PS- Magorra and seizure of timber were taken and further enquiry was being conducted.

3. As per investigation report of forest offence report, charge sheet filed by police in the F.I.R and report of the enquiry committee, the purpose in incidences, prima facie seemed widening / clearance of Chak road.

4. As per report of the enquiry committee,

(i) Since the land is not Forest land, hence provisions of Indian Forest Act, 1927 or Forest Conservation Act, 1980 / Van Sarankshan aur Samvardhan Adhiniyam, 2023 are not applicable.

(ii) Also, there is no mention of any evidence of violation of wildlife protection Act, 1972 in either investigation report of Forest Offence reports or charge sheet filed by the police in the Ld. ACJM-I Court, Mathura after investigation in the F.I.R. Enquiry committee also could not find any evidence of violation of Wildlife Protection Act, 1972 during its field inspection.

5. The number and nature of trees cut/ uprooted as per report of the enquiry committee is as follows:-

(A) detail of illegally felled 27 trees and 49 shrubs/ bushes on 21.11.2024 as per Forest Offence report and F.I.R. in the case :


S. No.	Name Of Species.	Girth/ Circumference in cm	Total Trees/ Shrub of the species	Nature	Whether Prohibited/ exempted under provisions of U.P. Tree Protection Act, 1976
1	Neem(Azadirachta indica)	140	9 Neem	Tree	Prohibited
2	Neem(Azadirachta indica)	60			
3	Neem(Azadirachta indica)	54			
4	Neem(Azadirachta indica)	70			
5	Neem(Azadirachta indica)	67			
6	Neem(Azadirachta indica)	53			
7	Neem(Azadirachta indica)	70			
8	Neem(Azadirachta indica)	73			
9	Neem(Azadirachta indica)	127			
10	Peepal(Ficus religiosa)	60	1 Peepal	Tree	Prohibited
11	Shisham(Dalbergia sissoo)	44	1 Sheesham	Tree	Prohibited
12	Shahtoot(Morus alba)	60	2 Shahtoot	Tree	Exempted



13	Shahtoot(<i>Morus alba</i>)	70			
14	Poplar(<i>Populus</i>)	70	6 Poplar	Tree	Exempted
15	Poplar(<i>Populus</i>)	86			
16	Poplar(<i>Populus</i>)	62			
17	Poplar(<i>Populus</i>)	57			
18	Poplar(<i>Populus</i>)	62			
19	Poplar(<i>Populus</i>)	65			
20	Jamun(<i>Syzygium cumini</i>)	50	1 Jamun	Tree	Prohibited
21	Papdi/chilbil(<i>Holoptelea integrifolia</i>)	48	1 Papdi	Tree	Exempted
22	Vilayati Babool/ <i>Prosopis juliflora</i>	35	5 Vilayati Babool	Tree	Exempted
23	Vilayati Babool/ <i>Prosopis juliflora</i>	89			
24	Vilayati Babool/ <i>Prosopis juliflora</i>	45			
25	Vilayati Babool/ <i>Prosopis juliflora</i>	60			
26	Vilayati Babool/ <i>Prosopis juliflora</i>	67			
27	Arjun(<i>Terminalia arjuna</i>)	77	1 Arjun	Tree	Prohibited
28	Nimbu(<i>Citrus limon</i>)	27	27 Nimbu	Shrub/ Bush	Exempted
29	Karonda(<i>Carissa carandas</i>)	22	22 Karonda	Shrub/ Bush	Exempted

(B) Illegally felled trees as per the second registered crime dated 08.12.2024 in the case

S. No.	Name Of Species.	Girth/ Circumference in cm	Total Trees/ Shrub of the species	Nature	Whether Prohibited/ exempted under provisions of U.P. Tree Protection Act, 1976
1	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	106	8 Neem	Tree	Prohibited
2	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	78			
3	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	108			
4	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	105			




5	Neem(Azadirachta indica)	98			
6	Neem(Azadirachta indica)	155			
7	Neem(Azadirachta indica)	120			
8	Neem(Azadirachta indica)	125			
9	Papdi/chilbil(Holoptelea integrifolia)	122	3 Papdi	Tree	Exempted
10	Papdi/chilbil(Holoptelea integrifolia)	100			
11	Papdi/chilbil(Holoptelea integrifolia)	140			
12	Vilayati Babool/ Prosopis juliflora	68	2 Vilayati Babool	Tree	Exempted
13	Vilayati Babool/ Prosopis juliflora	80			
14	Chonkar(Prosopis cineraria)	92	1 Chonkar	Tree	Exempted

Since the spot of offence falls in Taj Trapezium Zone declared by Hon'ble Supreme Court of India in W.P. 13381/1984, No Tree can be felled here without prior permission of Hon'ble Supreme court. Hence felling of **any tree** (whether Prohibited or exempted under provisions of U.P. Tree Protection Act, 1976) is illegal on the spot. Thus total of 41 trees were illegally felled in two separate events dated 21.11.2024 and 08.12.2024 on the spot. Also 49 bush/ Shrubs were cleared on the spot.

6. Immediate field investigation revealed that **the following persons were involved** in the said offence:-

1. Ravindra s/o Prem Singh R/o village Bhadar post Saukh Tehsil Govardhan
Police Station Magorra District Mathura
2. Satveer alias Satto alias Satyaprakash s/o Mukhtiyar R/o Mauja Syoba Bhag Singapatti Tehsil Govardhan District Mathura
3. Netrapal s/o Shyam Singh alias Gulab Singh R/o Mauja Syoba Bhag Singapatti Tehsil Govardhan District Mathura
4. Pushpendra s/o Netrapal R/o Mauja Syoba Bhag Singapatti Tehsil Govardhan District Mathura
5. Digambar s/o Hari Singh R/o Mauja Syoba Bhag Singapatti Tehsil Govardhan District Mathura



The involvement of the above offenders was established in the charge sheet file by police in Ld. ACJM-I court, Mathura after detailed investigation in F.I.R.(no. 341/2024, PS- Magorra). The involvement of the above offenders has also been established in complaint cases filed in Ld. ACJM-I court, Mathura by forest department in Forest Offence cases viz. H2 case no. 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024 and H2 case no. 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024.

C) Action Taken against the offenders: -

(1) After first incidence, the concerned Forest officials of Govardhan Range has lodged the Forest Offence Report (H2 CASE) No. 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024 against 05 named persons responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984. **(copy attached as enclosure no.2 of annexure no.1)**


(2) A Tehrir/written complaint was submitted by forest officials against 05 named persons responsible for the offence in the Magorra Police Station on 21.11.2024. On the basis of Tehrir, an First Information Report (FIR) No. 0341/2024 dated 22.11.2024 was registered against the 05 named persons responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984. **(copy attached as enclosure no.4 of annexure no.1)**

(3) again, on 08.12.2024, on the information received from a special informant regarding illegal felling on the same spot, forest officials issued Second Forest Offence Report (H2 Case) No. 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024 against the 05 named persons responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984. **(copy attached as enclosure no.5 of annexure no.1)**

(4) The forest officials submitted a Tehrir/Written complaint in police station Magorra on 08.12.2024 itself against 05 named responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984.

Police included the offence in their investigation which was being done in F.I.R. no. 0341/2024 dated 22.11.2024 lodged in earlier offence which has been mentioned in points F of 3, 4 and 5 in the sequence of case diary number 3 dated 09.12.2024 of crime number 0341/2024 earlier registered in the police station Magorra. **(copy attached as enclosure no.7 of annexure no.1)**

(5) In both the cases of illegal tree felling, departmental forest offence reports (H2 Case) No. 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024 and 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024



investigation was completed by the nominated investigating officer and the complaint cases have been filed in Ld. ACJM-I, Mathura. The cases are under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment. (copy attached as enclosure no.8 of annexure no.1)

(6) In relation to both the incidents of illegal tree felling that took place in the case, based on the complaints/ Tehrirs given by the forest officials in the police station Magorra on separate dates 21.11.2024 and 08.12.2024, the crime (F.I.R.) number 0341/2024 was registered and the investigation was also completed by the investigating officer and charge sheet has been filed in the Hon'ble Court of Additional Chief Judicial Magistrate First Mathura under the same sections mentioned above against the same accused mentioned in paragraph-6 of section B viz **Details of the incident and investigation** above. The case is under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment. (copy attached as enclosure no.9 of annexure no.1)

(7) The timber/firewood of all the 41 uprooted trees and of shrubs has been seized and is currently kept in the custody of the Forest department which have been verified by the enquiry committee. (copy attached as enclosure no.10 of annexure no.1)

(8) Request has been made to Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Mathura to take appropriate action under Environment Protection Act, 1986 in this matter. (copy attached as annexure no.2)


D) Conclusion: -


In light of the report submitted after field inspection by the committee constituted to enquire the matter comprehensively for compliance of the order dated 28.02.2025 of the Hon'ble NGT in the matter and analysis of the facts, it is respectfully submitted that-


1. Due punitive action has been taken by the government agencies in the matter by registering F.I.R., issuing Forest Offence Report, Seizing the felled timber.
2. The complaint cases have been filed in Hon'ble ACJM-I court, Mathura with respect to Forest offence Reports/ H 2 cases issued in the matter. The cases are under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment.
3. Charge sheet has been filed in Hon'ble ACJM-I court, Mathura with respect to F.I.R. lodged in the matter. The case is under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment.
4. Harsh Punishment in the matter will deter the offenders from repetition of the offence. Hence any other punishment which this Hon'ble court finds suitable may be given to offenders.


Range Officer,
Govardhan
Range


SDO, Mathura
Sub-division


Divisional Director,
Social Forestry
division, Mathura


वन प्ररक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा



अनुकमाणिका

क्रमांक	विवरण	संलग्नक नं०	पृष्ठ संख्या
	प्रकरण में गठित जॉच समिति की रिपोर्ट दिनांक 11.04.2025	एनेक्जर-1	7-14
1	अवैध पातन स्थल का नजरी नक्सा, फोटोग्राफ्स एवं गूगल अर्थ मैप्स	एक्लोजर-1	15-18
2	दर्ज विभागीय केस(एच-2केस) 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21.11.2024	एक्लोजर-2	19
3	अवैध पातित वृक्षों के प्रकाष्ठ की फर्द बरामदगी दिनांक 21.11.2024	एक्लोजर-3	20
4	पुलिस एफ0आई0आर0सं0-0341/2024 दिनांक 22.11.2024 थाना मर्गौरा, मथुरा	एक्लोजर-4	21-26
5	दर्ज विभागीय केस(एच-2केस) 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08.12.2024	एक्लोजर-5	27
6	अवैध पातित वृक्षों के प्रकाष्ठ की फर्द बरामदगी दिनांक 08.12.2024	एक्लोजर-6	28
7	पुलिस एफ0आई0आर0 सं0-0341/2024 में केस डायरी नं0-03 की प्रति एवं 17/गोवर्धन/2024-25	एक्लोजर-7	29-35
8	विभागीय केस (एच-2केस) 15/गोवर्धन/2024-25 में जॉच रिपोर्ट मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 प्रथम मथुरा में दाखिल चार्जशीट दिनांक 29.03.2025	एक्लोजर-8	36-93
9	पुलिस एफ0आई0आर0सं0-0341/2024 दिनांक 22.11.2024 थाना मर्गौरा, मथुरा में चार्जशीट दिनांक 02.01.2025 मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 प्रथम मथुरा में दाखिल।	एक्लोजर-9	94-181
10	अवैध पातन प्रकरण में जब्त प्रकाष्ठ का कमेटी द्वारा निरीक्षण के फोटोग्राफ्स	एक्लोजर-10	182
11	क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु पत्र	एनेक्जर-2	183



Enquiry Report of the committee constituted to enquire into matter covered in order dated 28.02.2025 in Original Application No. -1400/2024 filed in The Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi

A) Background:

The Hon'ble National Green Tribunal has issued an order dated 28.02.2025 in OA 1400/2024 (Devendra Faujadar Vs. State of UP & Ors.) filed by the Petitioner Mr. Devendra Faujdar. The effective portion of the order is as follows:-

" 1. In this original application, the applicant has alleged illegal felling of more than 100 trees in Magogra, Mathura district falling within the Taj Trapezium Zone. The applicant alleges that he is the owner of agricultural land measuring 8-10 acres, duly fenced having a garden with several mature trees including Peepal, Jamun, Lemon etc. The applicant alleges that the private respondents on account of some rivalry on 21.11.2024 had broken the wire fencing, uprooted about 100 trees and completely destroyed the orchard.


2. Learned counsel for the applicant has referred to the FIR (Annexure A-3) which contains the details of the trees that have been uprooted. He has also referred to the photographs filed collectively as Annexure A -1 Pages 24 onwards to show that the JCB was used to uproot the trees and also to demonstrate that the trees have been uprooted in the area concerned. He has also referred to the complaint (Page 87) made to the District Magistrate, giving the details of the trees which have been uprooted and submits that in the FIR the proper sections have not been included and the Forest Authorities have not taken action. He has further submitted that in respect of the uprooting of trees in Tikari Garden, Darah Ghat, Ramanreti, Vrindavan, OA No. 1246/2024 is already pending and that in Mathura the forest officers have failed to protect the trees, therefore, repeated incidents of uprooting of trees are taking place.

3. Issue notice to the respondents for filing the reply by way of affidavit. Applicant is directed to serve the respondents and file the affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

4 The respondent no. 7 - Divisional Forest Officer is directed to file a comprehensive report disclosing the number and nature of trees that have been cut/uprooted and the persons responsible for the same and action taken by the forest department against them. Let this report be filed within six weeks.

5 List on 30.05.2025."

(Handwritten signatures)



B)Details of the proceedings of the committee- In compliance with the order dated 28.02.2025 passed in the original application number 1400/2024 Devendra Faujdar vs. State of Uttar Pradesh and others filed in the Hon'ble National Green Tribunal, a committee was constituted for on-site inspection under the Direction of Sub-Divisional Forest Officer, Mathura for identification of cut/uprooted trees and bush/Shrubs vide letter number 4115/35-3 dated 11.03.2025 of the office of Divisional Director social forestry division, Mathura

1. The committee constituted in the case conducted a field inspection on 18.03.2025. During the inspection of the site of incident Khasra number 698^अ (Chak Road) Mauja Syoba Bhag Singapatti Tehsil Govardhan District Mathura, it was found that the soil from both sides of the said Chak Road has been dug out by JCB and dumped. And the Chak Road has been paved with bricks. On a thorough inspection of the pits made of soil dug out by JCB machine from both sides of the Chak Road, it was found that while digging the soil, the trees and bush/Shrubs standing on both sides of the Chak Road have been uprooted by the JCB machine. A view map of the site of incident was made on the spot and photographs were taken and the uploaded copy of the view from Google Earth timeline before the incident (copy attached as enclosure no.1)


2. After filed inspection, from perusal of documents and investigation the **Details of the incident and investigation** are as follows: -

(i) On 21.11.2024, on the basis of complaint received from the office, Forest Guard Mr. Kushalpal Singh along with Mr. Radheshyam Forest Guard reached the reported offence spot village Sheoba Bhag Singapatti at 11:40 AM and found that on the side of the Chak Road, there were 9 Neem trees with circumference 140,60,54,70,67,53,70,73,127 cm respectively, 1 Peepal tree with circumference 60 cm, 1 Sheesham tree with circumference 44 cm, 2 Mulberry trees with circumference 60 and 70 cm, 6 Poplar trees with circumference 70,86,62,57,62,65 cm respectively, 1 Jamun tree with circumference 50 cm, 1 Papadi tree with circumference 48 cm, 5 Prosopis Julliflora trees with circumference respectively 35,89,45,60,67 cm, 1 tree Arjun circumference 77 cm, total trees 27 and 27 bush/ Shrubs of Nimbu and 22 bush/Shrubs plants of Karonda were uprooted on the spot probably with the help of JCB.

(ii) Thus upon field investigation of forest officials, it was found that on the side of the Chak Road, total 27 trees and 49 Bush had been uprooted apparently with the help of some heavy machinery/JCB. Relevant legal action including filing of Forest Offence case (H2 case no. 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024) (H2 case copy attached as enclosure no.2) along with Fard recovery (copy attached as enclosure no.3) Lodging an F.I.R. (0341/2024 dated 22.11.2024) in PS- Magorra (copy attached as enclosure no.4) and seizure of timber were taken and further enquiry was being conducted.

(iii) In departmental H2 case number 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024 the investigation officer appointed was Forester Mr. Aman Chaudhary, Section Officer Chamuhan Govardhan Range. In the case, the concerned forest guard Mr. Kushalpal Singh lodged a complaint at the police station Magorra on 21.11.2024 and police registered crime

Handwritten signatures and initials.



number (FIR) 0341/2024 dated 22.11.2024. The investigation of the said crime was investigated by Mr. Ravindra Kumar Yadav, Sub Inspector, Police Station Magorra.

(iv) Meanwhile, on the information received from a special informant, the concerned Forest Guard Mr. Kushalpal Singh Govardhan Range and Mr. Radheshyam Forest Guard Govardhan Range, reached the incident spot in village Sheoba Bhag Singapatti on 08.12.2024 at about 08:00 A.M. and found that in addition to the trees uprooted earlier on the side of the Chak Road, 8 Neem trees were uprooted from the side of Bamba / (canal) respectively with circumference 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, and 125 cm, 3 trees Papadi with circumference 122, 100, 140 cm, 2 trees Prosopis Julliflora with circumference 68, 80 cm, and 1 tree Chonkar with circumference 92 cm, a total of 14 trees are uprooted on the spot. These have been uprooted probably with the help of JCB machine.

(v) A report was made on the spot in the case of felling of trees again on the side of the same incident of Chak Road situated in village Sheoba Bhag Singapatti, Police Station Magorra, Tehsil Govardhan, District Mathura again Departmental Forest Crime Number (H2 Case) No. 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024 was issued. In the above mentioned case of illegal tree felling, the investigation of the issued Departmental Forest Crime (H2 Case) No. 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024 was also given to Mr. Aman Chaudhary, Forester /Section Officer Chaumuhon Govardhan Range.


(vi) Then a written complaint/tehrir was given in Magorra dated 08.12.2024 by the concerned Forest Guard Mr.Kushalpal Singh

(vii) On 22.11.2024, under the investigation of the previously registered crime number (FIR) 0341/2024 dated 22.11.2024, the investigation was started by including/registering the crime as point F of serial number 3, serial number 4 and 5 of the case diary number CD 3 of the investigating officer Mr. Ravindra Kumar Sub Inspector Police Station Magorra. (Copy of Issued Departmental Forest Crime H2 Case Number 17/Govardhan /2024-25 dated 08.12.2024(copy attached as enclosure no.5), Recovery Memo (copy attached as enclosure no.6) and Case Diary Number 3 of Police Station Magorra dated 09.12.2024 (copy attached as enclosure no.7).

3. Person responsible for the offence :- In both the cases of illegal tree felling, departmental forest crime (H2 case) number 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024 and number 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024 and crime (FIR) number 0341/2024 dated 22.11.2024 accused 1. Ravindra son Prem Singh resident village Bhadar post Saukh tehsil Govardhan police station Roadora district Mathura 2. Satveer alias Satto alias Satyaprakash son Mukhtiyar 3. Netrapal son Shyam Singh alias Gulab Singh 4. Pushpendra son Netrapal 5. Digambar son Hari Singh said residents of village Shyoba Bhag Singapatti post Saukh tehsil Govardhan police station Roadora district Mathura were responsible for violation of section 4 and 10 Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and violation of order of Hon'ble supreme court dated 08.05.2015 in IA No. 527 in wp 13381/1984.

5. The number and nature of trees cut/ uprooted

[Handwritten signatures]




In the above mentioned case of illegal tree felling, the committee constituted for the field inspection of the incident spot, uploading the Google Earth timeline before the incident and after the incident and observing the same, legal action taken in the case, examination of records etc., after investigating the findings of the committee, The number and nature of trees cut/ uprooted is as follows:-

(i) Illegal felled trees and bush/Shrubs as per the date of first registered crime in the case
21.11.2024

S. No.	Name Of Species.	Square diameter of stemp in cm	S.No	Name Of Species.	Square diameter of stemp in cm	Grand total		Prohibit ed & Non Prohibit
						Species	Total number of Trees and bush/Shrubs	
1	Neem(Azadirachta indica)	140	16	Poplar(Populus)	62	Neem(Azadirachta indica)	09	Prohibit ed
2	Neem(Azadirachta indica)	60	17	Poplar(Populus)	57	Peepal(Ficus religiosa)	01	Prohibit ed
3	Neem(Azadirachta indica)	54	18	Poplar(Populus)	62	Shisham(Dalbergia sissoo)	01	Prohibit ed
4	Neem(Azadirachta indica)	70	19	Poplar(Populus)	65	Shahtoot(Morus alba)	02	Non-Prohibit ed
5	Neem(Azadirachta indica)	67	20	Jamun(Syzygium cumini)	50	Poplar(Populus)	06	Non-Prohibit ed
6	Neem(Azadirachta indica)	53	21	Papdi/chilbil(Holoptelea integrifolia)	48	Jamun(Syzygium cumini)	01	Prohibit ed
7	Neem(Azadirachta indica)	70	22	Prosopis juliflora	35	Papdi/chilbil(Holoptelea integrifolia)	01	Non-Prohibit ed
8	Neem(Azadirachta indica)	73	23	Prosopis juliflora	89	Prosopis juliflora	05	Non-Prohibit ed
9	Neem(Azadirachta indica)	127	24	Prosopis juliflora	45	Arjun(Terminalia arjuna)	01	Prohibit ed
10	Peepal(Ficus religiosa)	60	25	Prosopis juliflora	60			
11	Shisham(Dalbergia sissoo)	44	26	Prosopis juliflora	67	Total number of trees	27	

[Handwritten signature]



12	Shahtoot(Morus alba)	60	27	Arjun(<i>Terminalia arjuna</i>)	77	Nimbu(<i>Citrus limon</i>) bush/Shrubs	27	Non-Prohibited
13	Shahtoot(Morus alba)	70	28	Nimbu(<i>Citrus limon</i>) bush/Shrubs	27 Plant	Karonda(<i>Carissa carandas</i>) bush/Shrubs	22	Non-Prohibited
14	Poplar(<i>Populus</i>)	70	29	Karonda(<i>Carissa carandas</i>) bush/Shrubs	22 Plant	Total number of bush/Shrubs	49	
15	Poplar(<i>Populus</i>)	86						


(ii) Illegally felled tree as per the second registered crime dated 08.12.2024 in the case

S. No	Name Of Species.	Square diameter of stemp in cm	S.No	Name Of Species.	Square diameter of stemp in cm	Grand total		Prohibited & Non Prohibited
						Species	Total number of Trees	
1	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	106	8	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	125	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	08	Prohibited
2	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	78	9	Papdi/chilbil(<i>Holoptelea integrifolia</i>)	122	Papdi/chilbil(<i>Holoptelea integrifolia</i>)	03	Non Prohibited
3	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	108	10	Papdi/chilbil(<i>Holoptelea integrifolia</i>)	100	Prosopis juliflora	2	Non Prohibited
4	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	105	11	Papdi/chilbil(<i>Holoptelea integrifolia</i>)	140	Chonkar (<i>Prosopis cineraria</i>)	1	Non Prohibited
5	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	98	12	Prosopis juliflora	68			
6	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	155	13	Prosopis juliflora	80	Total number of Trees	14	
7	Neem(<i>Azadirachta indica</i>)	120	14	Chonkar(<i>Prosopis cineraria</i>)	92			

Thus in both incidences, a total of 41 trees and 49 bush/Shrubs plants were illegally felled.

6. Person responsible :- As per the investigation of the offences registered in the case in question, the inquiry report and the charge sheet of the police, 41 trees and 49 shrubs have been illegally felled by the following accused.





1. Ravindra son of Prem Singh resident of village Bhadar post Saukh tehsil Govardhan police station Roadora district Mathura.
2. Satveer alias Satto alias Satyaprakash son of Mukhtiyar resident of village Shcoba Bhag Singapatti Post Saukh Tehsil Govardhan Police Station Roadora District Mathura
3. Netrapal son of Shyam Singh alias Gulab Singh resident as above
4. Pushpandra son of Netrapal resident as above
5. Digamber son of Hari Singh resident as above

7. Applicability of other laws:-

(i) Since the land is not Forest land, hence provisions of Indian Forest Act, 1927 or Forest Conservation Act, 1980 / Van Sarankshan aur Samvardhan Adhiniyam, 2023 are not applicable.

(ii) Also, there is no mention of any evidence of violation of wildlife protection Act, 1972 in either investigation report of Forest Offence reports or charge sheet filed by the police in the Ld. ACJM-I Court, Mathura after investigation in the F.I.R. Enquiry committee also could not find any evidence of violation of Wildlife Protection Act, 1972 during its field inspection.

(C) Action taken:-

1) After first incidence, the concerned Forest officials of Govardhan Range has lodged the Forest Offence Report (H2 CASE) No. 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024 against 05 named persons responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984.

(2) A Tehrir/written complaint was submitted by forest officials against 05 named persons responsible for the offence in the Magorra Police Station on 21.11.2024. On the basis of Tehrir, an First Information Report (FIR) No. 0341/2024 dated 22.11.2024 was registered against the 05 named persons responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984.

(3) again, on 08.12.2024, on the information received from a special informant regarding illegal felling on the same spot, forest officials issued Second Forest Offence Report (H2 Case) No. 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024 against the 05 named persons responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984.

(Handwritten signatures)



(4) The forest officials submitted a Tehrir/Written complaint in police station Magorra on 08.12.2024 itself against 05 named responsible for the offence of illegal felling under Section 4 and 10 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976 and for violation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 08.05.2015 passed in IA No. 527 filed in writ petition (C) No. 13381/1984.

Police included the offence in their investigation which was being done in F.I.R. no. 0341/2024 dated 22.11.2024 lodged in earlier offence which has been mentioned in points F of 3, 4 and 5 in the sequence of case diary number 3 dated 09.12.2024 of crime number 0341/2024 earlier registered in the police station Magorra.

(5) In both the cases of illegal tree felling, departmental forest offence reports (H2 Case) No. 15/Govardhan/2024-25 dated 21.11.2024 and 17/Govardhan/2024-25 dated 08.12.2024 investigation was completed by the nominated investigating officer and the complaint cases have been filed in Ld. ACJM-I, Mathura. The cases are under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment (copy attached as enclosure no.8).

(6) In relation to both the incidents of illegal tree felling that took place in the case, based on the complaints/ Tehrirs given by the forest officials in the police station Magorra on separate dates 21.11.2024 and 08.12.2024, the crime (F.I.R.) number 0341/2024 was registered and the investigation was also completed by the investigating officer and charge sheet has been filed in the Hon'ble Court of Additional Chief Judicial Magistrate First Mathura under the same sections mentioned above against the same accused mentioned in paragraph-6 of section B viz **Details of the incident and investigation** above. The case is under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment (copy attached as enclosure no.9).


(7) The timber/firewood of all the 41 uprooted trees and of shrubs has been seized, recovered and are currently kept in the custody of the concerned Forest Guard, Mr. Kushalpal Singh, at the Saukh Kothi Nursery under the Govardhan Range of the Forest Division Mathura.

The committee has verified the above seized timber physically with the documents and found it to be correct (committee inspection photographs copy attached as enclosure no.10).

D) Conclusion: -

In light of the case submitted in Ld. ACJM-I court, Mathura by Forest department based on report of investigation officers and charge sheet filed by police in F.I.R. and after field inspection by this committee and analysis of the facts, it is respectfully submitted that-


1. Due punitive action has been taken by the government agencies in the matter by registering F.I.R., issuing Forest Offence Report, Seizing the felled timber.
2. The complaint cases have been filed in Hon'ble ACJM-I court, Mathura with respect to Forest offence Reports/ H 2 cases issued in the matter. The cases are under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment.




3. Charge sheet has been filed in Hon'ble ACJM-I court, Mathura with respect to F.I.R. lodged in the matter. The case is under consideration of Ld. ACJM-I court for trial and punishment.
4. Harsh Punishment in the matter will deter the offenders from repetition of the offence. Hence any other punishment which this Hon'ble court finds suitable may be given to offenders.

Hence the report of the committee is submitted for the kind perusal.


(Narendra Kumar)
Forest Guard,
Kosi Range,
Mathura



(Shyam Singh)
Forester,
Mathura Range,
Mathura





(Brajesh Parmar)
Range Forest Officer,
Unit Range,
Mathura


(Sushil Kumar Singh)
Sub Divisional Officer
(Forest), Mathura Sub
division, Mathura



मा. पीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर मूल आवेदन संख्या 1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के अनुलान में कार्यालय प्रभागीय निदेशक के पत्रांक 4115/35-3 दिनांक 11.03.2025 से गठित समिति द्वारा दिनांक 18.03.2025 को किये गये घटनास्थल के स्थलीय निरीक्षण के फोटोग्राफ्स -







United Map
 Vector & Satellite Map for India

GURUJI FILLING STATION

NOTARY
 A.K. MAURYA
 Advocate
 7, Model House, Lko.
 Reg. No- 31(34)2000
 COURT OF U.P., LUCKNOW

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, गोवर्धन रेंज

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा

पत्रांक 133/35-3 गोवर्धन, दिनांक 08/12/2024

सेवा में,

श्री कुशलपाल सिंह वनरक्षक
गोवर्धन रेंज।

विषय:-

दिनांक 22.11.2024 को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी में वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 तथा एफ आई आर सं० 0341 दिनांक 22.11.2024 में बरामद प्रकाष्ठ को अपनी अभिरक्षा में लेने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि वन अपराध संख्या सं० 15/गोवर्धन/2024-25 तथा एफ आई आर सं० 0341 दिनांक 22.11.2024 में बरामद प्रकाष्ठ जो आपके द्वारा श्री चन्द्रमान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौंख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गौरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दिया गया था जो आज दिनांक 08.12.2024 तक मौके पर पड़ा है जिसकी रात्रि में चोरी हो जाने की संभावनाएँ बनी हुयी हैं प्रकाष्ठ की सुरक्षा के दृष्टिगत उसको सुरक्षित स्थान पर रखने हेतु तत्काल आप अपनी अभिरक्षा में लेना सुनिश्चित करें तथा प्रकाष्ठ को सुरक्षित स्थान पर रखते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

भवदीय


क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज


पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि:-

1. प्रमागीय निदेशक महोदय मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमारी निरीक्षक थाना मर्गौरा को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री आशीष सिंह वनदरोगा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने पर्यवेक्षण में उक्त प्रकाष्ठ को अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित स्थान पर रखवाते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को रिपोर्ट प्रेषित करें।
4. श्री चन्द्रमान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौंख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गौरा जिला मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उपरोक्त केस/एफ आई आर में बरामद प्रकाष्ठ को विभाग की अभिरक्षा में श्री कुशलपाल सिंह वनरक्षक को सुपुर्द करें।

भवदीय


क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज



0/c

19

1277

दिनांक 21/11/2024-25

वन विभाग उ०प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) ...

उ० प्र० वृज संरक्षण अधि० 1976 की प्रत्य अपराध धारा 4/10 प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 21/11/2024 अधिक्षेत्र राजि० गोवर्धन

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान

1. रवेन्द्र 310 प्रेमसिंह नि. ग्राम भदर, पो. सौंख तहसील - गोवर्धन थाना मर्गीरा जिला मथुरा
2. सतवीर उर्फ सती 510 मुख्तयार
3. नेत्रपाल 510 श्याम सिंह उर्फ तुलाव सिंह
4. पुष्पेन्द्र 510 नेत्रपाल
5. दिगम्बर 410 हरी

2. साक्षी का नाम

(राधेश्याम) बनरझु

3. कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक

निवासीगण - ग्राम श्योबा भाग सीजापट्टी पो. सौंख तहसील - गोवर्धन, थाना - मर्गीरा जिला - मथुरा

अ. P.S. N - 27°40'50.6"

4. मूल्य

आज दिनांक 21/11/2024 को ग्राम श्योबा भाग सीजापट्टी चक्रोड के डिनारे 9 पेड़ नीम 140, 60, 54, 70, 67, 53 70, 73, 127, 1 पेड़ पीपल जोलाई 60, 1 पेड़ शीशम जोलाई 44, 2 पेड़ सहतूत जोलाई 60, 70, 6 पेड़ पापूलर जोलाई 70, 86, 62, 57, 62, 65, 1 पेड़ जामुन जोलाई 50, 1 पेड़ पापड़ी जोलाई 48, 5 पेड़ प्रोसोपिस ज्यू जोलाई 35, 89 45, 60, 67, 1 पेड़ अर्जुन जो 77 से.मी. कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नींबू, 22 पौधे इरोंदा (0-1) व्यास वर्ग की बिना अनुमति के उ.प.व. मशीन द्वारा उखाड़ना।

5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन

5. प्रसूचना (रिपोर्ट) के न्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

विवरण

(राधेश्याम) ब.र.

महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 21/11/2024 को आधीलय से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मय हमराह श्री राधेश्याम बनरझु के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सीजापट्टी पर लगभग 10:40 AM को पहुँचे तो देखा कि चक्रोड के डिनारे पर 27 पेड़ उखाड़े मिले बिना ही नष्ट कर गयी तो 9 पेड़ नीम बिना ही जोलाई क्रमशः 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73, 127, 1 पेड़ पीपल जोलाई 60, 1 पेड़ शीशम जोलाई 44, 2 पेड़ सहतूत जोलाई 60, 70, 6 पेड़ पापूलर जोलाई 70, 86, 62, 57, 62, 65, 1 पेड़ जामुन जोलाई 50, 1 पेड़ पापड़ी जोलाई 48, 5 पेड़ प्रोसोपिस ज्यू जोलाई 35, 89, 45, 60, 67, 1 पेड़ अर्जुन जोलाई 77 से.मी. कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नींबू (0-1) व्यास वर्ग, 22 पेड़ इरोंदा (0-1) व्यास वर्ग के पेड़ - पौधे उखाड़े मिले, कटकरा मफ्ती मोठे पर बनानी गयी। जो संलग्न है करामत लडड़ी को चन्द्रगन पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सीजापट्टी पोस्ट- सौंख तहसील - गोवर्धन, थाना मर्गीरा जिला मथुरा की सड़कवेगी में ही गयी, सुपुर्देगीनामा संलग्न है तथा आस-पास प्रदेश पर शात हुआ कि उक्त पेड़ों को कौलम न. 1 में दर्ज व्यक्तियों के द्वारा उखाड़ दिये गये हैं। उक्त व्यक्तियों द्वारा उ० प्र० वृज संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 एवं 10 के अंतर्गत तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11/2 क्षेत्र में दिये गये आदेश दिनांक 18/05/2015 को अवगानना के तहत अपराध किया है। अतः रिपोर्ट महोदय को सौंपा है सादर प्रेषित है।

प्रमाणीय निदेशक सा. वा. वन उभाज मथुरा

उम्तकेस की प्रथम पौन अधिकाारी नामित हेतु सादर प्रेषित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज, मथुरा

21/11/2024

राधेश्याम (ब.र.)



(केशीलाल) ब.र.

20


आज दिनांक 11/11/2024 को समय लगभग 11:00 बजे घटना स्थल 2 मोजा, जमाना, सीतापुर

पर कटी पडी लकड़ी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा

क्र.सं.	प्रजाति	गोखार	सेमी	आपेडि	विवरण
1-	नीम	140	सेमी	सम्पूर्ण पेड़	
2-	"	60	"	"	
3-	"	54	"	"	
4-	पीपल	60	"	"	0 से 1 आसवर्ग
5-	शहदर	60	"	"	नींबू-27 पेड़
6-	पापुलर	70	"	"	करोड़ा-22-पेड़
7-	"	86	"	"	
8-	"	62	"	"	जालोनी लकड़ी
9-	"	57	"	"	वजन लगभग
10-	"	65	"	"	90/25
11-	जाड़न	50	"	"	
12-	नीम	70	"	"	
13-	"	67	"	"	
14-	शहदर	70	"	"	
15-	पापडी	48	"	"	
16-	पापुलर	62	"	"	
17-	शहदर	44	"	"	
18-	नीम	53	"	"	
19-	जालोनी लकड़ी	35	"	"	
20-	नीम	70	"	"	
21-	"	73	"	"	
22-	अर्जुन	77	"	"	
23-	गवाह हस्ताक्षर नाम व पता	जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर नाम व पता			बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर
24-	"	45	"	"	
25-	"	60	"	"	
26-	"	67	"	"	
27-	नीम	127	"	"	

शिवशंकर
व-र



रुद्रशंकर पांडे
व-र

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा P.S. (थाना): मगोरा Year (वर्ष): 2024
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0341 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 22/11/2024 22:19 घंटे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):


1 Day (दिन): गुरुवार Date from (दिनांक से): 21/11/2024 Date To (दिनांक तक): 21/11/2024
Time Period (समय अवधि): पहर 1 Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 22/11/2024 Time (समय): 22:19 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 056 Date and Time (दिनांक और समय): 22/11/2024 22:19 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

1



5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम, 11 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):
- (b) Address (पता): ग्राम श्योबा ,भाग नैनूपट्टी
- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): कुशलपाल वनसंरक्षक
- (b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
- (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1979
- (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
- (e) UID No. (यूआईडी सं.):
- (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):



S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	गोवर्धन रेन्ज, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	गोवर्धन रेन्ज, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

(i) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-75953XXXXX

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):


9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No.
(क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)




12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मर्गोरा। महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड़ उखड़े मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड़ नीम जिनकी गोलाई क्रमशः 140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड़ पीपल गोलाई 60, 2 पेड़ सहतूत गोलाई 60.70, 6 पेड़ पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड़ जामुन गोलाई 50. 1 पेड़ पापडी गोलाई 48. 1 पेड़ शीशम गोलाई 44, 5 पेड़ ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड़ अर्जुन 77 सेमी कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नीबू (0-1) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (0-1) व्यास वर्ग के पेड़-पौधे उखड़े मिले। फर्द बरामदगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दी गयी, सुपुर्दगीनामा संलग्न है तथा आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेड़ों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मर्गोरा जिला मथुरा के द्वारा उखड़वाये गये हैं। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No (s).13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS - IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता - ग्राम - दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहड़ील, जिला मथुरा मो 78953XXXXX एसडी अग्रेजी अपठनीय प्रार्थी (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज, प्रभाग मथुरा एसडी अग्रेजी अपठनीय अनुभाग अधिकारी गोवर्धन नोट में है0का0 1550 गिरजेश कुमार प्रमाणित करता हू कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा शब्द व शब्द टाइप की गयी है ।

13.

4



Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का Rank (पद): उपनिरीक्षक/ नाम): Ravindra Kumar Yadav अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)


Signature of Officer in charge,
Police Station (थाना प्रभारी के
हस्ताक्षर)

Name (नाम): PS Magorra

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 9454403945

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)



15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):



रैजिस्ट्रेशन संख्या-17/गोवर्धन/2024-25

वन विभाग उ० प्र० परिधि (सर्किल) बृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) मथुरा

उ. प्र. वन संरक्षण अधि. प्रसूचना (रिपोर्ट) सं. दिनांक 08/12/24 अधिकृत राजि गोवर्धन

1976 की धारा 4/10 1. रवेन्द्र शं० प्रेमसिंह नि. ग्राम भदार पो. सौंख तहसील-गोवर्धन थाना मर्गाव जिला-मथुरा

2. सतवीर उर्फ सती शं० मुख्त्यार 3. नेत्रपाल शं० रामसिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र शं० नेत्रपाल

5. दिगंबर शं० हरी सिंह निवासीगब-ग्राम शोबा भाग सीगापट्टी पो. सौंख, तह. गोवर्धन, मथुरा

2- साक्षी का नाम श्री शशिेश्याम वनरक्षक 3- कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक लगभग 3 या 4 दिन पूर्व ग्राम शोबा, भाग सीगापट्टी चकरोड़ के छिनारे 8 पेड़ नीम जो. 106, 78, 108, 105, 98.

8- मूल्य 155, 120, 125, 3 पेड़ पापड़ी जो. 122, 100, 140, तथा 2 पेड़ जूलीप्लोरा जो. 68, 80, 1 पेड़ डोंडर जो. 92 से.मी. कुल 14 पेड़ों के बिना अनुमति के उ. प्र. मशीन द्वारा उखाड़े

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन G.P.S. N-27.4050 43 E-77.51866

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के खोरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

निवेदन के साथ अलग ताराना है कि आय दिनांक 08/12/24 को समय लगभग 08:00 AM बजे मुख्त्यार खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम शोबा भाग सीगापट्टी चकरोड़ के छिनारे बम्बा की तरफ कुछ पेड़ उखाड़े गये हैं। सूचना पर तत्काल मैं दृगराह श्री शशिेश्याम वनरक्षक के साथ ग्राम शोबा भाग सीगापट्टी पहुँचे।


तो देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेड़ों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ कुछ पेड़ उखाड़े मिले जिनकी गणना की गयी जो ऑलम नम्बर 3 में दर्ज हैं। उम्ह पेड़ों की लंबे करामदगी मोंके पर बनायी गयी जो संलग्न है। तथा करामद लडड़ी के सौंख छोटी नसीरी पर रखवाया गया है। आस पास रहने पर शात हुआ कि उम्ह पेड़ों के ऑलम नं. 1 में दर्ज व्यक्तिमों के द्वारा उ. प्र. मशीन द्वारा लगभग 3 या 4 दिन पूर्व उखाड़े गये हैं। उम्ह व्यक्तिमों के द्वारा उ. प्र. वन संरक्षण अधि. 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा प्रा. सर्वोच्च-या. द्वारा T.T.Z. क्षेत्र में दिने गये आदेश दिनांक 08/05/2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है।

अतः रिपोर्ट मद्दोष में सेवा में उपरि उक्त है।

गवाह: (शशिेश्याम वनरक्षक)

सेवा में उ. प्र. वन संरक्षण अधि. मथुरा। मद्दोष, उम्ह उक्त की उम्ह उक्ति योंन अधिकारी नामित करने हेतु साफर उक्ति है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रैज, मथुरा



(नेत्रपाल) व.र.

फर्द बरामदगी

आज दिनांक 08/12/2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे घटना स्थल ग्राम रमोवा भाग सीतापट्टी चक्रोड़के एगरे पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. स.	उत्पत्ति	बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा		अत्रियुक्ति सम्पूर्ण प्रकाष्ठ
		गोलाई से. मी.	लम्बाई से. मी.	
1.	नीम	106	-	
2.	— " —	78	-	
3.	— " —	108	-	
4.	— " —	105	-	
5.	— " —	98	-	
6.	— " —	155	-	
7.	— " —	120	-	
8.	— " —	125	-	
9.	पापड़ी	122	-	
10.	— " —	100	-	
11.	— " —	140	-	
12.	जेसोपिस ज्यू.	68	-	
13.	— " —	80	-	
14.	हॉडर	92	-	

नोट:- लकड़ी हरी है सूखने पर माप में अन्तर आ सकता है।


गवाह हस्ताक्षर
नाम व पता

(राधेश्याम)
वनर प्रक
गोवर्धन रंज

जिससे सम्पत्ति बरामद की
गयी है उसके हस्ताक्षर
नाम व पता

बरामद करने वाले
अधिकारी का नाम/पदनाम व
हस्ताक्षर

(कुशलपाल)
व. र.
गोवर्धन रंज



(29)

थाना मर्गौरा।

महोदय,

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 08.12.2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे मुखविर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी चकरोड के किनारे बम्बा की तरफ कुछ पेड उखाड़े गये हैं। सूचना पर तत्काल मैं हमराह श्री राघेश्याम वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पहुँचे। तो देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेडों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ कुछ पेड उखड़े मिले। जिनकी नपत की गयी जो 8 पेड नीम गोलाई 106,78,108, 105,98,155,120,125, 3 पेड पापडी गोलाई 122,100,140 तथा 2 पेड प्रोसोपिस ज्यूलीपलोरा गोलाई 68,80, 1 पेड छाँकर गोलाई 92 से0मी0 कुल 14 पेड उखड़े मिले। उखड़े पेडों की फर्द बरामदगी मौके पर बनायी गयी संलग्न है। तथा बरामद लकड़ी को सौँख कोठी नर्सरी पर रखवाया जा रहा है आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेडों को 1. स्वेंद्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार पोस्ट सौँख तहसील गोवर्धन थाना मर्गौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार 3. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौँख तहसील गोवर्धन थाना मर्गौरा जिला मथुरा के द्वारा जे0सी0बी0 द्वारा लगभग 3 या 4 दिन पूर्व उखड़वाये गये हैं। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s). (Civil) No(s).13381/1984 M.C. MEHTA VERSUS UNION OF INDIA & ORS - IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08.05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है।

अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

स्थायी पता :-

ग्राम - दौलतपुर बसाऊ,

पोस्ट व थाना - नौहसील, जिला - मथुरा

मो0 - 7895373793


प्रार्थी

(कुशलपाल)

वनरक्षक

गोवर्धन रेंज, प्रभाग मथुरा

अनुभाग अधिकारी
गोवर्धन



30

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD3

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.):0341

Date (दिनांक):22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना):मगोरा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)
b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 09/12/2024
c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 11:00 बजे
d) End time of Investigation(जांच अंत समय): 15:30 बजे
Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):
संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोरा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोरा जनपद मथुरा।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1


a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :



House No.
(मकान संख्या) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पचा नं0 2 दिनांक 27.11.2024 को कित्ता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.
(मकान संख्या) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा वादी चौकी सौख पर उपस्थित आये हैं जिन्होंने मुकदमा उपरोक्त में पूर्व फर्द बरामदगी से अलग पेड काटे जाने के सम्बन्ध में एक फर्द बरामदगी की छायाप्रति मय प्रार्थना पः

Street Name
(गली का नाम) :


Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

State (राज्य) :

Street Name
(गली का नाम) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

State (राज्य) :



य अन्य प्रपत्र मुझ विवेचक को प्राप्त कराये है। जिसका अवलोकन कर संलग्न सीडी किया जाता है।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

अवलोकन प्रार्थना पत्र सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मगोर्गा। महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 08.12.2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे मुखविर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी चकरोड के किनारे बम्बा की तरफ कुछ पेड उखाड़े गये हैं। सूचना पर तत्काल मैं हमराह श्री राधेश्याम बनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पहुंचे तो देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेडों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ कुछ पेड उखड़े मिले। जिनकी नपत की गयी जो 8 पेड नीम गोलाई 106,78,108, 105,98,155,120,125. 3 पेड पापडी गोलाई 122,100,140 तथा 2 पेड प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 68,80, 1 पेड छौंकर गोलाई 92 सेमी कुल 14 पेड उखड़े मिले। उखड़े पेडों की फर्ट बरामदगी मौके पर बनायी गयी संलग्न है। तथा बरामद लकड़ी को सौख कोठी नर्सरी पर रखवाया जा रहा है आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेडों को 1. रवेन्द पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मर्योरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार 3. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मर्योरा जिला मथुरा के द्वारा जेसीबी द्वारा लगभग 3 या 4 दिन पूर्व उखडवाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s).

3



13381/1984 .. VERSUS UNION OF INDIA ORS LA No. 527 में दिये गये आदिनांक 08.05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है कि व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता : ग्राम दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहड़ौल, जिला मथुरा मो 7895373793 हस्ताक्षर अपठनीय अनुभाग अधिकार गोवर्धन प्रार्थी हस्ताक्षर अपठनीय (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रंज, प्रभाग मथुरा।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

Street Name

(गली का नाम) :

Village/Town/City


(ग्राम/नगर/शहर) :

State (राज्य) :

f) Description(विवरण) :

अवलोकन फर्ट बरामदगी फर्ट बरामदगी आज दिनांक 08.12.2024 को समय 09.00 बजे घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी चकरोड किनारे पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।
बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा क्र०सं० 1 प्रजाति नीम गोलाई से०मी० 106 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 2 प्रजाति नीम गोलाई से०मी० 78 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 3 प्रजाति नीम गोलाई से०मी० 108 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 4 प्रजाति नीम गोलाई से०मी० 105 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 5 प्रजाति नीम गोलाई से०मी० 98 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 6 प्रजाति नीम गोलाई से०मी० 155 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 7 प्रजाति नीम गोलाई से०मी० 120 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 8 प्रजाति नीम गोलाई से०मी० 125 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 9 प्रजाति पापडी गोलाई से०मी० 122 लम्बाई से०मी० अभियुक्त

4



सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 10 प्रजाति पापडी गोलाई से०मी० 100 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 11 प्रजाति पापडी गोलाई से०मी० 140 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 12 प्रजाति प्रोसोपिस ज्यू गोलाई से०मी० 68 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 13 प्रजाति प्रोसोपिस ज्यू गोलाई से०मी० 80 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 14 प्रजाति छोंकर गोलाई से०मी० 92 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष नोट: लकड़ी हरी है सूखने पर माप में अन्तर आ सकता है। गवाह हस्ताक्षर नाम व पता हस्ताक्षर अपठनीय (राधेश्याम) वनरक्षक गोवर्धन रेंज जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर नाम व पता बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर अपठनीय (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :


Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त के वादी वनरक्षक कुशलपाल को लेकर घटनास्थल पर पहुँचा जहाँ प्राप्त करायी फर्द बरामदगी की छायाप्रति के अनुसार पेड़ों की जड़ों को दिखाया जिस पर नंबरिंग पड़ी है।



35

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य

b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 09/12/2024

c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):

d) Remarks (टिप्पणियाँ):

e) Description (विवरण):

श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।

f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):

अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 09/12/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

Submitted PL

(Signature)
JHO 10.12.24

6



H-3110-71/2024-25

(36)

11/4/2025

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांक 4406 / 35-3 मथुरा, दिनांक 29/03/2025

सेवा में

न्यायिक दण्डाधिकारी,
परगना मथुरा
मथुरा।

विषय :-

वन अपराध 17/जीवदत्त/24-25 व 77/प्रभाग/24 को शिकायत।

महोदय

इस प्रभाग को अपराध संख्या 17/जीवदत्त/24-25 व 77/प्रभाग/2024-25 के

निम्नलिखित प्रलेख आपकी सेवा में इस आशय से प्रेषित किये जाते हैं कि सम्बन्धित अभियुक्तों को भारतीय वन अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत सचित दण्ड दिया जाये।

1- शिकायत पत्र - 1

2- मूल एच-2 केस संख्या 17/जीवदत्त/2024-25 सम्बन्धित संलग्नको सहित

3- न्यायालय से अनुपस्थित रहने हेतु आवेदन पत्र - 1

4- वकालतनाम - 1

5- नजरीनक्सा - 1

6- मुलिनमान को दिये गये नोटिस की प्रतियों।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

पत्रांक 4406 / 35-3 दिनांकित।

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय वन अधिकारी जीवदत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृपया राजि आख्या में विवरण को वनविद/सप्राजिक को सूचित करें।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

37

शिकायत पत्र

सेवा में,

न्यायालय, न्यायिक सहायिकाओं, मधुरा

17/जुलै/2024-25

अभियोग सं. 47/प्रमाण 2024-25

(1) प्रथम सूचनावाता का नाम एवं पता हुसैन मल्ल सिंह बनारस

(2) अभियुक्तों का नाम व पता

(1) नाम शुक्ल शिवाजी राम अदर

(2) नाम सतवीर हर्ष सती पुत्र मुख्तियार नि. ग्राम श्योवा अण सीतापट्टी

(3) नाम पुष्पल पुष्प राम सिंह नि. ग्राम श्योवा अण सीतापट्टी

(4) नाम पुष्पल शिवाजी राम अदर नि. ग्राम श्योवा अण सीतापट्टी

(5) नाम शिवाजी हरीश चन्द्र निवासी ग्राम श्योवा अण सीतापट्टी

निवास ग्राम अदर अमरा बाकबाना सौरभ

याता मगरी जिला मधुवा

(3) अपराध की तिथि, समय एवं स्थान :-

(1) तिथि 08/12/2024

(2) समय 8:00 AM

(3) स्थान :- (क) राजि अमरा सीतापट्टी जिला सौरभ मधुवा जीवर्मा

(ख) ब्लॉक का नाम / सड़क का नाम

(4) अपराध का संक्षिप्त विवरण :-

(1) किस प्रकार की क्षति की गई :-


नाजायज चरान/कटाना जोत/सीमा स्तम्भों को उखाड़ने या तोड़ना आदि

(2) क्षति का विवरण :-

(क) नाजायज चरान में पशुओं की प्रजाति व संख्या

(ख) नाजायज कटान में वृक्षों की प्रजाति, संख्या एवं गोलाई (से. मी. में)

(ग) नाजायज जोत में सीमा स्तम्भों की संख्या एवं जोत क्षेत्र (हेक्टर में)



30

व्यापार

(घ) उ० प्र० पर्वतीय एवं प्राणीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन / राजस्व की शोरी का विवरण :- 3 पेड़ नीम जी०- 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, 126
 3 पेड़ चायदा जी०- 122, 100, 140 तथा 2 पेड़ अम्लीमूलोय जी०- 68, 80
 तथा 2 पेड़ हीकर जी०- 92 समेत कुल 14 पेड़ों की विना
 अनुमति के उखाड़ना।

(ङ) उ० प्र० द्वारा मशीन नियमावली सं० 1956 की धारा 10 का उल्लंघन/राजस्व की शोरी :-

~~.....~~

(३) वन क्षति का अनुमानित मूल्य आयतन - 7.926 वर्ग मी
मूल्य - 43,500/-

(४) साक्षियों का नाम व पता :-
 (१) श्री ब्राह्मेश प्रसाद वनरक्षक जीवधन रोड।

(२) नाम पुत्र
 (३) नाम पुत्र
 (४) नाम पुत्र

निवास ग्राम डाकखाना
 जिला

(६) भारतीय वन अधिनियम की धारा जिसके अन्तर्गत अपराध दर्ज की है :-

(१) दण्ड की धारा 26 एवं 33
 (२) उ० प्र० प्राणीय एवं पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम की धारा 8/10 एवं 11/12 के अन्तर्गत अपराध द्वारा 11/2 क्षेत्र में दिष्ट जीव वृक्षों की अवमानना।

(१) उ० प्र० द्वारा मशीन नियमावली सं० 1956 की धारा 41क-ब। 10

(५) नाजायज फोटो से वेदखल करने के आवेग की धारा 11-ए

(७) अभिमापना
 अतः मायना है कि उपरोक्त अभियुक्तों को क्रमांक ६ के (2) अन्तर्गत उचित दण्ड दिया जाय। एवं नाजायज फोटो से वेदखल किया जाय।

प्रमाणित
 राक्षिमानधिकारी
 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 लखनऊ

सिवायतकर्ता
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक कानूनी प्रभाग
 मधुरा
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक कानूनी प्रभाग
 मधुरा



39


न्यायालय से अनुरोधित हेतु आवेदन-पत्र

न्यायालय श्रीमान अखिलेश कुमार मुखर्जी मुख्य न्यायाधिकारी महोदय उद्यम मधुवा
 पता मधुवा जिला मधुवा उ.प्र. वन संरक्षण अधिनियम 1971 धारा 4/10
 भारतीय वन अधिनियम धारा 26, 62-ए, 63, 64 और 65 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा 17/10/2000 में दिये गये
 राज्य उत्तर प्रदेश जिला मधुवा

श्रीमान
 निवेदन है कि प्राचीन अयोगी जन-सेवक होने के नाते वनपद के राजकीय प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में व्यस्त
 रहता हूँ और इस केंद्र में प्रतिदिन सुबहवाहने पद उपस्थिति होने में प्राचीन अयोग्य रहेगा। इसलिये प्राचीन की अर्हता से
 श्री अली खान चन्दा वल्लीय एडवोकेट, पेनल नायर (न्यायिक अतिमावक) वन विद सपराधिक पेशवा करके
 अतः प्रार्थना है कि इस अयोगी की सुबहवाहने के दौरान प्राचीन को व्यक्तित्व उपस्थिति से मुक्त रखने की
 कृपा की जावे।

प्राचीन

प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
 मधुवा
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मधुवा



60

वकासतनामा

व अवासत श्रीमान अग्र मुख्य - आर्थिक प्रविष्टि प्रथम, मधुप

नं० मुकदमा 17 गीबघाना 2024-25 77 प्रयाग 2024-25
सप १९ ई०
डी.एफ.डी. अपीलाट
नाम मधुप
रवेन्द्र शं० प्रेमिन्द्र प्रयाग
व अन्य रिशवालेट

मैं कि डी.एफ.डी. को कि हमको मधुप करना इस मुकदमे में आवश्यक है इसलिए अपनी ओर से डी.एफ.डी. चंद्र शशील चंद्र शशील एडवोकेट

अवासत कांतिनी महनतामे पर अपनां वधोत्तनीय करके प्रतिज्ञा करते हैं कि कर्कोस जो इस इस मुकदमा में हमारी ओर से वदूष वाधित करे और प्रतोलन करे और प्रायुना प्रक प्रलेक प्रकार का और अन्य कारण इस मुकदमा के सम्बन्ध में चलात पंचायत वाधित कर तस्वीक करे या पाजपाया या सुलहनामा या दस्तवरदारी वाधित करे और अपनां यापतागी हमारा वावताजरे नकद व वापसी स्टास कोर्ट फीस व अवासतामा वयेरह वसुल करके रतीक वें या अपनीं वाधित से कितो को पंच मुकदमे करे और कुन काम मुकदमे का एकत्रिल या अस्तव-अलग मुकदमे के अन्त तंफ करे या आवश्यकता मनु किलो को इस मुकदमे की वंदी के वास्ते प्रकीष निगव करे या सर्वोत दामर करे वगह अपील से भेरी चरख से जवाब देही करे संवदकील या कार्य स्वये अपने किये हुए की तरह स्वीकार है और हीगा शीन मुकदमा चाहीवान को इन्तियार होगा कि अगर महनतामा समापता हुस्व बायदह उनको वसुल व ही वी बह पंदवी व बहल बगेरह न करे इसलिए गवे वकासतनामा लिख दिया कि अनद होने और आवश्यकता के समय काम आवे फक्त चहरीर।

तारीख..... सप १९ ई०

गयाह..... तारीख

गयाह..... तारीख

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मधुप




(41)

अंतिम जाँच आख्या

महोदय,

विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08.12.2024 (सह दर्ज अपराध F.I.R. संख्या 0341/2024 दिनांक 22.11.2024) जाँच मेरे द्वारा घटनाक्रमानुसार प्रारम्भ की गयी इस प्रकरण में सर्वप्रथम पूर्व में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21.11.24 की जाँच में दिनांक 30.11.2024 को मौजा घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा स्थित खसरा संख्या 698 क पर बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ पहुँचा। तो पाया कि मौके पर निकाले जा रहे चकमार्ग के किनारे पर कुछ पेड़ व कुछ झाड़ीनुमा पौधे जड़ से उखड़े हुये पड़े हैं। मौके पर उखड़े पड़े पेड़ों व झाड़ियों की माप व गणना की गयी मौके पर नीम 9 पेड़ पीपल 1 पेड़ सहतूत 2 पेड़ पापूलर 6 पेड़, जामुन 1 पेड़, शीशम 1 पेड़ पापडी 1 पेड़, अर्जुन 1 पेड़ व प्रोसोपिस ज्यूलीफलोरा के 5 पेड़ तथा नींबू प्रजाति के 27 झाड़ीनुमा पौधे व करोंदा प्रजाति के 22 झाड़ीनुमा पौधे उखड़े पाये गये मौके पर नजरी नक्सा बनाया गया जो संलग्न है। घटनास्थल का निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि सफाई कर नई मिटटी डालकर बनाया गया चकमार्ग के दोनों किनारों से उक्त अंकित प्रजातियों के कुल 27 पेड़ व नींबू प्रजाति के 27 झाड़ीनुमा पौधे व करोंदा प्रजाति के 22 झाड़ीनुमा पौधे जे0सी0बी0 मशीन के द्वारा जड़ सहित उखाड़े गये हैं। उखाड़े गये पेड़ व झाड़ीनुमा पौधे दर्ज विभागीय वन अपराध में दर्ज की गयी संख्या व माप के अनुरूप ही पाये गये। आस-पास मिले व्यक्तियों से मौके पर पूछताछ की गयी तो नाम उजागर ना करने की शर्त पर उनके द्वारा बताया गया कि उपरोक्त पेड़ों को व झाड़ीनुमा पौधों को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी निवासी 1 सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार 2. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह 3. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 4. दिगम्बर पुत्र हरी तथा 5 रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार के द्वारा चकमार्ग की सफाई व चकमार्ग पर दोनों किनारे से जे0सी0बी0 मशीन से मिटटी डलवाने के दौरान उखड़वाया गया है। जाँच में उजागर अभियुक्तों के नाम व पिता के नाम दर्ज विभागीय वन अपराध में अंकित अभियुक्तों के नाम व पिता के नाम व पिता के अनुरूप है। उखाड़े गये पेड़ व झाड़ीनुमा पौधों की भूमि का स्वामित्व स्पष्ट नहीं हुआ।

दिनांक 10.12.2024 को अभियुक्तों के नाम अलग अलग नोटिस जारी कर दिनांक 18.12.2024 को रेंज कार्यालय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने/बयान दर्ज कराने हेतु सूचित किया गया दिनांक 18.12.2024 को नियत समय अभियुक्त दिगम्बर सिंह पुत्र हरी व अन्य अभियुक्त उपस्थित हरे और पूर्व से ही तैयार नोटरी शपथ पत्र /बयान जिस पर अन्य ग्रामीणों के भी हस्ताक्षर थे प्रस्तुत किया एवं सभी अभियुक्तों के द्वारा अपने अलग अलग बयान भी दर्ज कराये गये। इस नोटरी शपथ पत्र /बयान में तथा दर्ज वन अपराध में अंकित अभियुक्तों के द्वारा अलग अलग दर्ज कराये गये बयानों में अपराध किये जाने से इंकार किया तथा आरोप चन्द्रभान पुत्र भँवर सिंह, रामजीत, हरवीर व भरत सिंह पुत्रगण चन्द्रभान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व जितेन्द्र सिंह पुत्र बदन सिंह निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा पर लगाया है। किन्तु अपराध दर्जकर्ता वनरक्षक श्री कुशलपाल बीट प्रभारी मगोरा व हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के द्वारा उक्त अपराध में दर्ज अभियुक्तों के द्वारा ही वन अपराध किये जाने की पुष्टि अपने बयानों में की है। प्रकरण में नोटरी प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक के द्वारा पुनः दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/77/प्रभाग/2024-25 दिनांक



08.12.2024 के अनुसार उक्त अंकित अभियुक्तों के द्वारा पुनः नीम के 8 पेड़, 3 पेड़ पापड़ी, 2 पेड़ प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा व 1 पेड़ छौंकर को जे0सी0बी0 मशीन से जड़ से उखड़वा दिया गया जिसकी तहरीर श्री कुशलपाल वनरक्षक के द्वारा थाना मगोरा में दी गयी की भी जाँच की गयी दर्ज विभागीय वन अपराध में अंकित उखाड़े गये पेड़ों को भी उक्त दर्ज अभियुक्तों के द्वारा ही जे0सी0बी0 से उखड़वाकर वन अपराध किया गया है।

दर्ज वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 की भी जाँच मेरे द्वारा दिनांक 26.01.2025 को मौका घटनास्थल पर सम्बन्धि बीट प्रभारी श्री कुशलपाल के साथ पहुँचकर की गयी मौके पर घटनास्थल का नजरी नक्सा बनाया गया नजरी नक्सा 02 दिनांक 26.01.2025 जो संलग्न है। मौके पर बम्बा की तरफ 14 वृक्षों के उखाड़े जाने के साक्ष्य पाये गये आस-पास मौजूद व्यक्तियों से पूछताछ की गयी तो नाम उजागर न करने की शर्त पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त 8 पेड़ नीम, 3 पेड़ पापड़ी 2 पेड़ प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा (काबली बबूल) व 1 पेड़ छौंकर कुल 14 पेड़ को दोबारा जे0सी0बी0 लाकर अभियुक्त सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार, नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह, पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल व दिगम्बर पुत्र हरी सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा व रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार थाना मगोरा के द्वारा ही उखड़वाया गया है। उक्त उखड़वाये गये पेड़ों की सिनाख्त करने सौंख कोठी नर्सरी पहुँच कर देखा गया तो उक्त उखाड़े गये पेड़ों का मिलान दर्ज वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 में दर्ज पेड़ों के अनुसार सही पाया गया। प्रकरण में दिनांक 28.01.2025 को उक्त सभी अभियुक्तों को पुनः नोटिस जारी कर दिनांक 03.02.2025 को रेंज कार्यालय गोवर्धन पर अपना पक्ष रखने व बयान दर्ज करने हेतु सूचना दी गयी किन्तु कोई अभियुक्त बयान दर्ज कराने नहीं आये। दिनांक 30.01.2025 को मैं स्वयं हमराह श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा व ग्राम भदार तथा घटनास्थल पर पुनः गया। और अभियुक्तगण को उनके पता ठिकाना पर तलाश किया किन्तु पता चला कि अभियुक्तगण नहीं मिले तब घटनास्थल पर पहुँचने पर अभियुक्त सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश उर्फ सतवीर पुत्र मुखत्यार व कुछ अन्य ग्रामीण घटना स्थल पर मिले जिनके संयुक्त बयान दर्ज किये बयान में स्वीकार किया कि चकरोड पर दोनों तरफ से मिटटी डालते समय कुछ पेड़ जे0सी0बी0 मशीन से उखड़ गये हैं। जिन्हें मौके पर वन विभाग अधिकारी को हमने दिखाया गया है। बयान की प्रति संलग्न है। जिससे सिद्ध है कि पेड़ बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध रूप से उखाड़कर अपराध जान बूझकर किया गया है।

प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व में दर्ज कराये गये बयान दिनांक 18.12.2024 के आधार पर दिनांक 12.03.2025 को देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व चन्द्रभान पुत्र भेंवर सिंह को नोटिस प्राप्त कराये गये जिस पर दिनांक 19.03.2025 को उक्त दोनों के द्वारा अपने बयान अलग अलग दर्ज कराये गये। दर्ज बयान में उक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.11.2024 को अचानक गाँव के सत्तो उर्फ सतवीर पुत्र मुखत्यार, नेत्रपाल पुत्र श्याम उर्फ गुलाब, पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल, दिगम्बर पुत्र हरी व अन्य ने जे0सी0बी0 मंगाकर हमारी नर्सरी से पेड़ व पौधों को उखड़वा देना शुरू कर दिया हमारे द्वारा रोके जाने पर भी नहीं माने और हमसे आमदा फसाद हुये! तब वन विभाग को सूचना दिये जाने पर वन विभाग के द्वारा कार्यवाही की गयी। दिये बयानों की प्रति संलग्न है।

उक्त के सम्बन्ध में रिपोर्टकर्ता बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक व उनके हमराह श्री राधेश्याम के भी लिखित बयान दिनांक 12.03.2025 को लिये गये उक्त के द्वारा भी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा स्थित खसरा संख्या 698 क चकमार्ग के दोनों किनारे पर उखड़े पेड़ 27 व 14 कुल 41 पेड़ तथा नीबू के 27 झाड़ीनुमा पौधे और करंदा के 22 झाड़ीनुमा पौधों को अभियुक्त 1 सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार 2. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब



सिंह 3. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 4. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह व सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा मथुरा व 5. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी भदार थाना मगोरा मथुरा के द्वारा जे0सी0बी0 से उखडवाये जाने की पुष्टि की है।

मौके से बरामद सभी 41 पेड़ों की लकड़ी व 49 झाडीनुमा पौधे प्रजाति नींबू व करोंदा की जलौनी लकड़ी को सम्बन्धित बीट प्रभारी मगोरा श्री कुशलपाल वनरक्षक की अभिरक्षा में रख गया है।

अतः दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/72 प्रभाग/2024-25 दर्ज दिनांक 21.11.2024 तथा उसी घटनास्थल पर उन्ही समान अभियुक्तों के द्वारा पुनः किये गये समान वन अपराध में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/77 प्रभाग/2024-25 दिनांक 08.12.2024 की लगातार जाँच किये जाने के निष्कर्ष में घटनास्थल मौजा ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा जिला मथुरा स्थित खसरा संख्या 698 क चकमार्ग के दोनों किनारों से जे0सी0बी0 मशीन द्वारा ताज ट्रिपोजियम जोन के अंतर्गत बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये अवैध रूप से उखाड़े गये उपरोक्त विभिन्न प्रजाति के 41 पेड़ एवं 27 नींबू प्रजाति व 22 करोंदा प्रजाति के झाडीनुमा पौधों को वन अपराध अभियुक्त (1) सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुख्त्यार (2) नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाब सिंह (3) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पी पुत्र नेत्रपाल (4) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा जिला मथुरा एवं (5) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार थाना मगोरा जिला मथुरा के विरुद्ध वखूबी सिद्ध होने फलस्वरूप अंतर्गत धारा 4 व 10 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली की रिट पिटीशन 13381/1984 की आई0ए0 संख्या 527 में ताज ट्रिपोजियम जोन के अंतर्गत वृक्षों का अवैध पातन किये जाने से सम्बन्धित पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 का खुला उल्लंघन किये जाने के अपराध में आरोप पत्र माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 प्रथम मथुरा को बजरिये अधिकृत अधिवक्ता प्रस्तुत किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि साक्ष्य और गवाहान को तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

उक्त मामले में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08.12.2024 तथा थाना मगोरा मथुरा में सह दर्ज अपराध संख्या 0341/2024 दिनांक 22.11.2024 एक ही घटनास्थल पर समान धाराओं में एवं समान अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज है।

संलग्नक:-


1. दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08.12.2024 मय फर्द बरामदगी, सुपुर्दगीनामा, नजरीनक्सा, व अभियुक्तों को अलग अलग प्रेषित नोटिस बयान आदि।

आचार्य श्री श्री १५ वन अधिसूची गोवर्धन रेंज।
पहाड़की 35-1/गोवर्धन, दिनांक 14/03/2025

सेवा में
आचार्य श्री १५ वन अधिसूची
सा.वा. वन प्रभाग
मथुरा।

महोदय,
उपरोक्त H2 केस संख्या 17/गोवर्धन/24-25 की जांच की अमन चौधरी
कमरयोगी से करायी गयी उनकी जांच की सन्तुष्टि के अलावा केस की माननीय न्यायालय
में अर्जित की संस्तुति सहित आवेदन प्रेषित है।
आचार्य श्री १५ वन अधिसूची
गोवर्धन रेंज

@mar 14-03-25
अमन चौधरी वनदरोगा
जाँच अधिकारी



राजिवादा सं० १३/१०/२०२४-२५

आगीय वाद सं० २२/५/२०२४-२५

वन विभाग उ० प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) मथुरा

उ. प्र. वन संरक्षण अधि. अन्य अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक ०८/१२/२४ अधिक्षेत्र राजि गोवर्धन

- 1976 की धारा 4/10
- १- नाम, पिता का नाम और निवास स्थान
- २- साक्षी का नाम
- ३- कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक
- ४- मूल्य
- ५- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन
- ६- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

- १. रवेन्द्र शं० प्रेमसिंह नि. ग्राम भदार पो. सौंख तहसील-गोवर्धन थाना मर्गीरा जिला - मथुरा
- २. सतवीर उद्दि सली शं० मुख्तार
- ३. नेत्रपाल शं० रामसिंह उद्दि गुलाब सिंह
- ४. पुरपेन्द्र शं० नेत्रपाल
- ५. दिगम्बर शं० हरी सिंह निवासी गब- ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पो. सौंख, तह. गोवर्धन, मथुरा

श्री राधेश्याम वनरक्षक

लगभग ३ या ४ दिन पूर्व ग्राम श्योबा, भाग सीगापट्टी चन्द्रोड़ के किनारे ४ पेड़ नीम जो. 106, 78, 108, 105, 98

155, 120, 125, ३ पेड़ पापड़ी जो. 122, 100, 140, तथा २ पेड़ ब्लूलीफ्लोरा जो. 68, 80, १ पेड़ होंडर जो. 92 से.मी.

कुल 14 पेड़ों को बिना अनुमति के J.C.B. मशीन द्वारा उखाड़ा गया था सं० 17/१०/२०२४-२५

G.P.S. N-27.4050 43 दिनांक २२/५/२४-४४ E-77.51866

६- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक ०८/१२/२४

गवाह: (राधेश्याम वनरक्षक)

को समय लगभग ०८:०० AM बजे मुख्तार खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी चन्द्रोड़ के किनारे बम्बा की तरफ कुछ पेड़ उखाड़े गये हैं। सूचना पर तत्काल मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पहुँचे। वहाँ देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेड़ों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ कुछ पेड़ उखाड़े मिले जिनकी नपत की गयी जो ड्रॉलम नम्बर ३ में दर्ज है। उम्त पेड़ों की फोटो बरामदगी मोटे पर बनायी गयी जो संलग्न है। तथा बरामद लकड़ी को सौंख छोड़ी नसीरी पर रखवाया गया है। आस पास रहने पर शक हुआ कि उम्त पेड़ों की ड्रॉलम नं. १ में दर्ज व्यक्तियों के द्वारा J.C.B. मशीन द्वारा लगभग ३ या ४ दिन पूर्व उखाड़वाये गये हैं। उम्त व्यक्तियों के द्वारा उ. प्र. वन संरक्षण अधि. 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा प्रा. सर्वोच्च न्या. द्वारा T.T.Z. क्षेत्र में दिये गये आदेश दिनांक ०८/०५/२०१५ की अवमानना के तहत अपराध किया है।

सेवा में
उ.प्र. नि. महोदय
मथुरा।
महोदय, उम्त उखंड की
उद्यम प्रति जाँच अधिकारी
नामित इन्वे हेतु साफर
उचित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज, मथुरा

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में उचित है।



(श्रीनेत्रपाल) व.र.

(45)

संज्ञित वाद सं० ०१३/१०१/२०२५-२५

1151

प्रभागीय वाद सं०.....

वन विभाग उ० प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) मथुरा

३. ५. १९७६ की शारा ४/१० अन्व अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं०..... दिनांक ०४/१२/२४ अधिक्षेत्र राजि गोवर्धन

१- नाम, पिता का नाम और निवास स्थान १. रविन्द्र ५१० केमसिंह नि. ग्राम आगरा जे. सौंख

२. सतीश्वर इन्दि सतीश ५१० मुठानगर

३. नेत्रपाल ५१० श्याम सिंह इन्दि गुलाब सिंह

४. पुष्पेश्वर ५१० नेत्रपाल

५. रविन्द्र ५१० हरी सिंह निवासी गोल- ग्राम

शमोला भाग सींगपट्टी जे. सौंख, तह. गोवर्धन, मथुरा

२- साक्षी का नाम

श्री रविन्द्र ५१० केमसिंह

३- कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक

लगभग ३ या ४ दिन पूर्व ग्राम शमोला, भाग सींगपट्टी

वाकरीय के क्षेत्र ४ पेड़ नीम जे. १०६, १०८, १०९, १०८

१०९, १२०, १२९, इन्दि जपड़ी जे. १२२, १००, ११०, तथा २

पेड़ जपड़ीकेरा जे. ०८, ८०. पेड़ नौकर जे. १२ के-सी.

कुल १५ पेड़ के दिना अनुमाने के उ.०.८. मन्जीन द्वारा

४- मूल्य

५- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध

(G.P.S. N-27.405043

में विशेष कथन

E-71-518662

17/12/24-25
77/52/24-25
जोषण के की
अभियंता के नाम दिनांक 17/12/24

६- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण

आदि का उल्लेख

महोदय, रिपोर्ट के साथ संलग्न करना है कि आज दिनांक 08/12/24

जवाब:-
(राक्षस नाम)
प-२०

को लगभग 08:00 AM को मुखविर काय के द्वारा शमोला

हुई कि ग्राम शमोला भाग सींगपट्टी वाकरीय के क्षेत्र जम्बा की

तलाश कुछ पेड़ उखाड़े गये हैं। खनना पर तलाश में हमराह

को देखकर हमराह के साथ ग्राम शमोला भाग सींगपट्टी पहुँचा।

मेरे देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेड़ों के आनेदिष्ट जम्बा की तरफ

कुछ पेड़ उखाड़े गये जिनकी नपत की गयी जो संलग्न नम्बर

२ में दर्ज है। उक्त पेड़ों के पूर्व वरामदगी जे.के. २ के जम्बा

जली जो संलग्न है। तथा वरामद लकड़ी के सौंख छोटी

नर्सरी पर रखवाया गया है। आज पास इन्दि पर बात हुआ

कि उक्त पेड़ों को संलग्न नम्बर में पूर्व गये गये के द्वारा

उ.०.८. मन्जीन द्वारा लगभग ३ या ४ दिन पूर्व उखाड़े गये

गये हैं। उक्त व्यवस्था के द्वारा उ. प्र. वन संरक्षण अधि.

१९७६ की शारा ४/१० का अनुसंधान तथा जे. रविन्द्र वन-सं.


द्वारा T.T. २० क्षेत्र में दिखे गये आदेश दिनांक ०४/१२/२०१५

की अवमानना के तहत अपराध भिद्य है।

अतः रिपोर्ट महोदय को देना में उचित है।


सेवा में
उ. प्र. वन संरक्षण
मथुरा
उत्तर क्षेत्र की
डिप्टी एच डी
नम्बर आंकटि ०२१
के सादर उचित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज, मथुरा




(इशारा पाल)
क-२०

मजरी नक्सा धरमा नं० 2 दिनांक 08/12/2024 को
दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25
सदरज F.I.R. सं० 0341/2024 दिनांक 22/11/2024



धरमा स्थल - ग्राम शमोष्ठा भाग सीमा पर्यंत तरलीक गोवर्धन खसरा संख्या 6986 चककी
14 पैडोका आवेधाकरण



संकेत - धरमा स्थल जहाँ पैड व झाडी नुमा पौधे उखाड़े गये हैं को A-B
व X X X X से दर्शाया गया है।

(46)
(कुशलपाल सिंह व.रं.)
वन वीर मजरी
रंज गोवर्धन



मजरी नक्सा मौका धरमा स्थल निरीक्षण दिनांक 26/11/25
को मेरे द्वारा बनाया गया।

अमर-चौधरी वन दरोजा
वन अनुभाग चौमोष्ठा, गोवर्धन

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम ...



रेंज डेस स. 17/जे०/2024-25

आपको बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत

दिनांक 02/12/2024

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख 03/02/2025 व समय 11:00 AM को

व मुकाम ...

को हाजिर अपना ध्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा ... में कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man
अमन चौधरी
अनुभाग अधिकारी
फारेस्ट आफिसर

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम ...



रेंज डेस स. 17/जे०/2024-25

आपको बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत

दिनांक 02/12/2024

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख 03/02/2025 व समय 11:00 AM को

व मुकाम ...

को हाजिर अपना ध्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा ... में कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man
अमन चौधरी
अनुभाग अधिकारी
फारेस्ट आफिसर



नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम
 डी० एफ० ओ० बनाम
 डी० एफ० ओ० बनाम



राज्य केस नं. 17/जौ०/2024-25
 जिला मजिस्ट्रेट
 जिला मजिस्ट्रेट

आपको बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत
 दिनांक 02/12/2024

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख 03/02/2025 व समय 11:00 AM को
 सामान्य अज्ञेय वन अधिकारी जेबर्न रेज, जलपुरा रोड
 व मुकाम राष्ट्रीय रेजर अडिज के सामने जेबर्न

को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
 मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा 3-उ-अ संसद अधिनियम
 1916 की धारा 410
 कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
 तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा
 अनुभाग अधिकारी
 सेक्सन-मोस्ट्रो
 फारेस्ट आफिसर

@man

अमन चौधरी

अनुभाग अधिकारी

सेक्सन-मोस्ट्रो

फारेस्ट आफिसर

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम
 डी० एफ० ओ० बनाम
 डी० एफ० ओ० बनाम



राज्य केस नं. 17/जौ०/2024-25
 जिला मजिस्ट्रेट
 जिला मजिस्ट्रेट

आपको बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत
 दिनांक 02/12/2024

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख 03/02/2025 व समय 11:00 AM को
 सामान्य अज्ञेय वन अधिकारी जेबर्न रेज, जलपुरा रोड
 व मुकाम राष्ट्रीय रेजर अडिज के सामने जेबर्न

को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
 मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा 3-उ-अ संसद अधिनियम
 1916 की धारा 410
 कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
 तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा
 अनुभाग अधिकारी
 सेक्सन-मोस्ट्रो
 फारेस्ट आफिसर

@man

अमन चौधरी

अनुभाग अधिकारी

सेक्सन-मोस्ट्रो

फारेस्ट आफिसर



(49)

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम ... र. वि. क्र. १/० ... प्रसा. दि. १०/०१/२०२५ ... जिला - मथुरा



तहसील - गोरखपुर जिला - मथुरा

आपको बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत ... रोज़ डेल सं. 17/जोड/2024-25


दिनांक 02/12/2024

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख 03/12/2025 व समय 11:00 बजे ... जिला - मथुरा ... व मुकाम ... जिला - मथुरा

को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा 30-D, 33 संरक्षण अधिनियम 1976 में कायम किया जाये। धारा 4/10

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आर्ये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म @nar अमन चौधरी तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा अनुभाग अधिकारी सेक्शन - प्रो. मथुरा फॉरेस्ट आफिसर



(50)

नोटिस

सेवा में,

श्री देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह
निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, मथुरा।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत वन अपराध संख्या संख्या 15/गो0/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गो0/2024-25 दर्ज हुए हैं। विभाग द्वारा की कार्यवाही में निष्पक्ष जाँच हेतु बतौर जाँच अधिकारी मैं आपको बजरिये नोटिस इत्तिला करता हूँ कि उक्त प्रकरणों में आप दिनांक 19.03.2025 को कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज (जतीपुरा रोड़ राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज के सामने गोवर्धन) पर समय 11:00 AM बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष/बयान मय साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें जिससे ससमय निस्तारण किया जा सके।

@maw 11-03-25
जाँच अधिकारी
अनुभाग अधिकारी
गोवर्धन रेंज
मथुरा

5 प्र. प्र. प्र.
12/03/25




मेरी सारा दुवारा वहां पहुँचने पर फिर 112 को कॉल कर कर के बुलवाया गया था जब तक की मोगा बंद नहीं होकर नहीं के पैसे को उखाड़ चुके थे 112 नं० द्वारा उनको रिक्रमाफ मोर्फ मारि वाकी नहीं की गयी जब मुझे वन विभाग को इसकी सूचना दी तबसे फिर वन विभाग के सचिवालय में पट पहुँचे तो सिन्धु सिन्धु मोगो के रिक्रमाफ वन विभाग द्वारा पैसे की पुर्ची बकायत कर मारि वाकी की गयी है -
 मुख्यतः जो मोगा पैसे को उखाड़ बा रहे फिनको से जानरा था उनको नाम सिन्धु सिन्धु

- 1 - सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्तयारी निवासी शोका
- 2 - नंग पाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुमाय सिंह शोका
- 3 - पुष्पेन्द्र पुत्र नंग पाल गण शोका
- 4 - दिगम्बर पुत्र हीर सिंह गण शोका
- 5 - सोसनीर उर्फ रीशू पुत्र रामखण्ड गण शोका
- 6 - वंदप्रकाश पुत्र दिगम्बर (नं० शोका

आय 15-20 लाखों के लाख में पट मिले थे.

19/03/2025
 देवेंद्र मीशरा उर्फ दीपक सिंह
 मो - 9837049037




916

(1)

मे इवन्ड मीजपार 573 जी एडवोकेट सिविली 2318 2319 का
 एडिगा पदवी तदसीम गीवर्क मज्जुता का पूरा किया है
 प्राप्ति नोटिस के आधार पर मैं आज दिनांक 19/3/25 को
 वक्त विभाग मथालम गीवर्क पर उपस्थित हुआ।
 मैं वयाग करता हूँ कि मेरी किली कृषी भूमि गाँव श्यांका में
 है वहाँ पर मेरे द्वारा लगभग 15-20 वर्ष पहले बसरी ल्यापू
 की गयी बहुत बड़ा बगीचा मेरे द्वारा वहाँ निमिठन प्रकार के
 भागदार / धभादार बुका मागसे जये के सभी पैड मल व धामागत
 जे बहुत पक्षी भूमि पर विकास करते जे सभी में धोलम वने
 हुके जे पचावराण बहुत अच्छा बना हुआ था।

भगर गाँव कुछ लोगोंके 211 मद अच्छा न लग रहा है
 व ललिते गाँवके कुछ निम्न लिखित लोगों के अपने 15-20 हाथियों
 के साथ नारीय 19-11-2025 को मथानम 20B मथालम
 भगर पहुँच जये और पैडों को उखाड़ने लगे मे मज्जुता रहता
 हूँ गाँव मे मेरे चाचा रहते हैं उन्होने उन्हे रोक्के ना माली
 पचास किया भगर को लडने मारने को तैयार होकर इमेके
 आये जे चाचा द्वारा मुझे पूचना की गयी मे वन्ही
 उस समय मज्जुता से बहार जा मैंने 112-नं० पर कॉल
 कर पुलिस को भेजा भगर को तब भी नहीं रुकते मे जब तक
 भोग पर पहुँचा तब तक को भोग मे वगीचे को वाली
 पैडों को 20B द्वारा उखाड़ा मुझे जे और 20B
 मुझे चाली मिली मेरे बड़ा पहुँचने पर भोग भगा
 करने के बाद ल्यापू मी मे भोग गयी भोग
 और मुझे मारने की 20B को तैयार जे



917

(53)

नोटिस

सेवा में,

श्री चन्द्रभान पुत्र भेंवर सिंह

निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, मथुरा।


उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत वन अपराध संख्या संख्या 15/गो0/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गो0/2024-25 दर्ज हुए हैं। विभाग द्वारा की कार्यवाही में निष्पक्ष जाँच हेतु बतौर जाँच अधिकारी मैं आपको बजरिये नोटिस इत्तिला करता हूँ कि उक्त प्रकरणों में आप दिनांक 19.03.2025 को कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज (जतीपुरा रोड़ राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज के सामने गोवर्धन) पर समय 11:00 AM बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष/बयान मय साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें जिससे ससमय निस्तारण किया जा सके।

रजक प्रात पूजा की -

-पत्रम 02

12-03-2025

@manu 11.03.25


जाँच अधिकारी
वन विभाग अधिकारी
गोवर्धन रेंज
मथुरा

जबकि

चन्द्रमालासिंह पुत्र श्री मंगल सिंह बिकारी ग्राम पूथोवा
 सीगां पंथी का बिकारी हूँ मुझे एक विभाग गौरीगढ़ द्वारा
 बुलाया गया मेरे आज दिनांक 19/03/25 को मथालय में
 उपस्थित हुआ और तारीख 19/11/24 को मेरे खेत पर से
 उखाड़े गये पौधे पेड़ों के बारे में वहाँ एक मसौदा है
 तारीख 19/11/24 को अमानत गाँव से कुछ लोग
 सखीत उर्फ सखी पुत्र मुखल्यार नंगपाल पुत्र श्याम कर्ण गुलाब
 पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पी पुत्र नंगपाल विगाचल पुत्र एडी सिंह
 एवं शोशनीत उर्फ शोशु पुत्र रामचन्द्रन लाल बिकारी शय्या
 अपने अन्य 15-20 साक्षियों के साथ मेरे महीने देवेन्द्र
 की नकली से 200-के पेड़ों को उखाड़े रहे वे
 मेरे महीने पर गया मेरे बहुत बुरा प्रभाव लगा कि पेड़ों को
 मेरे उखाड़ो मारा नो लोग मुझ से मडने मारने को
 तैयार हो गये मेरे बहुत बुरा प्रभाव पर मीनकी माता
 और नकली से मारने मेरे खेत में भी कितने पेड़ के
 उखड़े जाबरदस्ती 200-द्वारा उन लोगों के उखाड़े किये
 मेरे द्वारा लोग से अपने महीने देवेन्द्र को भी बुचका दी
 उसके 112-पुछीस बुझरि का फिर मीनकी माता तब उसके
 एक विभाग को बुचका दी तो एक विभाग कि माता आये
 और आगे भी माफवाही गयी

चन्द्रमाला
 19-03-2025

चन्द्रमाला सं. श्री अनुरासिंह
 पुत्र मीनका (पतिमाला नं.)
 फोन नं. - 9410446249



सुवर्ण

श्रीमान् क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय गोवर्धन
जि० मथुरा (उ० प्र०)

में दिगम्बर सिंह पुत्र श्री हरसिंह नि० ग्राम श्योवा भाग - सीगापट्टी तह-
 गोवर्धन थाना - मगोरी जि० मथुरा उम्र करीब 35 वर्ष, पेशा - कृषि !
 प्राचीन तथा प्राचीन के गाँव के लगभग 100 व्यक्ति ने सरकारी-चकमार्ग
 को चिह्नित करने हेतु दिनांक 07-11-2024 को पैमाइश मौके पर कराने हेतु
 श्रीमान् उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन के यहाँ रुक प्राचीन पत्रादिया
 धा। प्राचीन के गाँव के अन्य व्यक्तियों के प्राप्तिना पत्र पर श्रीमान् उपजिला
 कारी महोदय गोवर्धन के आदेश दिनांक - 07-11-24 पर तहसील गोवर्ध
 की राजस्व टीम सरकारी-चकमार्ग सं. 698 क रकबा 0.9510 हैं० की मौके
 पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन मथुरा ने दिनांक - 09-11-2024 को उक्त
 चकमार्ग की मौके पर चकमार्ग सं. 698 क को चिह्नित कर उसी दिन उसी
 समय जी. सी. बी. से उक्त रास्ते की मैड डलवायी एवं रास्ता में जो पेड़ खड़े
 थे उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में मैड डलवायी। राजस्व टीम
 के पैमाइश कर जाने के बाद गाँव के दबंग व्यक्ति चन्दमान पुत्र भवर सिंह
 व भरत सिंह पुत्र चन्दमान व रामजीत पुत्र चन्दमान व हरवीर पुत्र चन्
 मान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व जतिन्द्र पुत्र बदन सिंह नि० गणेश
 बा भाग सीगापट्टी थाना - मगोरी ने रात्रि में जी. सी. बी. से उक्त पेड़ों को
 उखाड़ बाँधिया था जोर वन विभाग के कर्मचारियों को पीढ़ी से गुमराह
 कर प्राचीन के गाँव के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध राजेशाबश थाना मगोरी
 में हमलोगों के विरुद्ध वन विभाग पेड़ों को उखाड़ने की डूँही रिपोर्ट दर्ज
 करा दी है जिससे थाना मगोरी से हमारे लिये पाने जाने की सूचना भी
 वायी गयी है जबकि प्राचीन वन विभाग के पेड़ नहीं उखाड़े हैं। वान
 सुनकर तस्दीक किया।

दिनांक - 18-12-2024

दिगम्बर सिंह प्राची

दिगम्बर सिंह आ० हरसिंह
 गाँव - श्योवा, सीगापट्टी
 पारट - सौरव, जिला - मथुरा
 मो० न० - 9760302816



(56)

सेवा में


श्री मान कौलीय वन अधिकारी मेटादप, गोवर्धन
जिला-मथुरा ५०३०

मैं सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखार सिंह नि० ग्राम स्यौवा, सीगापट्टी
 तहसील-गोवर्धन, थाना-भगोरी, जिला-मथुरा उम्र करीब 55 वर्ष
 पेशा-कृषि, जार्जिन तथा जार्जिन के गाँव के लगभग 10 व्यक्ति ने सरकारी
 चकमार्ग को चिन्हित कराने हेतु दिनांक 07-11-2024 की पैनाइश मौके पर
 कराने हेतु श्री मान उपजिलाधिकारी मेटादप गोवर्धन के पट्टी सब जार्जिन पत्र
 दिमा था / जार्जिन व गाँव के अन्य व्यक्तियों के जार्जिन पत्र पर श्री मान
 उपजिलाधिकारी मेटादप, गोवर्धन के अधीन दिनांक 07-11-2024 पर तह
 गोवर्धन की राजस्व टीम सरकारी चकमार्ग सं० 698 क रकवा 0.3510 हे
 की मौके पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन मथुरा ने दिनांक 07-11-2024
 उक्त चकमार्ग की मौके पर चकमार्ग सं०-698 क को चिन्हित कर उ
 दिन उसी समय जे.सी.वी. से उक्त रस्ते की मेंड डलवायी एवं राजस्व में
 पेड खड़े थे इनको राजस्व टीम की उपस्थिति में मेंड डलवायी थी राजस्व टी
 के पैनाइश कर जाने के बाद गाँव के रंग व्यक्त चन्द्रभान अ.भकर सिंह
 व भरतसिंह व हरवीर सिंह व रामजीत पुत्र गण चन्द्रभान व देवेंद्र गौड़
 व जीतिन्द्र 570 बदन सिंह निवासी गण-गाँव-स्यौवा भाग सीगापट्टी, पी०से
 तहसील-गोवर्धन, थाना-भगोरी, जिला-मथुरा नि० जे.सी.वी. से उक्त र
 उरवडा दिमा था मौर वन विभाग के कर्मचारियों को पिछले शुभराट
 जार्जिन व गाँव के कुछ व्यक्तियों के किराए राजेश्वर थाना भगोरी में हमले
 के किराए वन विभाग ने पेड को उखाड़ने की सूची रिपोर्ट दर्ज करा दी है
 जिससे थाना भगोरी से हमारे लिपे थाने आने की सूचना मिलवायी ग
 जब की जार्जिन वन विभाग के पेड नहीं उखाड़े है / ध्यान सुनकर तस्दीक है

दिनांक-18-12-2024

सन्तो उर्फ सत्यवीर
जार्जिन

सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश अ. मुखार,
निवासी-स्यौवा, सीगापट्टी
गाँव सौरव थाना, भगोरी जिला मथुरा



(57)


श्रीमान ज्योतीप वन अधिकारी महोदय, गोवर्धन
वि. ब्रह्मपुरा (उ.प्र.)

मैं जे.प.ल. सि. पुत्र श्री श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह गांव स्यौवा
भाग सीतापुरी तहसील गोवर्धन थाना-भगोरी वि. ब्रह्मपुरा उम्र करीब
48 वर्ष पेशा- कृषि प्रथा से तथा प्रथा के गांव के लगभग 10 व्यक्तियों
ने सरकारी चक्रमाग को चिन्ह कराने हेतु दिनांक 07-11-2024 को
पैसापुत्रा को पर कराने हेतु
श्रीमान, उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन के पक्ष स्व.प्रथमा पत्रादिना
का प्रती व गांव के अन्य व्यक्तियों के प्रथमा पत्र पर श्रीमान उपजिलाधिकारी
महोदय गोवर्धन के आदेश दिनांक - 07-11-2024 पर तहसील गोवर्धन की
राजस्व टीम सरकारी चक्रमाग सं. 698 के रुकवा 0.9510 हे. की भोके पर
राजस्व टीम तहसील गोवर्धन ब्रह्मपुरा से दिनांक 09-11-24 को उक्त चक्रमाग
की भोके पर चक्रमाग सं. 698 के को चिन्ह कर उसी दिन उही समय
जे.सी.वी. से उक्त राहत की मेंड इंतवाची संव राहत से जो चेड रवडे
के इनको राजस्व टीम की उपस्थिति से चेड इंतवाची थी राजस्व टीम
के पैसापुत्रा कर जाने के बाद गांव के दंगल व्यक्ति चक्रमाग पुत्राभर सिंह
भरत सिंह, शशील, हरवीर पुत्राभा-चक्रमाग, व देवेन्द्र फौजदार पुत्रावदनाकिंद
व जीतेंद्र पुत्रावदना सिंह निवासी गण स्यौवा भाग सीतापुरी थाना भगोरी से शक्ति से
जे.सी.वी. से उक्त पेडा के रुकवा विषया और वरविभाग के कर्मचारियों को
पीड से बुझाए कर प्रथा व गांव के कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध शक्ति व शक्ति
थाना भगोरी वि. भगो के विरुद्ध वरविभाग के पेडा के उक्त उक्त की
गुठी रिपोर्ट दल कर दी जिससे थाना भगोरी से हमारे लिए थाने जाने की सूचना
प्राप्तवाची थी जिनके प्रथा से वरविभाग के पेडा जही उरबाई हे थाना सुनकर
रस्वीक किया

दिनांक 18.12.2024

जे.प.ल. सि. 57 श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह

निवासी स्यौवा. पोस्ट स्यौवा



Mobile No- 9939978522

संख्या ३२

श्रीमान श्री श्री वन अधिकाारी अदोक्ष, गोवर्धन

जि. अमुरा (३-५)

पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल गाँव - रमोवा गाँव सीतापट्टी तहसील गोवर्धन जिला अमुरा
उम्र करीब २२ वर्ष पेशा शिक्षार्थी - प्रार्थी ने लक्ष प्रार्थी के गाँव के लगभग १० व्यक्तियों
ने सरकारी चक्रमार्ग को चिन्हित कराने हेतु दिनांक ०७-११-२४ को पैमाइश मौके

पर कराने हेतु -


श्रीमान उपजिलाधिकारी अदोक्ष गोवर्धन के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिना या प्रार्थी
व गाँव के कुछ व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान उपजिलाधिकारी अदोक्ष
गोवर्धन के आदेश दिनांक ०७-११-२०२४ पर तहसील गोवर्धन की राजस्व
टीम सरकारी चक्रमार्ग सं. ६९८ क रकबा ०.३५१० है. की मौके पर राजस्व टीम
तहसील गोवर्धन अमुरा ने दिनांक ०७.११.२०२४ को उक्त चक्रमार्ग की मौके
पर चक्रमार्ग सं. ६९८ क को चिन्हित कर उसी दिव उसी समय जे.सी.पी. सं
उक्त रास्ते की भेड डलवायी एवं रास्ते में जो पेड खंड थे उनको राजस्व
टीम की उपस्थिति में भेड डलवायी कि राजस्व टीम को पैमाइश कर जाने के वाय
गाँव के कुछ व्यक्तियों चन्द्रमान पुत्र चन्द्रसिंह, भरतसिंह पुत्र चन्द्रमान रामजी
पुत्र चन्द्रमान हरवीर पुत्र चन्द्रमान व देवेन्द्र फौजदार, जीतेन्द्र पुत्र राम
निवासी गाँव रमोवा भाग सीतापट्टी जिला अमुरा ने रात्रि में जे.सी.पी. सं

उक्त पेडों को उखाड़वा दिया था और जनविभाग के कार्रवाई में जो भी सं
गुमराट कर प्रार्थी व गाँव के कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध रजिस्ट्रार वश पाना
अमुरा में हम लोगों के विरुद्ध लख विभाग इस पेडों के उखाड़वाने की भूमी
विषय में दखल कर दी जिसमें पाना अमुरा में हमारे लिए पाने उक्त की सूचना
मिलवायी गयी जबकि प्रार्थी ने जन विभाग को पेड नहीं उखाड़ें व पान सुनकर
तस्वीक किया

दिनांक १८-१२-२०२४

पुष्पेन्द्र प्रार्थी

पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल
निवासी रमोवा अमुरा



(59)

फर्द बरामदगी

आज दिनांक 08/12/2024 को समय लगभग 09:00 AM बजे घटना स्थल ग्राम रोमोवा भाग सीतापट्टी चक्रोड के डिग्री पर कटी पडी लकड़ी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।


क्र. सं.	उत्पत्ति	बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा		अत्रियुक्ति सम्पूर्ण वक्ष
		गोलाई से.मी.	लम्बाई से.मी.	
1.	नीम	106	-	
2.	— " —	78	-	
3.	— " —	108	-	
4.	— " —	105	-	
5.	— " —	98	-	
6.	— " —	155	-	
7.	— " —	120	-	
8.	— " —	125	-	
9.	पापड़ी	122	-	
10.	— " —	100	-	
11.	— " —	140	-	
12.	जेसोपिस ज्यू.	68	-	
13.	— " —	80	-	
14.	हॉडर	92	-	

नोट: - लकड़ी हरी है सूखने पर माप में अंतर आ सकता है।

गवाह हस्ताक्षर
नाम व पता

(शशि श्याम)
वनर भद्र
जोबर्चन रंज

जिससे सम्पत्ति बरामद की
गयी है उसके हस्ताक्षर
नाम व पता



बरामद करने वाले
अधिकारी का नाम/पदनाम व
हस्ताक्षर

(कुरालपाल)
क. रं
जोबर्चन रंज

दोष, मैं कुशलपाल सिंह बनरजक वन कीट भगोरी/झडीगा गोवर्धन रोज साठवा० वन प्रभाग मपुरा शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि दिनांक 21/11/2024 को रोज कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधारे पर हजारादमी रक्षोभाज के रक्षक नीमगांव वन कीट गोवर्धन रोज वन प्रभाग मपुरा के साथ घटनास्थल, खसरा संख्या 698 क मोजा शमीवा ज्वाडा सीगा पट्टी तहसील गोवर्धन पर समय लगभग 10:40 बजे सुबह पहुंचे तो पाया गया कि चकमार्ग 698 क के किनारे पर पेड़ व फोंदो ढाड़ से उखड़े पेड़े है और चकमार्ग पर राजा गिट्टी दोनो किनारे से जे०सी०बी० द्वारा डलवायी गयी है जोके पर उखड़े पेड़े, पेड़ फोंदो की गणना व माप करी गयी तो पाया 09 पेड़ नीम गोलार्ध क्रमशः 140, 60, 54, 67, 70, 53, 70, 73, 127 से०मी० 01 पेड़ पीपल 60 से०मी०, 02 पेड़ शहररा 60, 70 से०मी०, 06 पेड़ पापल 70, 86, 62, 57, 62, 65 से०मी० 01 पेड़ जामुन 50 से०मी०, 01 पेड़ पापडी 48 से०मी० 01 पेड़ शीसम 44 से०मी० 05 पेड़ जमूली व्लोरा-35, 89, 45, 60, 67 से०मी०, 01 पेड़ अर्जुन 77 से०मी० कुल पेड़ 27 तथा 27 नींबू के झाडीनुमा फोंदो व कुरोदा के 22 झाडीनुमा फोंदो मिले जोके पर फंदे बरामदगी बनायी गयी और साथ पास छूड़ताह कर उका अपराध करने वाले व्यक्तिओ के नाम पता लोग विमे तथा अपराध और साक्षिभक्तोंकी पुष्टि कर पुरान विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21/11/2024-25 दृष्टि किया गया तथा साक्षिभक्त 1- रविंद्र पुत्र प्रेमासिंह (1) रजारा पोस्ट सौरव थाना भगोरी (2) सतवीर उर्फ सतलौ पुत्र मुख्तार (3) नेत्रपाल पुत्र शभासिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) हिगम्बा पुत्र हरीसिंह तैवामीगण ग्राम शमीवा ज्वाडा सीगापट्टी पोस्ट सौरव थाना भगोरी के विरुद्ध तहरीर थाना भगोरी से ही गयी तथा अपराध (F.T.R) सं० 0341/2024 दिनांक 22/11/2024 दृष्टि करायी गयी दिनांक 08/12/2024 को मुख्तार खान से सूचना मिली कि ग्राम शमीवा में चकमार्ग संख्या 698 क के दोनो तरफ बहणा सड़क से खड़े पेड़ो को उफोक्त साक्षिभक्तो के द्वारा पुनः पेड़ो को जे०सी०बी० से उखड़ा दिया है। मैं स्वयंभी हमराहें गी रावोभाज वनरक्षक के साथ घटनास्थल पर समय लगभग-8.00 बजे सुबह पहुंचा तो पाया कि चकमार्ग के किनारे बहणा की तरफ जे०सी०बी० गभिस से उखड़ा गया है तथा चकमार्ग पर गिट्टी डली गयी है जोके पर पेड़े पेड़ो की गणना व माप करी गयी तो पाया कि 08 पेड़ नीम गोलार्ध क्रमशः 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, 125 से०मी० 03 पेड़ पापडी गोलार्ध-122, 100, 140 से०मी०, 2 पेड़ जमूली व्लोरा गोलार्ध 68, 80 से०मी० व 01 पेड़ डोकूर गोलार्ध 92 से०मी० कुल पेड़ 14 पाये गये साथ पास छूड़ताह करने पर पता चलता कि यह 14 पेड़ पुरी साक्षिभक्त (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमासिंह (2) सतवीर उर्फ सतलौ पुत्र हरीसिंह के द्वारा ही पुनः जे०सी०बी० से उखड़ाये है, अपराध और साक्षिभक्तों की पुष्टि कर उका साक्षिभक्तो विरुद्ध विभागीय वन अपराध सं० 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08/12/2024 तथा तहरीर थाना-भगोरी से देकर मुल्दमा दृष्टि किया गया उका साक्षिभक्त के द्वारा दो बार अलग-अलग दिनांक व समय से रक्क ही घटनास्थल पर से बिना पूर्वनुमाग प्राप्त किए अवेद्य रूप 41 पेड़ व नींबू के 27 झाडीनुमा फोंदो व कुरोदा के 22 झाडीनुमा फोंदो को चकमार्ग पर दोनो किनारे से गिट्टी जे०सी०बी० से बकोद्वर डालने के दौरान उखड़ा कर उठ प्र० वृत्त भेरलण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 तथा माननी उच्चतम-माधालय की रिट पिटीशन 13381/1984 संख्या सी० जे० दता बनाम भारत संघ से मौखित आर्डर सं० संख्या 527 से पारित (F.T.R) केत में वृत्तो के अवेद्य पातन से संबंधित) आर्डर दिनांक 08/05/2015 की अवमानना करने का बखला संगीन अपराध किया है। उका दोनो घटनाओं में उखड़े गये सभी 41 पेड़ो की समस्त लकडी रकवें-नींबू के 27 फोंदो झाडीनुमा और कुरोदा के 22 झाडीनुमा फोंदो की जलाइ लकडी वर्तमान में वापसी की साक्षिभक्तो से रक्की है। पक्षी मेरे बयान है।



बयानकर्ता
 (12/03/25)
 कुशलपाल सिंह बनरजक वन कीट
 भगोरी/झडीगा गोवर्धन रोज
 वन प्रभाग मपुरा

वयान


शरीरव्यय

शरीरव्यय वन रत्नक (वीट - नौम गाँव) रेंज गोवर्धन सांवा ० वन उम्राग मथुरा शक्य पूर्वक वयान करत हूँ कि दिनांक २१/११/२०२५ को रेंज न्यायालय से प्राप्त सूचना के आधारे पर जादी कुरानामाक सिंह वन रत्नक वन वीट मगौरा, रेंज गोवर्धन के साथ धरना स्वतः सं० ६९४ क मौजा खौवा भाग सीगा पट्टी तहसील गोवर्धन पर समय लगभग १०:५० बजे सुबह पहुँचे ती पाया कि यकमार्ग स्वसरा सं० ६९४ की ताका सफाई करायी गयी है तथा नौनो किनारे से ताका मिट्टी उतारयी गयी है उभोत यकमार्ग के किनारे पेड उखडे पडे हैं। ओके पर उखडे पेडो की साथ वगणना करायी गयी ती ओके पर ०९ पेड - नीम गोलार्ध कागसः १५०, ६०, ५५, ७०, ६७, ५३, ७०, ७३ से० मी० व १२७ सेमी० - ०१ पेड पीपल - ६० सेमी० ०२ पेड २।६ वल ६०, ७० से० मी०, ०६ पेड पापुल ७०, ४६, ६२, ५७, ६३, ६५ से० मी०, ०१ पेड पापुल ६० से० मी० ०१ पेड पापुडी ५४ से० मी० ०१ पेड शीशम ५५ से० मी० ०५ पेड लहली फलौरा ३५ से० मी० ४९ से० मी० ५५ से० मी० ६० से० मी० ६७ से० मी० ०१ पेड अर्जुन ७७ से० मी० कुल पेड २७ तथा नीव के २७ झाडी उमा पौचे ओत करौदा के २२ झाडी उमा पौचे उखडे हुय पामे गरै मौके पर कई वरासकी वनायी गयी ओत आस-पास वृद्ध वृद्ध की गयी छहताइ में अग्निमुक्तो नानाम पता मार किया गया ती पता यका कि उक्त २७ पेड व उक्त झाडी उमा पौचे अग्निमुक्त ७ खेत्र पुत्र डेम सिंह नि० मदार पौस्ट सोख भाग मगौरा विजा मथुरा ७ सतवीर उर्फ सलो उर्फ सत्यधारा पुत्र मुखत्या ७ नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह ७ पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल ७ दिगम्बर पुत्र हरी सिंह निवासी मग गाँव खौवा भाग सीगा पट्टी पौस्ट सोख भाग मगौरा वि० मथुरा के द्वारा यकमार्ग की सफाई व नि० सी० नी० प्ररीत से यकमार्ग पर मिट्टी उतारने के दौरान खडे होकर उखडवया है अपराध ओत अग्निमुक्तो पुष्टि होने पर तुरन्त विभागीय वन अपराध संख्या १५/गोवर्धन/२०२५-२५ उक्त अग्निमुक्तो के विरुद्ध दर्ज किया गया है तथा तहसील थाना मगौरा में दफ्तर खल आर्डि आर सं० ०३५१/२०२५ दिनांक २२/११/२०२५ दर्ज करायी गयी दिनांक ०४/१२/२०२५ की सुनविट स्नास से सूचना मिले पर पता पला उक्त सभी अग्निमुक्तो के द्वारा उक्त यकमार्ग के किनारे से वम्पा की तरफ पुनः कुछ पेड उखडे ती पाया कि ०४ पेड - नीम गोलार्ध कागसः १०६, ७४, १०४, १०५, ९४, १५५, १२०, १२५ से० मी० ०३ पेड पापुडी गौ० १२२, १००, १५० से० मी० ०२ पेड लहली फलौरा गौ० ६४, ४० से० मी० तथा ०१ पेड होकर गोलार्ध - ९२ से० मी० कुल पेड - १५ पेडों की कई वरासकी वनायी गयी तथा अपराध ओत अग्निमुक्तो की पुष्टि कर विभागीय वन अपराध सं० - १७/गोवर्धन/२०२५-२५ दिनांक ०४/१२/२५ दर्ज कर तहसील थाना मगौरा में दफ्तर आर्डि आर दर्ज कराने हेतु वी गयी। इस तरह उक्त अग्निमुक्तो ७ खेत्र पुत्र डेम सिंह ७ सतवीर उर्फ सलो उर्फ सत्यधारा पुत्र मुखत्या ७ नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह ७ पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल ७ दिगम्बर पुत्र हरी सिंह निवासी मग गाँव खौवा भाग सीगा पट्टी पौस्ट सोख भाग मगौरा विजा मथुरा के द्वारा धरना स्वतः यकमार्ग स्वसरा सं० ६९४ मौजा खौवा भाग सीगा पट्टी के दोनों किनारे पर खडे पेडों की यकमार्ग पर मिट्टी खोदकर उतारने के दौरान कुल ५१ पेड तथा नीव के २७ व करौदा के २२ झाडी उमा पौचों की कागसः अलग-अलग समय ओत दिनांक की दिना खर्चनुमाते प्राप्त किये अवैद्य रुप से उखडवाकर उ० ५० वृत्त संरक्षण अधिनियम १९७६ की धारा ५ व १० तथा मा० उच्चतम न्यायालय की रिट विदेश सं० १३३४१/१९४५ रुम. सी. मेहत वनाना भारत संघ में दफ्तर आर्डि. सं० ५२७ में वृत्तों के अवैद्य फातन (सि. प्रि. पेड अर्लगत) से संभवित धारित आदेश दि० - ०४/०५/२०१५ की अवमानना का अपराध किया है। यही मेरे वयान है।

दिनांक - १२/०३/२०२५

वयानकर्ता

(शरीरव्यय वन रत्नक वीट - नौम रेंज गोवर्धन वन उम्राग मथुरा)



(62)

H-3740-70/2024-25

1/11/2025

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांक 4407 / 35-3 मथुरा, दिनांक 29/03/2025

सेवा में

न्यायिक दण्डाधिकारी,
परगना: मथुरा
मथुरा। 3

विषय :- वन अपराध 15/गीवहिन/24-25 व 72/प्रभाग/24-25 की शिकायत।

महोदय

इस प्रभाग को अपराध संख्या 15/गीवहिन/24-25 व 72/प्रभाग/2024-25 के

निम्नलिखित प्रलेख आपकी सेवा में इस आशय से प्रेषित किये जाते हैं कि सम्बन्धित अभियुक्तों को भारतीय वन अधिनियम की
उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत उचित दण्ड दिया जाये।

1-शिकायत पत्र -1

2-मूल एम-2 चेस संख्या 15/गीवहिन/24-25 व 72/प्रभाग/24-25 सम्बन्धित संलग्नकों सहित

3-न्यायालय से अनुपस्थित रहने हेतु आवेदन पत्र -1

4-उकालतनाम -1

5-नजदीनकता -1

6-मुक्तिज्ञान को दिये गये नोटिस की प्रतियाँ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

पत्रांक 4407 / 35-3 दिनांकित।

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय वन अधिकारी, उपनिर्देशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृपया राजि आख्या में विवरण को वनविद/उपराजिक को सूचित करें।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

Scanned with CamScanner

63

शिकायत पत्र

सेवा में,

म्यावालय, न्यायिक इण्चाधिकारी, मधुरा

15/गोवर्धन/2024-25

अभियोग सं. 12/प्रजाज/2024-25

(१) प्रथम सूचनादाता का नाम एवं पता श्री सुबालपाल वनरसक

(२) अभियुक्तों का नाम व पता

(१) नाम श्वेता डी. एम. सिंह निवासी आदर मधुरा

(२) नाम सतवीर डके सती पुत्र मुख्त्यार

(३) नाम प्रेमचंद पुत्र राम सिंह

(४) नाम पुष्पेन्द्र पुत्र नैरापाल

(५) नाम दिगम्बर पुत्र हरी सिंह

निवास ग्रामीण, आग सीमा पर, श्रीकल्याण सोख

पालिका, मधुरा जिला मधुरा

(३) अपराध की तिथि, समय एवं स्थान :-

(१) तिथि 11/11/2024

(२) समय 10:40 AM

(३) स्थान :- (क) राजी आग सीमा पर, श्रीकल्याण गोवर्धन मधुरा

(ख) ब्लॉक का नाम / सड़क का नाम

(४) अपराध का संक्षिप्त विवरण :-

(१) किस प्रकार की क्षति की गई :-


नाजायज चरान/कटाना जौत/सीमा स्तम्भों को उखाड़ते या तोड़ना आदि

(२) वन क्षति का विवरण :-

(क) नाजायज चरान में पशुओं की प्रजाति व संख्या

(ख) नाजायज कटान में वृक्षों की प्रजाति, संख्या एवं मोटाई (से. मी. में)

(ग) नाजायज जौत में सीमा स्तम्भों की संख्या एवं जौत क्षेत्र (हेक्टर में)



(65)


न्यायालय से अनुपस्थिति हेतु आवेदन-पत्र

न्यायालय श्रीमान डाक्टर मुखर - याचिका मजिस्ट्रेट प्रथम मधुरा ।
 पाना मधुरा इ. प्र. इ. सं. सं. अधिनियम 1978 की धारा 4(10) एवं
 भारतीय वन अधिनियम धारा 26, 41-ए0, 42, 33 अधिनियम संवैधानिक न्यायालय द्वारा गेटवे में डिपॉजिट ड्राफ्टों-
 राज्य उत्तर प्रदेश जिला मधुरा
 इन्वेस्टमन्ट ।

श्रीमान्
 निवेदन है कि प्राचीन अभियोगी अन-सेवक होने के नाते वनपद के राजकीय प्रशासक एवं अन्य कार्यों में व्यस्त
 रहता है और इस केंद्र में प्रतिदिन मुनबाई पर उपस्थिति होने में प्राचीन असमर्थ रहेगा । इसलिये प्राचीन को बोन से
 श्री अलीश चन्द्र वाहरी एडवोकेट, पेनल भागर (न्यायिक अभिभावक) वन विद उपराजिक परधी करेगे
 वतः प्रार्थना है कि इस अभियोग की मुनबाई के दौरान प्राचीन को व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त रखने की
 कृपा की जावे ।

प्राचीन

प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
 मधुरा
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मधुरा



67

अंतिम जाँच आख्या

महोदय,

विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21.11.2024 (सह दर्ज अपराध F.I.R. संख्या 0341/2024 दिनांक 22.11.2024) जाँच मेरे द्वारा घटनाक्रमानुसार प्रारम्भ की गयी दिनांक 30.11.2024 को मौजा घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा स्थित खसरा संख्या 698 क पर बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ पहुँचा। तो पाया कि मौके पर निकाले जा रहे चकमार्ग के किनारे पर कुछ पेड व कुछ झाडीनुमा पौधे जड से उखडे हुये पडे हैं। मौके पर उखडे पडे पेडों व झाडियों की माप व गणना की गयी मौके पर नीम 9 पेड पीपल 1 पेड सहतूत 2 पेड पापूलर 6 पेड, जामुन 1 पेड, शीशम 1 पेड पापडी 1 पेड, अर्जुन 1 पेड व प्रोसोपिस ज्यूलीफलोरा के 5 पेड तथा नींबू प्रजाति के 27 झाडीनुमा पौधे व करोंदा प्रजाति के 22 झाडीनुमा पौधे उखडे पाये गये मौके पर नजरी नक्सा बनाया गया जो संलग्न है। घटनास्थल का निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि सफाई कर नई मिटटी डालकर बनाया गया चकमार्ग के दोनों किनारों से उक्त अंकित प्रजातियों के कुल 27 पेड व नींबू प्रजाति के 27 झाडीनुमा पौधे व करोंदा प्रजाति के 22 झाडीनुमा पौधे जे0सी0बी0 मशीन के द्वारा जड सहित उखाडे गये हैं। उखाडे गये पेड व झाडीनुमा पौधे दर्ज विभागीय वन अपराध में दर्ज की गयी संख्या व माप के अनुरूप ही पाये गये। आस-पास मिले व्यक्तियों से मौके पर पूछताछ की गयी तो नाम उजागर ना करने की शर्त पर उनके द्वारा बताया गया कि उपरोक्त पेडों को व झाडीनुमा पौधों को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी निवासी 1 सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार 2. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह 3. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 4. दिगम्बर पुत्र हरी तथा 5 रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार के द्वारा चकमार्ग की सफाई व चकमार्ग पर दोनों किनारे से जे0सी0बी0 मशीन से मिटटी डलवाने के दौरान उखडवाया गया है। जाँच में उजागर अभियुक्तों के नाम व पिता के नाम दर्ज विभागीय वन अपराध में अंकित अभियुक्तों के नाम व पिता के नाम व पिता के अनुरूप है। उखाडे गये पेड व झाडीनुमा पौधों की भूमि का स्वामित्व स्पष्ट नहीं हुआ।

दिनांक 10.12.2024 को अभियुक्तों के नाम अलग अलग नोटिस जारी कर दिनांक 18.12.2024 को रेंज कार्यालय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने/बयान दर्ज कराने हेतु सूचित किया गया दिनांक 18.12.2024 को नियत समय अभियुक्त दिगम्बर सिंह पुत्र हरी व अन्य अभियुक्त उपस्थित हरे और पूर्व से ही तैयार नोटरी शपथ पत्र /बयान जिस पर अन्य ग्रामीणों के भी हस्ताक्षर थे प्रस्तुत किया एवं सभी अभियुक्तों के द्वारा अपने अलग अलग बयान भी दर्ज कराये गये। इस नोटरी शपथ पत्र /बयान में तथा दर्ज वन अपराध में अंकित अभियुक्तों के द्वारा अलग अलग दर्ज कराये गये बयानों में अपराध किये जाने से इंकार किया तथा आरोप चन्द्रभान पुत्र भेंवर सिंह , रामजीत, हरवीर व भरत सिंह पुत्रगण चन्द्रभान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व जितेन्द्र सिंह पुत्र बदन सिंह निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा पर लगाया है। किन्तु अपराध दर्जकर्ता वनरक्षक श्री कुशलपाल बीट प्रभारी मगोरा व हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के द्वारा उक्त अपराध में दर्ज अभियुक्तों के द्वारा ही वन अपराध किये जाने की पुष्टि अपने बयानों में की है। प्रकरण में बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक के द्वारा पुनः दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/77/प्रभाग/2024-25 दिनांक 08.12.2024 के अनुसार उक्त अंकित अभियुक्तों के द्वारा पुनः नीम के 8 पेड, 3 पेड पापडी, 2 पेड प्रोसोपिस ज्यूलीफलोरा व 1 पेड छौंकर को जे0सी0बी0 मशीन से जड से उखडवाया गया है। उखाडे गये पेड व झाडीनुमा पौधों की तहसील श्री कुशलपाल वनरक्षक के द्वारा




थाना मगोरा में दी गयी की भी जाँच की गयी दर्ज विभागीय वन अपराध में अंकित उखाड़े गये पेड़ों को भी उक्त दर्ज अभियुक्तों के द्वारा ही जे0सी0बी0 से उखडवाकर वन अपराध किया गया है।

दर्ज वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 की भी जाँच मेरे द्वारा दिनांक 26.01.2025 को मौका घटनास्थल पर सम्बन्धि बीट प्रभारी श्री कुशलपाल के साथ पहुँचकर की गयी मौके पर घटनास्थल का नजरी नक्सा बनाया गया नजरी नक्सा 02 दिनांक 26.01.2025 जो संलग्न है। मौके पर बम्बा की तरफ 14 वृक्षों के उखाड़े जाने के साक्ष्य पाये गये आस-पास मौजूद व्यक्तियों से पूछताछ की गयी तो नाम उजागर न करने की शर्त पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त 8 पेड नीम, 3 पेड पापडी 2 पेड प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा (काबली बबूल) व 1 पेड छँकर कुल 14 पेड को दोबारा जे0सी0बी0 लाकर अभियुक्त सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार, नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह, पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल व दिगम्बर पुत्र हरी सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा व रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार थाना मगोरा के द्वारा ही उखडवाया गया है। उक्त उखडवाये गये पेड़ों की सिनाख्त करने सौख कोठी नर्सरी पहुँच कर देखा गया तो उक्त उखाड़े गये पेड़ों का मिलान दर्ज वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 में दर्ज पेड़ों के अनुसार सही पाया गया। प्रकरण में दिनांक 28.01.2025 को उक्त सभी अभियुक्तों को पुनः नोटिस जारी कर दिनांक 03.02.2025 को रेंज कार्यालय गोवर्धन पर अपना पक्ष रखने व बयान दर्ज करने हेतु सूचना दी गयी किन्तु कोई अभियुक्त बयान दर्ज कराने नहीं आये। दिनांक 30.01.2025 को मैं स्वयं हमराह श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा व ग्राम भदार तथा घटनास्थल पर पुनः गया। और अभियुक्तगण को उनके पता ठिकाना पर तलाश किया किन्तु पता चला कि अभियुक्तगण नहीं मिले तब घटनास्थल पर पहुँचने पर अभियुक्त सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश उर्फ सतवीर पुत्र मुखत्यार व कुछ अन्य ग्रामीण घटना स्थल पर मिले जिनके संयुक्त बयान दर्ज किये बयान में स्वीकार किया कि चकरोड पर दोनों तरफ से मिट्टी डालते समय कुछ पेड जे0सी0बी0 मशीन से उखड गये हैं। जिन्हें मौके पर वन विभाग अधिकारी को हमने दिखाया गया है। बयान की प्रति संलग्न है। जिससे सिद्ध है कि पेड बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध रूप से उखाडकर अपराध जान बूझकर किया गया है।

प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व में दर्ज कराये गये बयान दिनांक 18.12.2024 के आधार पर दिनांक 12.03.2025 को देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व चन्द्रमान पुत्र भँवर सिंह को नोटिस प्राप्त कराये गये जिस पर दिनांक 19.03.2025 को उक्त दोनों के द्वारा अपने बयान अलग अलग दर्ज कराये गये। दर्ज बयान में उक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.11.2024 को अचानक गाँव के सत्तो उर्फ सतवीर पुत्र मुखत्यार, नेत्रपाल पुत्र श्याम उर्फ गुलाब, पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल, दिगम्बर पुत्र हरी व अन्य ने जे0सी0बी0 मंगाकर हमारी नर्सरी से पेड व पौधों को उखडवा देना शुरू कर दिया हमारे द्वारा रोके जाने पर भी नहीं माने और हमसे आमदा फसाद हुये। तब वन विभाग को सूचना दिये जाने पर वन विभाग के द्वारा कार्यवाही की गयी। दिये बयानों की प्रति संलग्न है।

उक्त के सम्बन्ध में रिपोर्टकर्ता बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक व उनके हमराह श्री राधेश्याम के भी लिखित बयान दिनांक 12.03.2025 को लिये गये उक्त के द्वारा भी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा स्थित खसरा संख्या 698 क चकमार्ग के दोनों किनारे पर खडे पेड 27 व 14 कुल 41 पेड तथा नींबू के 27 झाडीनुमा पौधे और करोंदा के 22 झाडीनुमा पौधों को अभियुक्त 1 सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार 2. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 3. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 4. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह व सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा मथुरा व 5. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी भदार थाना मगोरा मथुरा के द्वारा जे0सी0बी0 से उखडवाये जाने की पुष्टि की है।



मौके से बरामद सभी 41 पेड़ों की लकड़ी व 49 झाड़ीनुमा पौधे प्रजाति नींबू व करोंदा की जलौनी लकड़ी को सम्बन्धित बीट प्रभारी मगोर्वा श्री कुशलपाल वनरक्षक की अभिरक्षा में रख गया है।

अतः दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/72 प्रभाग/2024-25 दर्ज दिनांक 21.11.2024 तथा उसी घटनास्थल पर उन्ही समान अभियुक्तों के द्वारा पुनः किये गये समान वन अपराध में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/77 प्रभाग/2024-25 दिनांक 08.12.2024 की लगातार जाँच किये जाने के निष्कर्ष में घटनास्थल मौजा ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्वा जिला मथुरा स्थित खसरा संख्या 698 क चकमार्ग के दोनों किनारों से जे0सी0बी0 मशीन द्वारा ताज ट्रिपोजियम जोन के अंतर्गत बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये अवैध रूप से उखाड़े गये उपरोक्त विभिन्न प्रजाति के 41 पेड़ एवं 27 नींबू प्रजाति व 22 करोंदा प्रजाति के झाड़ीनुमा पौधों को वन अपराध अभियुक्त (1) सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुख्त्यार (2) नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाब सिंह (3) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पी पुत्र नेत्रपाल (4) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्वा जिला मथुरा एवं (5) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार थाना मगोर्वा जिला मथुरा के विरुद्ध वखूबी सिद्ध होने फलस्वरूप अंतर्गत धारा 4 व 10 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली की रिट पिटीशन 13381/1984 की आई0ए0 संख्या 527 में ताज ट्रिपोजियम जोन के अंतर्गत वृक्षों का अवैध पातन किये जाने से सम्बन्धित पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 का खुला उल्लंघन किये जाने के अपराध में आरोप पत्र माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 प्रथम मथुरा को बजरिये अधिकृत अधिवक्ता प्रस्तुत किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि साक्ष्य और गवाहान को तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

उक्त मामले में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08.12.2024 तथा थाना मगोर्वा मथुरा में सह दर्ज अपराध संख्या 0341/2024 दिनांक 22.11.2024 एक ही घटनास्थल पर समान धाराओं में एवं समान अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज है।

संलग्नक:-

1. दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 25.11.2024 मय फर्द बरामदगी, सुपुर्दगीनामा, नजरीनक्सा, व अभियुक्तों को अलग अलग प्रेषित नोटिस बयान आदि।

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज।
पश्चिम प्रभाग/जी०/35-1 दिनांक 10/12/2025

सेवा में

उप्राधीय निदेशक
वन वन प्रशासन
मथुरा।

प्रहोदय

उपरोक्त म.सं.संख्या 15/जी०/24-25 की जाँच श्री अमन चौधरी
न हयोगी से जारी गयी उनकी जाँच से सहमत है अतः क्षेत्र की मा० न्यायालय
में अपेक्षित की संस्तुति सहित उपरोक्त महोदय की सेवा में प्रेषित है।

@man 14-03-25
अमन चौधरी वनदरोगा

जाँच अधिकारी

1. न्यायालय में भजन की लकड़ी की जाँच।

अधिवक्ता
न्यायालय
मथुरा



संज्ञा सं. 15/2024-25

प्रमाण सं. 72/2024-25

1299

वन विभाग उ०प्र० परिधि (सर्किल) बृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) ... मधु.रा. ...
उ. प्र. वृक्ष संरक्षण अधि. 1976 की
अन्य अपराध ... प्रसूचना (रिपोर्ट) सं. ... दिनांक 21/11/2024 ... अधिक्षेत्र राजि. गोवर्धन ...
धारा 4/10

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान

1. रवेन्द्र 3/0 प्रेमसिंह नि. ग्राम मदार, पो. सौख
तहसील - गोवर्धन थाना मर्गीरा जिला मथुरा

2. साक्षी का नाम

2. सतवीर उर्फ सली 3/0 मुख्तयार
3. नेत्रपाल 5/0 श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह
4. पुष्पेन्द्र 5/0 नेत्रपाल
5. दिगम्बर 5/0 हरी

3. कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक

निवासीगण - ग्राम श्योबा भाग सीजापट्टी पो. सौख
तहसील - गोवर्धन, थाना - मर्गीरा जिला - मथुरा

Co. P.S. N - 27°40'50"

4. मूल्य

E - 77°51'06"53"

आज दिनांक 21/11/2024 को ग्राम श्योबा भाग सीजापट्टी
खंडरोड के डिगरे 9 पेड़ नीम 140, 60, 54, 70, 67, 53
70, 73, 127, 1 पेड़ पीपल जोलाई 60, 1 पेड़ शीराम जोलाई
70, 86, 62, 57, 62, 65, 1 पेड़ जामुन जोलाई 50, 1 पेड़
पापड़ी जोलाई 40, 5 पेड़ प्रोसोपिस ज्यू जोलाई 35, 89
45, 60, 67, 1 पेड़ अर्जुन जो 77 से.मी. कुल 27 पेड़ तथा
27 पौधे नींबू, 22 पौधे करोंदा (0-1) व्यास वर्ग को
बिना अनुमति के ज.स.स. मशीन द्वारा उखाड़ना।

5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

गवाह


(राधेश्याम) व.र.

महोदय,
निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 21/11/2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मय हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सीजापट्टी पर लगभग 10:40 AM बजे पहुँचे तो देखा कि खंडरोड के डिगरे पर 9 पेड़ उखाड़े मिले जिनकी नमत डी गयी तो 9 पेड़ नीम जिनकी जोलाई क्रमशः 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73, 127, 1 पेड़ पीपल जोलाई 60, 1 पेड़ शीराम जोलाई 44, 2 पेड़ सहकृत जोलाई 60, 70, 6 पेड़ पॉपुलर जोलाई 70, 86, 62, 57, 62, 65, 1 पेड़ जामुन जोलाई 50, 1 पेड़ पापड़ी जोलाई 40, 5 पेड़ प्रोसोपिस ज्यू जोलाई 35, 89, 45, 60, 67, 1 पेड़ अर्जुन जोलाई 77 से.मी. कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नींबू (0-1) व्यास वर्ग, 22 पेड़ करोंदा (0-1) व्यास वर्ग के पेड़ - पौधे उखाड़े मिले, कटि बरामदगी मोठे पर बनानी गयी। जो संलग्न हैं बरामद लउड़ी को चन्द्रबान पुत्र भेवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सीजापट्टी पोस्ट- सौख तहसील - गोवर्धन, थाना मर्गीरा जिला मथुरा की सुपुर्वीनामा संलग्न है तथा आस-पास रहने पर रात डमा गयी। सुपुर्वीनामा संलग्न है तथा आस-पास रहने पर रात डमा कि उम्त पेड़ों को काँलम न. 1 में दर्ज व्यक्तियों के द्वारा उखाड़ करे गये हैं। उम्त व्यक्तियों द्वारा उ. प्र. वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 एवं 10 के अंतर्गत तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11/2 क्षेत्र में दिये गये आदेश दिनांक 18/05/2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है।
अतः रिपोर्ट महोदय से सेवा में सादर प्रेषित है।

प्रमाणित निदेशक
सा. वा. वन प्रभाग
मथुरा

उम्त केस की प्रथम
पुनः जांच अधिकाारी गणित
ने हेतु सादर प्रेषित है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज, मथुरा



(कुशलपाल) व.र.

नजरी नकसा धरना नं० 1 दिनांक 21/11/2024 को
 दर्ज विभागीय वन अपराध सं० 15/जोवधन/2024-25
 सह दर्ज F.I.R. सं०-0341/2024 दि० 22/11/2024

घटना स्थल खसरा संख्या 698 क अनुभागी भौजा/ग्राम-शमोबा भाग सिंगापरी
 तहसील जोवधन जिला मधुपुरा 27 पेड व नीचे के 27 व करोंछा के
 22 जाडानुमा पौधों का अर्थ कथन।




संकेत-घटना स्थल खसरा सं० 698 क अर्थात् 27 पेड व 27 नीचे के व 22 करोंछा
 के जाडानुमा पौधों के अर्थ कथन को A-B व XXX से
 दर्शाया गया है।

गवाह

नजरी नकसा भौजा घटना स्थल निरीक्षण दिनांक
 30/11/2024 को मेरे द्वारा बनाया गया।

(कुशल फील लिटें व-रं)
 वन बीट भगोरी
 रंज गोवधन



@man
 अग्रन-चौधरी लुनदरोगी
 वन अनुभाग चौधरी
 गोवधन

72

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम ...
तहसील - गोवर्धन, धाना भगौंटा
जिला - मथुरा



आपको बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत ...
दिनांक 21/11/2024

जुर्म आयाद हुआ है।

मत: आप व तारीख 15/12/2024 व समय 11:00 AM पर
व मुकाम कायालय इन्जीन वन अधिकारी गोवर्धन राज, जनीपुरा रोड
को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा 3-5-3 संसद अधिन 1276 की
कायम किया जाये। धारा 4-10

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल-समात न होगा।

(Signature)
फॉरेस्ट ऑफिसर
चौकहा



RG717958891N ITR-6285711705889
K. GEMERHAN SU <281502>
Counter No:1.10/12/2024.13:17
To:RG717958891N
Sent: 21/11/2024, 13:17

73

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम दिनांक १५/०९/२०२४
पिन २०१००१, नए - जीव रीन
भाना मंगोटा पिन २०१००१



दिनांक १५/०९/२०२४ - २५

जो बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत
दिनांक २१/११/२०२४

आयाद हुआ है।

1: आप व तारीख १६/१२/२०२४ व समय ११:०० एम वने
मामाम मंगोटा वन अधिकारी जीव रीन, पत्नी २०१
मुकाम रावड़ी पुरेरा अंलिज के सामने जीव रीन, मंगोटा
हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
उ० ए० प्र० सं० सं० अंलिज के सामने
मुकदमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा १९७६ की धारा ४/१० में
पम किया जाये।

आप उक्त मुताबिक हाजिर व आर्ये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
नीम है और बाद कार्यवाही मुकदमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man
फॉरेस्ट ऑफिसर
मंगोटा पिन २०१००१
चौबुडों



8071705875 INR:8285711705875
BL GANESHPAN SO 0281502
Counter No:1,10/12/2024,13:17
To:DLG/MS/98
PIN:281123, South SO
From:KARNALAY CH,GR
M:10ms,REB-17,0
A:1:25.%,Iax:3.9%,Aet,Paids:26.00(Cash)
(Track on www.indiapost.gov.in)
Dial:19002668888 Clear Fees, Stay Safe

(74)

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम ...श्री. अ. क. मौर्या...



पिन क़ाम शमोला भाग खीजापट्टी
पोस्ट लॉन्ग, तह - गीवरसिन
थाना मर्गाटा जिला मधुप

रेजिस्ट्रेशन सं० 15/गो०/20 24-21

आपको बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत ...

दिनांक 21/11/20 24

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख 18/12/20 24 व समय 11:00 AM बजे
आपको लक्ष्मी नगर 21/11/20 24 गीवरसिन रेज, मर्गाटा रोड
व मुकाम शमोला शहर जिला मधुप के सामने गीवरसिन, मधुप

को हज़िर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा 3, 4, 5 व 6 में 1976 की
कायम किया जाये। धारा 4/10

यदि आप उक्त मुताबिक हज़िर व आर्ये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man
फॉरेस्ट ऑफिसर
चौमहाँ



75

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम सतवीर उके सलो ९० मुख्यमार
 नि० ज० म शमोका, आग लीगापटी
 पौर सौख तह० गोवर्धन
 भाचा मर्गा हा, म पु॥



बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत
दिनांक 28/11/2024

माद हुआ है।

प व तारीख 18/12/2024 व समय 11:00 AM बजे
इमामुलम शेजाय व न अधिकारी गोवर्धन रेंज, जमीपुरा रोड,
शहरी प रेंजर कालेज के लक्ष्मि गोवर्धन, म पु॥

अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
 अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा ड० ए० प्रम सं० १९७६ में
धारा 4/10
 या जाये।

क्त मुताबिक हाजिर व आर्ये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
 नौर बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man
 फॉरेस्ट ऑफिसर
 अन्तर्गत अधिकारी
 चौमहाँ



9711703532IN INR:828571705958
 R. GODESHAM SU: C81502
 Counter No:1.10/12/2024.13:17
 To: SATYMEER
 PIN: 201123, South SO
 From: HARRINAY CH: SWR
 Mts: 10ms, RSP: 17.0
 Amt: 25.96, Tax: 3.96, Amt. Paid: 28.92 (Cash)
 (Track on www.indiapost.gov.in)

76

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनामनेपाल, १/० श्याम सिंह उर्फ अलाव सिंह



नि० अम श्यावा, भाग सीतापट्टी
पोस्ट सौदा, बहलील - गोरखपुर
माना मजौरा जिला मथुरा

रेंज डेल सं० 15/जी०/2014-25

नो बजरिये नोटिस इत्तिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत
दिनांक 21/11/2024

भायाद हुआ है।

आप व तारीख 18/12/2024 व समय 11:00 AM वजे
आपलियम निगम वन अधिशासक गोरखपुर, लखीपुर रोड,
काम राउरी प्रोटेक्टर ऑफिस के लागये गोरखपुर

जिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा 30 प्रोविसोरी सेक्शन भाग 1976
में किया जाये।
की धारा 4/10

आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
मेम है और बाद कार्यवाही मुकदमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@mar
फॉरेस्टर आफिसर



RUP1705288IN ITR:REG571705288
PL GOVERNMENT SO 281502
Campar No:1.10/12/2024.13:17
TeNETRPA...

PN:281123. Scnbh 50

FRONTIERALAY CH, GNR

Millions, REG-17.0

Am:25.36.Tax:3.96.Ant.Paid:24.00(Cash)

Track on www.isolaintel.com.in

Chal 18092668889: Wear Masks. Stay Safe

77



Government of Uttar Pradesh

IN-UP08539596804401W

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP08539596804401W
 Certificate Issued Date : 18-Dec-2024 03:00 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/up14570504/ MATHURA SADAR/UP
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1457050414057051217865W
 Purchased by : DIGAMVAR SINGH SO HARI SINGH
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : NA
 Consideration Price (Rs.) : DIGAMVAR SINGH SO HARI SINGH
 First Party : DFO MATHURA
 Second Party : DIGAMVAR SINGH SO HARI SINGH
 Stamp Duty Paid By : 10
 Stamp Duty Amount(Rs.) : (Ten only)



SPECIAL STAMP
संमति-श्रीमान् प्रभागीय वन अधिकारी महोदय, मथुरा

वन विभाग मथुरा (उ०प्र०)

शपथपत्र मिनजानिव-दिगम्बर सिंह पुत्र श्री हरीसिंह आदि निवासीगण ग्राम
श्रीबा भाग सीगापट्टी तहसील गोवर्धन थाना मगोर्ग जिला मथुरा उम
करीब 25 वर्ष, पेशा-कृषि आदि।

शपथकर्तागण धर्म से शपथपूर्वक निम्न व्यान करते हैं कि-

यह कि शपथकर्तागण उपरोक्त पते के स्थाई निवासी हैं तथा
शपथकर्तागण के नाम व पते पर अन्य कोई व्यक्ति निवास नहीं
करता है एवं शपथकर्तागण उक्त घटना के तथ्यों से भर्ती भोंति
परिचित हैं।



दिगम्बर सिंह

78

//2//


- 2- यह कि शपथकर्तागण के ग्राम के व्यक्ति दिगम्बर सिंह आदि ने ग्राम श्यौबा के चकमार्ग यानि सरकारी रास्ता के खसरा सं०-698क, रकवा-0.9510 हैक्टे० की मौके पर पैमाइश यानि चिन्हित कराने और मौके पर निकलवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 07/11/2024 को श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, गोवर्धन के यहाँ दिया था, उक्त प्रार्थना पत्र पर श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन ने आदेश दिनांक 07/11/2024 को राजस्व टीम तहसील गोवर्धन की गठित कर मौके पर नापकर निशानदेही को आदेश किया था । आदेश दिनांक 07/11/2024 के अनुपालन हेतु दिनांक 09/11/2024को तहसील गोवर्धन की टीम मौके पर गयी और नापकर चकरोड को चिन्हित करके वापिस आ गयी ।

यह कि दिनांक 09/11/2024 को ग्राम श्यौबा के दबंग व्यक्ति चन्द्रभान पुत्र श्री भंवर सिंह व रामजीत व हरवीर व भरतसिंह पुत्रगण चन्द्रभान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदनसिंह व जीतेन्द्र सिंह पुत्र बदन सिंह निवासीगण श्यौबा भाग सीगापट्टी ने उक्त रास्ते में खड़े

पेड़ों को रात्रि में जे०सी०बी० से उखड़वा दिया है तथा रंजिशवश वन विभाग के दफतर में आकर शपथकर्तागण के ग्राम के सीधे साथे व्यक्तियों के नाम बताकर वन विभाग के कर्मचारियों को गुमराह कर ग्राम के रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि० भदार व सत्यवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुख्त्यार सिंह व नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाब सिंह व पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल व दिगम्बर सिंह पुत्र हरीसिंह निवासीगण ग्राम श्यौबा भाग सीगापट्टी के विरुद्ध रंजिशवश थाना मगोरा में रिपोर्ट झूठी दर्ज करा दी है जो कि असत्य है ।

- 4- यह कि उक्त रास्ते में से वन विभाग के पेड़ों को चन्द्रभान पुत्र भंवर सिंह व भरतसिंह व रामजीत व हरवीर पुत्रगण चन्द्रभान व देवेन्द्र फौजदार व जीतेन्द्र सिंह पुत्रगण बदन सिंह निवासीगण ग्राम श्यौबा भाग सीगापट्टी ने रात्रि में जे०सी०बी० से उखाड़ दिया है तथा ग्राम के सीधे साथे व्यक्तियों के रंजिशवश नाम बताकर थाना मगोरा में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है जो कि झूठे नामों के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है ।

दिगम्बर सिंह



79

//3//

5- यह कि शपथपत्र की मद सं० 1 लगायत अन्तिम का ज्ञान मेरी निजी जानकारी में सत्य व सही है, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है, ईश्वर मेरी मदद करे ।

विद्याम्वर सिंह

ह० शपथकर्तागण

ग्रामवासी ग्राम श्यौबा

भाग सीगापट्टी

तह० गोवर्धन जिला मथुरा।




दिनांक-18/12/2024

The Contents of the Affidavit Documents Read over and explained to and by the Affiant who is present and says that he is the owner of the land & contents of the Affidavit Documents are true & correct & he is not aware of any other person who is interested in the land.

ADVOCATE
LUCKNOW

- 1) विवेक शर्मा
- 2) रामगोपाल
- 3) बाबूजी सिंह
- 4) धर्मपाल सिंह
- 5) नरेश कुमार
- 6) चंद्रकांत
- 7) अशोक कुमार
- 8) अशोक कुमार सिंह
- 9) प्रदीप सिंह
- 10) जीतेंद्र सिंह
- 11) शोभा
- 12) वनेश
- 13) प्रदीप सिंह
- 14) Monukumari
- 15) वैद्यनाथ
- 16) नरेश
- 17) शोभा

- 18) मितलु
- 19) विद्याम्वर सिंह
- 20) नारायण सिंह
- 21) अशोक कुमार
- 22) हनुमंत कुमार
- 23) प्रदीप
- 24) केशव सिंह
- 25) Ramesh
- 26) प्रदीप
- 27) लक्ष्मी
- 28) राम
- 29) प्रदीप
- 30) प्रदीप
- 31) शोभा
- 32) Singh
- 33) शोभा
- 34) मंगल
- 35) नरेश कुमार
- 36) रामजी



(80)

सवामें

श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय गोवर्धन
जि० मपुरा (उ०प्र०)

में दिगम्बर सिंह पुत्र श्री हरि सिंह नि० ग्राम श्योवा भाग - सीगापट्टी तह-
गोवर्धन थाना - भगोरी जि० मपुरा उस करीब 35 वर्ष, पेशा - कृषि !
प्राणी नै तथा प्राणी के गाँव के लगभग 10 व्यक्ति ने सरकारी चकमार्ग
को चिह्नित करने हेतु दिनांक 07-11-2024 को पैमाइश मौके पूर करने हेतु
श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन के यहाँ रुक प्राधान्य पत्र दिया
था। प्राणी व गाँव के अन्य व्यक्तियों के प्राधान्य पत्र पर श्रीमान उप जिलाधि-
कारी महोदय गोवर्धन के आदेश दिनांक - 07-11-24 पर तहसील गोवर्धन
की राजस्व टीम सरकारी चकमार्ग सं. 698 क रकबा 0.9510 है० की मौके
पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन मपुरा ने दिनांक - 09-11-2024 को उक्त
चकमार्ग की मौके पर चकमार्ग सं- 698 क को चिह्नित कर उसी दिन उसी
समय जी. सी. बी. से उक्त रास्ते की अड्डलवायी एवं रास्ता में जो पेड़ खड़े
थे उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में भेड़ें डलवायी थी। राजस्व टीम
के पैमाइश कर जाने के बाद गाँव के दबंग व्यक्ति चन्दमान पुत्र भवर सिंह
व भरत सिंह पुत्र चन्दमान व रामजीत पुत्र चन्दमान व हरवीर पुत्र चन्द-
मान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व जतिन्द्र पुत्र बदन सिंह नि० गणेश
वा भाग सीगापट्टी थाना - भगोरी ने रास्ते में जी. सी. बी. से उक्त पेड़ को
उखाड़वा दिया था और वन विभाग के कर्मचारियों को पीढ़े से गुमराह
कर प्राणी व गाँव के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध राजेशवश थाना भगोरी
में हमलोगों के विरुद्ध वन विभाग पेड़ों को उखाड़ने की डूँगी रिपोर्ट दर्ज
करा दी है जिससे थाना भगोरी से हमारे लिखे पत्राने जाने की सूचना भिज
वायी मयी है जबकि प्राणी ने वन विभाग के पेड़ नहीं उखाड़े है। वन
सुनकर तस्दीक किया।

दिनांक - 18-12-2024

दिगम्बर सिंह प्राणी

दिगम्बर सिंह श्री हरि सिंह
गाँव - श्योवा, सीगापट्टी
पारट - सौरक, जिला - मपुरा
मो० न० - 9760902816



सन्तो

श्री मान कौलीय वन अधिकारी मेटाद्रुप गोवर्धन
जिला-मथुरा ५०५०

मैं सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुख्तियार सिंह नि० ग्राम स्यौवा, सीगापट्टी
तहसील-गोवर्धन, थाना-मगोरी, जिला-मथुरा उम्र करीब 55 वर्ष
वशा-कृषि, जापान तथा जापान के गाँव के लगभग 10 व्यक्ति ने सरकारी
चकमार्ग को चिन्हित करीने हेतु दिनांक ०७-११-२०२४ की पैमाइश मौके पर
कराने हेतु श्री मान उपजिलाधिकारी मेटाद्रुप गोवर्धन के पट्टी एक जापान पत्र
दिया था। जापान व गाँव के अन्य व्यक्तियों के जापान पत्र पर श्री मान
उपजिलाधिकारी मेटाद्रुप, गोवर्धन के उत्तर दिनांक ०७-११-२०२४ पर तहसील
गोवर्धन की राजस्व टीम सरकारी चकमार्ग सं० 698 क रक्बा ०.३51० हे०
की मौके पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन मथुरा ने दिनांक ०३-११-२०२४ को
उक्त चकमार्ग की मौके पर चकमार्ग सं०- 698 क को चिन्हित कर उसी
दिन उसी समय जे.सी.बी.से उक्त रजिस्टर की में उलवापी एवं राजस्व में जो
पेड कर दिए उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में में उलवापी थी राजस्व टीम
के पैमाइश कर जोने के बाद गाँव के वंग व्यक्ति चन्द्रभान अ. भवर सिंह
व भरत सिंह व हरवीर सिंह व रामजीत पुत्र गण चन्द्रभान, व देवेन्द्र कौज्यार
व जीतिन्द्र 51% वदन सिंह निवासी गण-गाँव स्यौवा भाग सीगापट्टी, पो० सौरव
तहसील-गोवर्धन, थाना-मगोरी, जिला-मथुरा ने जे.सी.बी.से उक्त पेडों के
उलवाइया दिया था और वन विभाग के कर्मचारियों को पेट्टी से गुमराह कर
जापान व गाँव के कुछ व्यक्तियों के किराए रजिशाकश थाना मगोरी में हमलगी
के किराए वन विभाग ने पेडों को उखाड़ने की ड्यूटी रिपोर्ट दर्ज करा दी है।
जिससे थाना मगोरी से हमारे लिपि थाने आने की सूचना मिलनायी गयी है।
जबकी जापान वन विभाग के पेड नष्टी उखाड़े है। ध्यान सुनकर तस्दीक किया

दिनांक-18-12-2024

सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश
जापान

सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश अ. मुख्तियार
निवासी-स्यौवा, सीगापट्टी
पो० सौरव थाना-मगोरी, जि० मथुरा



सेवा में

श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय, गोवर्धन

जि. मथुरा (उ.प्र.)

में जे.ए.एल. सिद्ध पुत्रजी श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह गाँवस्थीय
 भाग सीगापट्टी तहसील गोवर्धन थाना - मगोरी जि. मथुरा उ.प्र. करीब
 118 वर्ग पैशा - कृषि प्रथी से तथा प्रथी के गाँव के लगभग 10 व्यक्तियों
 ने सरकारी चकमाग को चिन्ह कराने हेतु दिनांक 07-11-2024 को
 पैगाइश भोके पर कराने हेतु
 श्रीमान, उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन के पक्ष स्थ. प्रार्थना पत्रादिना
 का प्रथी व गाँव के अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान उपजिलाधिकारी
 महोदय गोवर्धन के आदेश दिनांक - 07-11-2024 पर तहसील गोवर्धन की
 राजस्व टीम सरकारी चकमाग सं. 698 क रकम 0.9510 हे. की भोके पर
 राजस्व टीम तहसील गोवर्धन मथुरा से दिनांक 09-11-24 को उक्त चकमाग
 की भोके पर चकमाग सं. 698 क का चिन्ह कर उसी दिन उसी समय
 जे.सी.वी. से उक्त शांति की मेंड इतनाभी खंब जारते स. जो चेड रवड
 के इनको राजस्व टीम की उपस्थिति से मेंड इतनाभी थी राजस्व टीम
 के पैगाइश कर जाने के बाद गाँव के दंगल व्यक्ति चक्रमाग पुत्र भवर सिंह,
 बरत सिंह, श्यामजील, हरवीर पुत्र श्याम चक्रमाग, व के.के.एस. फौजदार पुत्र वदन सिंह
 व जी.ते.एस. पुत्र वदन सिंह निवासी गण श्याम भाग सीगापट्टी थाना मगोरी से शक्ति से
 जे.सी.वी. से उक्त पेडा के उखडवा दिपाया और वनविभाग के कमिश्नरियों की
 पीड से बुमराह कर प्रथी व गाँव के कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध राजेश वश
 थाना मगोरी सिद्ध लोगो के विरुद्ध वनविभाग से पेडा के उखडवाने की
 भूखी रिपोर्ट दल करा दी जिससे थाना मगोरी से हथारे लिए थाने जाने की सूचना
 भिजवायी गयी जबकि प्रथी से वनविभाग के पेडा लठी उखडवा हे थाना सुनकर
 तहसील विपा


पार्थ

दिनांक 18.12.2024

जे.ए.एल. सिद्ध उ.प्र. श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह

निवासी श्याम.पोस्ट शोरेव

Mch. No. 23 93 9375 80



(83)

शेखर से-

श्रीमान श्रीमान वन अधीक्षारी अद्योदध, गोवर्धन
जि. अजमेरा (उ.प्र.)


मैं पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल गाँव - रघौवा भांग सीतापट्टी तहसील गोवर्धन जिला मगोरस जि. अजमेरा
उम्र करीब 22 वर्ष सेवा शिक्षार्थी- प्रार्थी ने तथा प्रार्थी के गाँव के लगभग 10 व्यक्तियों
ने सरकारी चकमाग की विन्त कराने हेतु दिनांक 07-11-24 को पैसाइश गीके
पर कराने हेतु-

श्रीमान उपजिलाधिकारी अद्योदध गोवर्धन के यहाँ शक प्रार्थना पत्र दिना वा प्रार्थी
व गाँव के अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान उपजिलाधिकारी अद्योदध
गोवर्धन के आदेश दिनांक 07-11-2024 पर तहसील गोवर्धन की राजस्व
टीम सरकारी चकमाग सं. 698 क रकमा 0.3510 हे. की भौके पर राजस्व टीग
तहसील गोवर्धन अजमेरा ने दिनांक 09.11.2024 को तुकत चकमाग की भौके
पर चकमाग सं. 698 के के विन्त कर उसी दिन उसी समय जे.सी.जी. से
तुकत रास्ते की गेट डलवापी एवं रास्ते में जी.पेट शवर्ड से उनको राजस्व
टीग की उपस्थित में गेट डलवापी की राजस्वटीम के पैसाइश कर जान के साथ
गाँव के द्वांग व्यक्ति चन्द्रमान पुत्र चंवरसिंह, भरतसिंह पुत्र चन्द भाग रामजीर
पुत्र चन्द्रमान हरवीर पुत्र चन्द्र भाव, व देवेन्द्र पौजदार, जीतेन्द्र पुत्र गण गदग सिंह
निवासी गण रघौवा भाग सीतापट्टी जिला मगोरस ने शक्ति से जे.सी.जी. से
तुकत पेटा के तुरवडवा दिना वा और उनका भाग के कर चार्जियों को पीर से
गुमराट कर प्रार्थी व गाँव के कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध शक्ति वश पाना
मगोरस में हथ लोगो के विरुद्ध वच विभाग से पेटों के तुरवडवाने की सूची
विपरीत दर्ज करा दी जिसमें पाना मगोरस से हथारे फिर पाने गाँव की सूचना
मिलवायी गयी जावकि प्रार्थी ने वन विभाग के पेट नहीं उखाड्डे व पान सुनकर
तस्दीक किया

दिनांक 18.12.2024

पुष्पेन्द्र प्रार्थी

पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल
निवासी रघौवा-मोरप




फर्द बरामदगी

आज दिनांक 21/11/2024 को समय लगभग 11:00 AM को घटना स्थल श्रीमती जयश्री सिंगपुरी
पकरोडा के किनारे पर पर कटी पडी लकड़ी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष
 संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका
 विवरण निम्न प्रकार है।

बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा

क्र.सं.	प्रजाति	गोलार्ध	सेमी०	आप्टीयुक्ति	
1-	नीम	140	सेमी०	सम्पूर्ण चेड़	
2-	"	60	"	"	
3-	"	54	"	"	
4-	पीपल	60	"	"	0 से 1 व्यास वर्ग से
5-	शहदरत	60	"	"	रीबू-27-चेड़
6-	पापूलर	70	"	"	पकरोडा-22-चेड़
7-	"	86	"	"	
8-	"	62	"	"	जलोती लकड़ी
9-	"	57	"	"	वजन लगभग
10-	"	65	"	"	90 kg
11-	जाड़न	50	"	"	
12-	नीम	70	"	"	
13-	"	67	"	"	
14-	शहदरत	70	"	"	
15-	पापडी	48	"	"	
16-	पापूलर	62	"	"	
17-	शिसम	44	"	"	
18-	नीम	53	"	"	
19-	जमोली लोरा	35	"	"	
20-	नीम	70	"	"	
21-	"	73	"	"	
22-	जाड़न	77	"	"	
23-	गवाह हस्ताक्षर नाम व पता	जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर नाम व पता			बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर
24-	"	45			
25-	"	60	"		
26-	"	67	"		
27-	नीम	127	"		

बरामद
 कर



बरामद करने वाले
 अधिकारी का नाम/पदनाम व
 हस्ताक्षर
 कुशल पाल
 वन रक्षक

(85)

सुपुर्दगीनामा

मै. चंद्र भाव पुत्र श्री अंवर सिंह निवासी ग्राम १ गोवा भाग पोस्ट सोरव
 तहसील गोवर्धन थाना मवोरा जिला मधुपुरा को मूल निवासी हूँ दिनांक 21/11/2024
 को समय लगभग 11:15 AM बजे घटना स्थल गांव १ गोवा भाग (सीवापट्टी) से
 निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को अपनी सुपुर्दगी में लेता हूँ जब भी मा० न्यायालय या वन विभाग
 उक्त सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को माँगेगा तो मैं बिना हर्जे खर्चे के वहाँ तक पहुँचाऊँगा।

सम्पत्ति/प्रकाष्ठ का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	प्रजाति	गोलाई मेगीठ	आकृति/विवरण	टिप्पणी
1-	सीम	140-मेगीठ	सम्पूर्ण पेड़	
2-	"	60 - "	"	
3-	"	54 - "	"	
4-	पीपल	60 - "	"	
5-	शहदत	60 - "	"	
6-	पापल	70 - "	"	
7-	"	86 - "	"	
8-	"	62 - "	"	
9-	"	57 - "	"	
10-	"	65 - "	"	
11-	जामुन	50 - "	"	
12-	सीम	70 - "	"	
13-	"	67 - "	"	
14-	शहदत	70 - "	"	
15-	पापल	48 - "	"	
16-	पापल	62 - "	"	
17-	सीम	44 - "	"	
18-	सीम	53 - "	"	
19-	जामुनी लोरा	35 - "	"	
20-	सीम	70 - "	"	
21-	सीम	73 - "	"	
22-	अर्जुन	77 - "	"	
23-	जामुनी लोरा	69 - "	"	
24-	" "	45 - "	"	
25-	" "	60 - "	"	
26-	" "	67 - "	"	
27-	सीम	127 - "	"	

0 से। पास करके
 सीम-27- पेड़
 करी 4-22- पेड़
 जलोनी लकड़ी
 जमान लगभग
 90 kg

सुपुर्दगी लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
 नाम व पता मोबाईल नम्बर

सुपुर्दगी देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
 नाम व पदनाम

21- सीम — 73- "
 22- अर्जुन — 77- "
 23- जामुनी लोरा — 69- "
 24- " " — 45- "
 25- " " — 60- "
 26- " " — 67- "
 27- सीम — 127- "


 कुशल पाल
 व.र.

चंद्र भाव - रचोवा
 9410446249



(86)

नोटिस

सेवा में,

श्री देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह
निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, मथुरा।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत वन अपराध संख्या संख्या 15/गो0/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गो0/2024-25 दर्ज हुए हैं। विभाग द्वारा की कार्यवाही में निष्पक्ष जाँच हेतु बतौर जाँच अधिकारी मैं आपको बजरिये नोटिस इत्तिला करता हूँ कि उक्त प्रकरणों में आप दिनांक 19.03.2025 को कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज (जतीपुरा रोड़ राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज के सामने गोवर्धन) पर समय 11:00 AM बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष/बयान मय साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें जिससे ससमय निस्तारण किया जा सके।

लक्ष्मी प्रसाद
12/03/25

@man 11.03.25
जाँच अधिकारी
वन विभाग अधिकारी
गोवर्धन रेंज
मथुरा



(2)

(88)

वसंत

मेरी सारा दुकान वहां पहुँचने पर फिर 112 को कागस
 कर कर के गुलवाया गया था जब तक की मोग बहुत
 थोड़ी संख्या में पेटों को उखाड़ चुके थे
 112 नं. द्वारा उनसे रिक्लामिंग मीटिंग कायदा की गयी थी
 गयी तब मुझे वन विभाग को इसकी सूचना दी
 इसके पिन वन विभाग के अधिकारी मीटिंग पर पहुँचे
 तो निम्न लिखित लोगों के रिक्लामिंग वन विभाग द्वारा
 पेटों की पुर्ची कराकर कर कायदा की गयी थी
 अर्थात्: जो मोग पेटों को उखाड़ रहे मीटिंग से जानता था
 उनसे नाम निम्न लिखित

- 1 - सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्तियारी निवासी श्यावा
- 2 - मंगल पाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह श्यावा
- 3 - पुष्पेन्द्र पुत्र मंगल पाल उर्फ पुष्पेन्द्र श्यावा
- 4 - किशोर पुत्र हीर सिंह उर्फ श्यावा
- 5 - बालवीर उर्फ शंभू पुत्र रामचन्द्र उर्फ श्यावा
- 6 - बंदापुत्र पुत्र किशोर उर्फ श्यावा

आय 15-20 लाखों के लाख मीटिंग पर
 मिले थे.

19/03/2025

देवेंद्र मीनदार SP वन विभाग
 निवासी श्यावा सीतापुर
 मोब - 9837049037

(89)

नोटिस


सेवा में,

श्री चन्द्रभान पुत्र भेंवर सिंह
निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, मथुरा।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत वन अपराध संख्या संख्या 15/गो0/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गो0/2024-25 दर्ज हुए हैं। विभाग द्वारा की कार्यवाही में निष्पक्ष जाँच हेतु बतौर जाँच अधिकारी मैं आपको बजरिये नोटिस इत्तिला करता हूँ कि उक्त प्रकरणों में आप दिनांक 19.03.2025 को कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज (जतीपुरा रोड़ राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज के सामने गोवर्धन) पर समय 11:00 AM बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष/बयान मय साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें जिससे ससमय निस्तारण किया जा सके।

रजक प्रती पृष्ठा श्री-
-प.के.म.०२
12-03-2025


@man 11-3-25
जाँच अधिकारी
वन विभाग, अधिकारी
गोवर्धन रेंज
मथुरा



गवदा

मैं चन्द्रमनसिंह पुत्र श्री मंवर सिंह निवासी ग्राम रूथोवा
 सीगां पट्टी का निवासी हूँ मुझे वन विभाग गान्धीन द्वारा
 लुनावा गाँव में आरक्षण क्रमांक 19/03/25 को मर्यादा में
 उपस्थित हुआ और तारीख 19/11/24 को मेरे खेत पर से
 उखाड़े गये पीछे पेटों से बाँधे से वहाँ पर मर्यादा है
 तारीख 19/11/24 को अमानत गाँव से कुछ माँग
 सतीत उर्फ सतीत पुत्र मुख्तियार नरपाल पुत्र श्याम उर्फ गुलाब
 पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पी पुत्र नरपाल दिगम्बर पुत्र हरी सिंह
 एवं शीतल उर्फ शिशु पुत्र रामचन्द्र लाल निवासी श्याम
 अपने अन्य 15-20 साक्षियों के साथ मेरे महीने देवेंद्र
 की नकदी से 200-के पेटों को उखाड़ रहे थे
 मैं भी तो पट गया मैंने बहुत बारा मना किया कि पेटों को
 मत उखाड़ो मगर वो माँग उस से मड़ने मरने को
 तथा हो गये मेरे बहुत बारा मना मरने पर भी नही माने
 और नकदी से मरने मेरे खेत से भी कितने पेटों को
 उखाड़े जाबरदस्ती 200-द्वारा वन माँगों के उखाड़ दिये
 मेरे द्वारा माँग से अपने महीने देवेंद्र को भी पूछना ही
 उसके 112-पुष्पेन्द्र मुख्तियार को और भी नही माने तब उसके
 वन विभाग को पूछना ही तो वन विभाग माँग आये
 और आगे भी माँफवाही गयी -

चन्द्रमनसिंह
 19-11-2024




चन्द्रमनसिंह
 ग्राम - रूथोवा (लीगापट्टी)
 फोन नं० - 9410446249

(91)

बयान

महोदय, मैं कुशलपाल सिंह बनरज्ज बन वीट मगोरा/अडींग गोवर्धन रेज सांवाण बन प्रभाग मजुरा शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि दिनांक 21/11/2024 को रेज कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर हमराहगी राधेश्याम बन रज्ज नीमगोवु बन वीट गोवर्धन रेज बन प्रभाग मजुरा के साम धटनास्थल, खसमा सं० 698 क के गोवा शर्वा च्भाग सीगापट्टी तहसील गोवर्धन पर समग्र लकडगा 10.40 बजे सुबह पहुँचे तो पाया गया कि चकमार्ग 698 क के किनारे पर पेड व फेके 67 से उखड़े पेडे है और चकमार्ग पर लाजा भिट्टी दोन पिनारो से 60 सी० बी० द्वारा डलवाभी गमी है जोके पर उखड़े पेडे पेड पौधो की गणना व माप की गमी तो पाया 09 पेड नीम गोलार् क्रमशः 140, 60, 54, 67, 70, 53, 70, 73, 127 से 0मी० 01 पेड पीपल 60 से 0मी० 02 पेड शहदूत 60, 70, सेमी० 06 पेड पापूल 70, 06, 62, 57, 62, 65 से 0मी० 01 पेड बाभुन 50 से 0मी० 01 पेड पापरी 48 से 0मी० 01 पेड शीराम 44 से 0मी० 05 पेड चूलीकोरा 35, 09, 45, 60, 67 से 0मी० 01 पेड सलून 77 से 0मी० कुल पेड 27 लखा 27 नीबू के झाड़ीनुमा फोचो व करोंदा के 22 झाड़ीनुमा फोचो मिले जोके पर कई बरामदगी बताती गमी और आस पास छुटाछ कर उक्त अपराध करने वाले व्यक्तिगो के नाम पता नाल कि ये तथा अपराध और साक्षिपुक्तो की पुष्टि कर पुन विष्वागीम बन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21/11/2024-25 दर्ज किया गया तथा साक्षिपुक्त 1- रबेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह (2) नरेश पोस्ट सौरव शाना मगोरा (2) सातवीर उर्फ सलतो पुत्र सुखलाल (3) नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गलावसिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरीसिंह सिवासी गुण आग शर्वा च्भाग सीगापट्टी पोस्ट सौरव भामा मगोरा के विरुद्ध तहरीर शाना मगोरा से ही गमी तथा अपराध (F.I.R) सं० 0341/2024 दिनांक 22/11/2024 दर्ज करागी गमी दिनांक 08/12/2024 को सुरवाविर स्वास से सूचना मिली कि आस शर्वा च्भाग संख्या 698 क के दोनो तरफ अम्बा साइड उखड़े पेडो को उपरोक्त साक्षिपुक्तो के द्वारा पुनः पेडो को जे.सी.बी. से उखड़ा गया है जे स्वयं हमराहगी राधेश्याम बन रज्ज के साथ धटनास्थल पर समग्र लकडगा 8.00 बजे सुबह पहुँचा तो पाया कि चकमार्ग के किनारे अम्बा की तरफ जे०सी०बी० शरीन से उखाड़ा गया है तथा चकमार्ग पर भिट्टी डाली गमी है जोके पर पेडो की गणना व माप की गमी तो पाया कि 08 पेड नीम गोलार् क्रमशः 106, 70, 108, 105, 98, 155, 120, 125 से 0मी० 03 पेड पापरी गोलार् 122, 100, 140 से 0मी० 02 पेड चूलीकोरा गोलार् 68, 80 से 0मी०, व 01 पेड होकर गोलार् 92 से 0मी० कुल पेड 14 पाये गमे आस पास छुटाछ करने पर पता चला कि ग्रह 14 पेड च्मी साक्षिपुक्त (1) रबेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह (2) सातवीर उर्फ सलतो पुत्र सुखलाल (3) नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गलावसिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरीसिंह के द्वारा ही पुनः जे०सी० बी० से उखड़ावमे है अपराध और साक्षिपुक्तो की पुष्टि कर उक्त साक्षिपुक्तो विरुद्ध विष्वागीम बन अपराध सं० 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08/12/2024 तथा तहरीर शाना मगोरा से होकर अम्बामा दर्ज किया गया उक्त साक्षिपुक्तो के द्वारा ही बार उलग उलग दिनांक व समय से रज्ज ही धटनास्थल पर से बिना पूर्वनिर्धारित प्रात किमे उखड़े लप से 41 पेड व नीबू के 27 झाड़ीनुमा फोचो व करोंदा के 22 झाड़ीनुमा फोचो को चकमार्ग पर दोनो किनारो से भिट्टी जे०सी०बी० से खोदकर डालने के दोरान उखड़ा कर जे प्र० वल संरक्षण अधिकारी 1976 की धारा 4 व 10 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट पेटिशन 17301/1984 रजम.सी. अदालत बनाम च्भारत संघ से प्रोचित आरि.रज संख्या 527 से पारित (F.T.R) क्वेट में क्वेटो के अवेध पातन से सम्बन्धित आदेश दिनांक 08/05/2015 की अनुमानना करने का खुला मगोरा अपराध बिमा है उक्त दोनो धलानो में उखड़े गमे सन्धी 41 पेडो की समस्त लकडी रज्ज नीबू के 27 फोचो झाड़ीनुमा और करोंदा के 22 झाड़ीनुमा फोचो की जालाज लकडी वर्तमान में लकी की आधीरता में ररवी है। घटी मेरे बयान है।



बयानकर्ता
 12/03/25
 कुशलपाल सिंह बनरज्ज बन वीट
 मगोरा/अडींग गोवर्धन रेज
 बन प्रभाग मजुरा


92

भारत

वयान

में शचेराम वन रत्न (वीट-नीम गोंव) रेंज गौवर्धन सांवां वन प्रभाग मथुरा शमश धर्म वयान करवाते हैं कि दिनांक 21/11/2024 को रेंज कार्यालय से डाइट शुभना के आदेश पर वारी कुरातपाल सिंह वन रत्न वन वीट भगौरा, रेंज गौवर्धन के साथ धरना स्थल खसरा सं० 698 व मौजा शमीवा भाग सीगा पट्टी तहसील गौवर्धन पट्ट शमश लागस 10:40 बजे सुबह पहुँचे तो पाया कि एक मार्ग खसरा सं० 698 की ताजा सफरि करायी गयी है तथा दोनो किनारे से ताजा मिट्टी डगवायी गयी है और एक मार्ग के किनारे पेड उखडे गडे है। मौके पर उखडे पेडों की माप व गणना करायी गयी तो मौके पर 09 पेड नीम गौलार्ड कमरा: 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73 सं० मी० व 127 सं० मी०-01 पेड पीपल 60 सं० मी० 02 पेड शहरत 60, 70 सं० मी०, 06 पेड पापूलट 70, 86, 62, 57, 62, 65 सं० मी० 01 पेड पापुग 50 सं० मी० 01 पेड पापडी 48 सं० मी० 01 पेड शीशम 44 सं० मी० 05 पेड धुली क्लैप 35 सं० मी० 89 सं० मी० 45 सं० मी० 60 सं० मी० 67 सं० मी० 01 पेड अर्जुन 77 सं० मी० धुण पेड 27 तथा नीबू के 27 झाडी गुमा पौधे और करोंदा के 22 झाडी गुमा पौधे उखडे हुये पाये गये मौके पर कई वरामदगी वगायी और आस-पास धुलताई की गयी धुलताई में अग्निमुक्तों का नाम पत्रा गत किया गया तो पत्रा भला कि उक्त 27 पेड व उक्त झाडी गुमा पौधे अग्निमुक्त ७ रवेन्द्र ७५ डेम सिंह कि० मदार धौस्ट सोरव भाना भगौरा जिला मथुरा ७ सतवीर उर्फ सलो उर्फ सत्यधारा पुत्र सुखव्याट ७ नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाबसिंह ७ सुबेन्द्र ७ नेत्रपाल ७ दिगम्बर ७ हरिसिंह निवासी गण ग्राम शमीवा भाग सीगा पट्टी धौस्ट सोरव भाना भगौरा जिला मथुरा के द्वारा मकमाल की सफरि व ५० सी० मी० मशीन से एक मार्ग पर मिट्टी डगवाने के दौरान खडे दोनर उखडनामांके अमराव और अग्निमुक्तों पुष्टि हेतु पर उक्त विभागीय वन अपराध संख्या 15/गौवर्धन/2024-25 उक्त अग्निमुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया है तथा तहसीर भाना भगौरा में देनटप्पन आर्द्र आर सं० 0341/2024 दिनांक 22/11/2024 दर्ज करायी गयी दिनांक 08/11/2024 को मुख्यावर स्वास से शुभना मिलने पर पत्रा भला उक्त सभी अग्निमुक्तों के द्वारा उक्त एक मार्ग के किनारे से वग्ना की लगभग कुछ पेड ५० सी० मी० से उखड वा गिये है। तो में भी कुरातपाल सिंह वन रत्न के साथ धरना उक्त धरना स्थल पर पहुँचे तो पाया कि 08 पेड नीम गौलार्ड कमरा: 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, 125 सं० मी० 03 पेड पापडी 122, 100, 140 सं० मी० 02 पेड धुली क्लैप 10 68, 80 सं० मी० तथा 01 पेड डोलेट गौलार्ड-92 सं० मी० कुल पेड-14 पेडों की कई वरामदगी वगायी गयी तथा अमराव और अग्निमुक्तों की पुष्टि का विभागीय वन अपराध सं० 17/गौवर्धन/2024-25 दिनांक-08/11/2024 दर्जकार तहसीर भाना भगौरा में रजि-आर्द्र आर दर्ज कराने हेतु की गयी। इस तरह उक्त अग्निमुक्तों ७ रवेन्द्र ७५ डेमसिंह ७ सतवीर उर्फ सलो उर्फ सत्यधारा पुत्र सुखव्याट ७ नेत्रपाल ७ श्यामसिंह उर्फ गुलाबसिंह ७ सुबेन्द्र ७ नेत्रपाल ७ दिगम्बर ७ हरिसिंह निवासी गण ग्राम शमीवा भाग सीगा पट्टी धौस्ट सोरव भाना-भगौरा जिला मथुरा के द्वारा धरना स्थल एक मार्ग खसरा सं० 698 मौजा शमीवा भाग सीगा पट्टी के दोनो किनारों पर खडे पेडों को एक मार्ग पर मिट्टी डगवाने के दौरान कुछ 41 पेड तथा नीबू के 27 व करोंदा के 22 झाडी गुमा पौधों का कामरा: अलग-अलग सगप और दिनांक को बिना धरनुगते हुए निचे अवैध रूप से उखडना कर, 3050 वृत्त संख्या अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 तथा मा० उच्चतम-यापलप की रिट दिक्षान सं० 13381/1984 ज्ज.सी. प्रेडम वनान अपर संघ में दापट आर्द्र. व. सं०-527 में वृत्तों के अवैध फालत (सी.पी० जेड० अर्दगत) से संवदित धारित आदेश कि०-08/05/2015 की अध्यादेश का अपराध किया है। यही मेरे वयान है

दिनांक - 12/09/2025



वयानकर्ता
 (शचेराम वन रत्न (वीट-नीम गोंव)
 रेंज गौवर्धन वन प्रभाग मथुरा

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, गोवर्धन रेंज

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा



पत्रांक 133/35-3 गोवर्धन, दिनांक 08/12/2024

सेवा में,

श्री कुशलपाल सिंह वनरक्षक
गोवर्धन रेंज।

विषय:- दिनांक 22.11.2024 को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी में वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 तथा एफ आई आर सं० 0341 दिनांक 22.11.2024 में बरामद प्रकाष्ठ को अपनी अभिरक्षा में लेने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि वन अपराध संख्या सं० 15/गोवर्धन/2024-25 तथा एफ आई आर सं० 0341 दिनांक 22.11.2024 में बरामद प्रकाष्ठ जो आपके द्वारा श्री चन्द्रभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गौरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दिया गया था जो आज दिनांक 08.12.2024 तक मौके पर पड़ा है जिसकी रात्रि में चोरी हो जाने की संभावनाएँ बनी हुयी हैं प्रकाष्ठ की सुरक्षा के दृष्टिगत उसको सुरक्षित स्थान पर रखने हेतु तत्काल आप अपनी अभिरक्षा में लेना सुनिश्चित करें तथा प्रकाष्ठ को सुरक्षित स्थान पर रखते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।


भवदीय


क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज

पत्रांक / दिनांकित।

- प्रतिलिपि:-
1. प्रमाणीय निदेशक महोदय मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 2. प्रमारी निरीक्षक थाना मर्गौरा को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. श्री आशीष सिंह वनदरोगा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने पर्यवेक्षण में उक्त प्रकाष्ठ को अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित स्थान पर रखवाते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को रिपोर्ट प्रेषित करें।
 4. श्री चन्द्रभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गौरा जिला मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उपरोक्त केस/एफ आई आर में बरामद प्रकाष्ठ को विभाग की अभिरक्षा में श्री कुशलपाल सिंह वनरक्षक को सुपुर्द करें।

भवदीय


क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज




o/c

। महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योचा भाग सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड उखड़े मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड नीम जिनकी गोलाई क्रमशः 140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड पीपल गोलाई 60, 2 पेड सहतूत गोलाई 60.70, 6 पेड पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड जामुन गोलाई 50. 1 पेड पापडी गोलाई 48. 1 पेड शीशम गोलाई 44, 5 पड ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड अर्जुन 77 सेमी कुल 27 पेड तथा 27 पौधे नीबू (01) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (01) व्यास वर्ग के पेडपौधे उखड़े मिले। फर्ट बरामदगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मगोरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दी गयी, सुपुर्दगीनामा संलग्न है तथा आस पास पूछने पर जात हुआ कि उक्त पेड़ों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा के द्वारा उखडवाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s). 13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता ग्राम दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहड़ील, जिला मथुरा मो 7895373793 एसडी अग्रेजी अपठनीय प्रार्थी (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज, प्रभाग मथुरा एसडी अग्रेजी अपठनीय अनुभाग अधिकारी गोवर्धन नोट मै है0का0 1550 गिरजेश कुमार प्रमाणित करता हू कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा शब्द व शब्द टाइप की गयी है।

S.No.(क्र.सं.) 3

- a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : एफआईआर दर्ज
 b) Witness Name(गवाह का नाम) :
 c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :
 d) Age(उम्र) :
 e) Address (पता) :



House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station (पुलिस स्टेशन) :

Country (देश) :

f) Description (विवरण) :

नकल रपट कायमी इस समय थाना हाजा पर श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा ने उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर हिन्दी टाइप शुदा मय सुपुर्दगीनामा लकडी व फर्द बरामदगी सम्पत्ति ब्यौरा के वावत अभि० गण 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोर्रा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध मे दाखिल किया दाखिला तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 341/24 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि० दिनांक घटना 21.11.2024 समय अटम तहरीर दिनांक सूचना व समय तारीखी इमरोजा कायमी रपट हाजा घटना स्थल ग्राम श्योवा भाग सींगापट्टी व फासला करीब 11 किमी० दिशा पश्चिम हल्का चौकी सौख वामुद्देयत श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा वनाम 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोर्रा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध मे तफतीशी अभियोग पंजीकृत किया एवं कराया गया विवेचना हस्व आदेश एसएचओ महो० उ०नि० श्री रविन्द कुमार सिंह करेगे । तक्मीला दर पेश है डेली जरायम खाना होगी घटना की सूचनाअफसरान वाला को द्वारा आरटी सेट से अफसरान वाला को दी जा रही वादी को एफआईआर की प्रति देकर सादर रकसत किया गया । नकल चिक नकल रपट मय फर्द बरामदगी व सुपुर्दगीनामा लकडी वास्ते विवेचना उ०नि० श्री रविन्द कुमार सिंह करेगे ।



99

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :


Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान एफआईआर लेखक है0का0 1550 गिरजेश कुमार पुत्र श्री लज्जा राम नि0 नगला सिंहमन थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद पी0एन0ओ0 न0 062241410 मो0 न0 9411020191 हाल तैनात थाना मगोरा जनपद मथुरा ने पूछने पर बताया कि दिनांक 22.11.2024 को मेरी ड्यूटी थाना कार्यालय में कार्यलेख पर थी श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा ने उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर हिन्दी टाइप शुदा मय सुपुर्दगीनामा लकडी व फर्ट बरामदगी सम्पत्ति ब्यौरा के वावत अभि0 गण 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध मे दाखिल किया दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 341/24 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि0 वनाम 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध में तफ्तीशी अभियोग पंजीकृत किया एवं कराया गया विवेचना हस्व आदेश एसएचओ महो0 आपको सुपुर्द की गयी। वादी को एफआईआर की प्रति देकर सादर रुकसत किया गया। नकल चिक नकल रपट मय फर्ट बरामदगी व सुपुर्दगीनामा लकडी वास्ते आपको दी गयी। यही मेरा बयान है।



(80)

S.No.(क्र.सं.) 6

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित फर्द बरामदगी व सुपुर्दगीनामा थाना कार्यालय से प्राप्त हुआ। नकल कर संलग्न सीडी किये जाते हैं।

S.No.(क्र.सं.) 7

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :



House No.

(मकान संख्या) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

Street Name

(गली का नाम) :

Village/Town/City


(ग्राम/नगर/शहर) :

State (राज्य) :

f) Description(विवरण) :

नकल सुपुर्दगीनामा में चन्द्रभान पुत्र श्री भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग (सींगापट्टी) पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा का मूल निवासी हूँ दिनांक 21.11.2024 को समय लगभग 11.15 बजे घटनास्थल गांव श्योबा भाग सींगापट्टी से निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को अपनी सुपुर्दगी में लेता हूँ जब भई मा0 न्यायालय या वन विभाग उक्त सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को माँगीगा तो मैं बिना हर्जे खर्चे के वहाँ तक पहुँचाऊँगा। सम्पत्ति/प्रकाष्ठ का विवरण निम्न प्रकार है: क0सं0 1 प्रजाति नीम गोलाई सेमी0 140 सेमी0 अभियुक्ति सम्पूर्ण पेड 2 नीम 60 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 3 नीम 54 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 4. पीपल 60 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 5. शहतूत 60 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 6. पापूलर 70 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 8. पापूलर 86 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 9. पापूलर 57 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 10. पापूलर 65 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 11. जामुन 50 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 12. नीम 70 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 13. नीम 67 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 14. शहतूत 70 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 15. पापडी 48 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 16. पापूलर 62 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 17. शीशम 44 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 18. नीम 53 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 19. ज्योली प्लोरा 35 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 20. नीम 70 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 21. नीम 73 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 22. अर्जुन 77 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 23. ज्योली प्लोरा 69 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 24. ज्योली प्लोरा 45 सम्पूर्ण पेड 25. ज्योली प्लोरा 60 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 26. ज्योली प्लोरा 67 सेमी0 सम्पूर्ण पेड 27. नीम 127 सेमी0 सम्पूर्ण पेड सुपुर्दगी लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर नाम व पता मोबाइल नंबर चन्द्रपाल स्यौबा 9410446249 0 से 1 व्यास वर्ग नीव 27 पेड करोंदा 22 पेड जलोनी लकड़ी बाजन लगभग 90 kg सुपुर्दगी देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर नाम व पदनाम कुशलपाल व0र0

8



(102)

S.No.(क्र.सं.) 8

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

नकल बरामदगी आज दिनांक 21.11.2024 को समय लगभग 11.00 बजे घटनास्थल श्योबा भाग सींगापट्टी चकरोड़ के किनारे पर कटी पड़ी लकड़ी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है। बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा क्र०सं० 1 प्रजाति नीम गोलाई सेमी० 140 सेमी० अभियुक्ति सम्पूर्ण पेड 2 नीम 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 3 नीम 54 सेमी० सम्पूर्ण पेड 4. पीपल 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 5. शहतूत 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 6. पापूलर 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 8. पापूलर 86 सेमी० सम्पूर्ण पेड 9. पापूलर 57 सेमी० सम्पूर्ण पेड 10. पापूलर 65 सेमी० सम्पूर्ण पेड 11. जामुन 50 सेमी० सम्पूर्ण पेड 12. नीम 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 13. नीम 67 सेमी० सम्पूर्ण पेड 14. शहतूत 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 15. पापडी 48 सेमी० सम्पूर्ण पेड 16. पापूलर 62 सेमी० सम्पूर्ण पेड 17. शीशम 44 सेमी० सम्पूर्ण पेड 18. नीम 53 सेमी० सम्पूर्ण पेड 19. ज्योली प्लोरा 35 सेमी० सम्पूर्ण पेड 20. नीम 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 21. नीम 73 सेमी० सम्पूर्ण पेड 22. अर्जुन 77 सेमी० सम्पूर्ण पेड 23. ज्योली प्लोरा 69 सेमी० सम्पूर्ण पेड 24. ज्योली प्लोरा 45 सम्पूर्ण पेड 25. ज्योली प्लोरा 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 26. ज्योली प्लोरा 67 सेमी० सम्पूर्ण पेड 27. नीम 127 सेमी० सम्पूर्ण पेड गवाह हस्ताक्षर नाम व पता राधेश्याम व०र० जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर 0 से 1 व्यास वर्ग नीव 27 पेड करोंदा 22 पेड जलोनी लकड़ी बाजन लगभग 90 kg बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर कुशलपाल वन संरक्षण



163

S.No.(क्र.सं.) 9

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा वादी से मो0 न0 7895373793 से दूरभाष सम्पर्क किया गया तो वादी ने बताया कि अभी किसी कार्य सरकार में व्यस्त हूँ, समय मिलते ही आपके पास आकर बयान दर्ज करा दूँगा।

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

10



104

- a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य
 b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 23/11/2024
 c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):
 d) Remarks (टिप्पणियाँ):
 e) Description (विवरण):
 श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।
 f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):
 अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 23/11/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Ravindra Kumar Yadav
23-11-2024

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

Submitted by -

Dimp
24.11.24

11



Sri Sri Ravi Shankar

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना): मगोर्रा

Year (वर्ष): 2024

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0341

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 22/11/2024 22:19

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day गुरुवार
(दिन):Date From 21/11/2024
(दिनांक से):Date To 21/11/2024
(दिनांक तक):Time Period पहर 1
(समय अवधि):Time From 00:00 बजे
(समय से):Time To 00:00
(समय तक): बजे

1



106

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date 22/11/2024 Time (समय): 22:19 बजे
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 056 Date & Time 22/11/2024 22:19 बजे
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. पश्चिम, 11 Beat No.
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): किमी (बीट सं.):
(b) Address ग्राम श्योबा, भाग नैनूपट्टी
(पता):(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):Name of P.S. District(State)
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

(107)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): कुशलपाल वनसंरक्षक
 (b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम):
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1979
 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
 (e) UID No. (यूआईडी सं.):
 (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
 Date of Issue (जारी करने की तिथि):
 Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	गोवर्धन रेन्ज, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	गोवर्धन रेन्ज, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7595373793

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

3



100

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	खेन्द्र		का नाम : प्रेमसिंह	1. गाँव भदार, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	सतवीर उर्फ सतो		पिता का नाम : मुख्त्यार	1. ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
3	नेत्रपाल		पिता का नाम : श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह	1. श्योबा भाग सीगापट्टी, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
4	पुष्पेन्द्र		पिता का नाम : नेत्रपाल	1. श्योबा भाग सीगापट्टी, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
5	दिगम्बर		पिता का नाम : हरी सिंह	1. श्योबा भाग सीगापट्टी, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु)

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number
-------	-------------

12. First information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मगोरा महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड उखडे मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड नीम जिनकी गोलाई क्रमशः 140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड पीपल गोलाई 60, 2 पेड सहतुत गोलाई 60.70, 6 पेड पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड जामुन गोलाई 50. 1 पेड पापडी गोलाई 48. 1 पेड शीशम गोलाई 44, 5 पेड ज्युलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड अर्जुन 77 सेमी कुल 27 पेड तथा 27 पौधे नीबू (0-1) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (0-

4



1) व्यास वर्ग के पेड-पौधे उखड़े मिले। फर्द बरामदगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मगोरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दी गयी, सुपुर्दगीनामा संलग्न है तथा आस पास पूछने पर जात हुआ कि उक्त पेड़ों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा के द्वारा उखडवाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s). 13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS - IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता - ग्राम - दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहड़ील, जिला मथुरा मो 7895373793 एसडी अग्रेजी अपठनीय प्रार्थी (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज, प्रभाग मथुरा एसडी अग्रेजी अपठनीय अनुभाग अधिकारी गोवर्धन नोट मै है0का0 1550 गिरजेश कुमार प्रमाणित करता हू कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा शब्द व शब्द टाइप की गयी है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)


(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or
(या)

(2) Directed (Name of I.O.) Ravindra Kumar Rank SI (Sub-Inspector)
(जांच अधिकारी का नाम): Yadav (पद):

No. 972140517 to take up the Investigation
(सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):





N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जांचकर्म !)

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.

District

(थाना):

(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C. (आर. ओ. ए. सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):


15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge,
Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name PS Magorra

Rank I (Inspector)

No. 9454403945





General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

- State (राज्य): उत्तर प्रदेश
P.S. (थाना): मगोर्ग
District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा
1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 056
2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 22/11/2024 22:19 बजे
3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): आपराधिक प्रकरण
4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): PS Magorra
5. Case Type (प्रकरण के प्रकार): प्रोद्
6. Subject (विषय):
कायमी मु0अ0सं0 341/24 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि0
7. G.D. Brief


इस समय थाना हाजा पर श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा ने उपस्थित थाना आकर एक कित्ता तहरीर हिन्दी टाइप शुदा मय सुपुर्दगीनामा लकडी व फर्द बरामदगी सम्पत्ति च्योरा के वावत अभि0 गण 1. रवेन्द पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मोरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उर्फ निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोर्ग जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह में लगे हरे पेड पोड़े उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध में दाखिल किया दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 341/24 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि0 दिनांक घटना 21.11.2024 समय अदम तहरीर दिनांक सूचना व समय तारीखी इमरोजा कायमी रपट हाजा घटना स्थल ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी व फासला करीब 11 किमी0 दिशा पश्चिम हल्का चौकी साँख वामुदेयत श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा वनाम 1. रवेन्द पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मोरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उर्फ निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोर्ग जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह में लगे हरे पेड पोड़े उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध में तफतीशी अभियोग पंजीकृत किया एवं कराया गया विवेचना हुस्व आदेश एसएचओ महो0 उ0नि0 श्री रविन्द कुमार सिंह करोगे। तकमीला दर पेश है डेली जरायम खाना होगी घटना की सूचनाअफसरान वाला को द्वारा आर्टी सेट से अफसरान वाला को दी जा रही वादी को एफआईआर की प्रति देकर सादर रकसत किया गया। नकल धिक नकल रपट मय फर्द बरामदगी व सुपुर्दगीनामा लकडी वास्ते विवेचना उ0नि0 श्री रविन्द कुमार सिंह करोगे।

8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 22/11/2024
Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):
Name (नाम): PS Magorra
Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):
Name (नाम): PS Magorra
Rank (पद): I (Inspector)
No.(सं.): 5454403945



112

सुपुर्दगीनामा

मै. चन्द्र आनन्द पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह निवासी ग्राम शमोला प्रखण्ड पोस्ट शोरव
 तहसील शमोला जिला मुजफ्फरपुर का मूल निवासी हूँ दिनांक 21/11/2024
 को समय लगभग 12:15 बजे घटना स्थल शमोला प्रखण्ड (सीतापुर) से
 निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को अपनी सुपुर्दगी में लेता हूँ जब भी मा0 न्यायालय या वन विभाग
 उक्त सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को माँगेगा तो मैं बिना हर्जे खर्चे के वहाँ-तक पहुँचाऊँगा।

सम्पत्ति/प्रकाष्ठ का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	प्रजाति	गोलाई सेमीटर	अधिकारी	
1	सीम	140-सेमीटर	सम्पूर्ण पेड़	
2	"	60 - "	"	0 से 1 पास जगह
3	"	54 - "	"	नीक-27-पेड़
4	पापल	60 - "	"	जारी का-22-पेड़
5	राहल	60 - "	"	
6	पापल	70 - "	"	जलोनी लकड़ी
7	"	86 - "	"	
8	"	62 - "	"	काम लगाना
9	"	57 - "	"	90 kg
10	"	65 - "	"	
11	"	50 - "	"	
12	जामुन	70 - "	"	
13	सीम	67 - "	"	
14	"	70 - "	"	
15	राहल	48 - "	"	
16	पापल	62 - "	"	
17	सीम	44 - "	"	
18	सीम	53 - "	"	
19	जलोनी कोरा	35 - "	"	
20	सीम	70 - "	"	

सुपुर्दगी लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
 नाम व पता मोबाईल नम्बर

सुपुर्दगी देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
 नाम व पदनाम

21	सीम	73 - "	"	"
22	जामुन	77 - "	"	"
23	जलोनी कोरा	69 - "	"	"
24	"	45 - "	"	"
25	"	60 - "	"	"
26	"	67 - "	"	"
27	सीम	127 - "	"	"

हस्ताक्षर - शमोला

9510446249

कुशल पाव
 व-र-




फर्द बरामदगी

आज दिनांक 21/11/2024 को समय लगभग 11:00 बजे घटना स्थल श्री गोलि लोरा पर कटी पडी लकड़ी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा

क्र	प्रजाति	गोलाई सेमी	आदिमिक	
1	नीम	140 - सेमी	सम्पूर्ण पेड़	
2	"	60 - "	"	
3	"	54 - "	"	
4	चीपल	60 - "	"	0 से 1 व्यास वर्ग
5	शद्वरत	60 - "	"	नींबू - 27 - पेड़
6	पापुलर	70 - "	"	करोड़ा - 22 - पेड़
7	"	86 - "	"	
8	"	62 - "	"	जालोनी लकड़ी
9	"	57 - "	"	वजन लगभग
10	"	65 - "	"	90 kg
11	बाहुन	50 - "	"	
12	नीम	70 - "	"	
13	"	67 - "	"	
14	शद्वरत	70 - "	"	
15	पापुडी	48 - "	"	
16	पापुलर	62 - "	"	
17	शद्वरत	44 - "	"	
18	नीम	53 - "	"	
19	जालोनी लोरा	35 - "	"	
20	नीम	70 - "	"	
21	"	73 - "	"	
22	अर्जुन	77 - "	"	
23	गवाह हस्ताक्षर नाम व पता	जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर नाम व पता		बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर
24	"	45 - "		
25	"	60 - "		
26	"	67 - "		
27	नीम	127 - "		

(Signature)
 सुशोभ पोवाल
 वन रक्षक



(Signature)
 राधेशंकर
 व-र.

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD2
Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.):0341 Date (दिनांक):22/11/2024
District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा
P.S. (थाना):मगोर्रा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)
b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 27/11/2024
c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 11:00 बजे
d) End time of Investigation(जांच अंत समय): 19:30 बजे
Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोर्रा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोर्रा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

- a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य
b) Witness Name(गवाह का नाम) :
c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :
d) Age(उम्र) :
e) Address (पता) :



115

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पर्वी नं0 1 दिनांक 23.11.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अनूय

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :


Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त का वादी व वन रक्षक राधेश्याम हस्व तलब थाना उपस्थित हुआ। पूछताछ कर बयान दर्ज किया जाता है।

2



116

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :


Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान वादी श्री कुशलपाल वन रक्षक (बीट मगोर्ग) पुत्र श्री साहब सिंह नि0 दौलतपुर वसाऊ थाना नौहड़ील जनपद मथुरा हाल तैनात वन संरक्षक गोवर्धन जनपद मथुरा मो0 न0 7895373793 ने पूछने पर बताया कि दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड उखडे मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड नीम जिनकी गोलाई क्रमशः 140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड पीपल गोलाई 60, 2 पेड सहनूत गोलाई 60.70, 6 पेड पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड जामुन गोलाई 50. 1 पेड पापडी गोलाई 48. 1 पेड शीशम गोलाई 44, 5 पड ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड अर्जुन 77 सेमी कुल 27 पेड तथा 27 पौधे नीबू (01) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (01) व्यास वर्ग के पेडपौधे उखडे मिले। फर्द बरामदगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्टभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन, थाना मगोर्ग जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दी गयी, सुपुर्दगीनामा सलग्न है तथा आस पास पूछने पर जात हुआ कि उक्त पेड़ों को 1. रवेन्द पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मोरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोर्ग जिला मथुरा के द्वारा उखडवाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s).

3



13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS IA No. 527 में
दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। यहाँ मेरा
बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान गवाह श्री राधेश्याम वन रक्षक (बीट नीमगांव, गोवर्धन) पुत्र श्रीराम नि0
गांव भैंसा थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा मो0 न0 8791315814 हाल तैनात वन संरक्षक
गोवर्धन जनपद मथुरा ने पूछने पर बताया कि दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त
शिकायत के आधार पर मैं व श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग
सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड़
उखड़े मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड़ नीम जिनकी गोलाई क्रमशः
140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड़ पीपल गोलाई 60, 2 पेड़ सहतूत गोलाई 60.70. 6
पेड़ पापुल 70.86.62.57.62.651 पेड़ जामुन गोलाई 50. 1 पेड़ पापडी गोलाई 48. 1 पेड़
शीशम गोलाई 44, 5 पड़ ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड़ अर्जुन 77 सेमी कुल
27 पेड़ तथा 27 पौधे नीबू (01) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (01) व्यास वर्ग के पेड़पौधे उखड़े
मिले। फर्ट बरामदगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह
निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गौरा जिला मथुरा की
सुपुर्दगी में दी गयी, सुपुर्दगीनामा संलग्न है तथा आस पास पूछने पर जात हुआ कि उक्त पेड़ों को 1.
खेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2.
सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल



118

5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोर्ग जिला मथुरा के द्वारा उखडवाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s). 13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। यही मेरा बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा वादी से घटनास्थल का निरीक्षण कराने हेतु कहा गया तो वादी तैयार है वादी को साथ लेकर घटनास्थल पर आया। हस्व निशान देही वादी घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है।

S.No.(क्र.सं.) 6

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अपराध स्थल परीक्षण

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :



119

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

निरीक्षण घटनास्थल घटनास्थल ग्राम श्योबा में नव निर्मित रास्ता का है। घटनास्थल को चिन्ह A व B से दर्शाया गया है घटनास्थल के उत्तर दिशा में खेत हितेन्द्र पुत्र श्री बबु सिंह दक्षिण में गांव श्योब को रास्ता जाता है पूरव में खेत हेमन्त पुत्र खजान सिंह एवं ओमप्रकाश पुत्र सोरन सिंह व विनोद पुत्र भगवत व कुवेद सिंह पुत्र शंकर लाल तथा वेदपाल पुत्र दिगम्बर सिंह के स्थित हैं। पूरव दिशा में सौख मथुरा रोड़ स्थित है। जिसका अक्षांश 27.4333 व देशांत 77.51572 है। मौके का नक्शा नजरी तैयार किया गया। वाद नक्शा नजरी संलग्न सीडी किया जाता है।

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)



(126)

- a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य
 b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 27/11/2024
 c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):
 d) Remarks (टिप्पणियाँ):
 e) Description (विवरण):
 श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।
 f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):
 अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 27/11/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Ram si
27-11-2024

Sir


Submitted Pl-

Done
28.11.24

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक


No. (सं.): 972140517




सं. 0341/024 द्वारा + 110 उ० प्र० ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृद्धों का संरक्षण अधिनियम 1976 थाना मगौरी, मयूर

Lat - 27, 43 23

Long - 77, 51 57 2



Interpretation: इसका स्थल गा० झोला थाना मगौरी मयूर के जंगल का है।
 इसका स्थल जहाँ पेड़ डबड़े/काटे को विन्दु A B व xxx है
 दर्शाया गया है। जो क्षेत्र देवेन्द्र व पत्रमान का है।
 (2) इसका स्थल के इतर में क्षेत्र हितेश्वर व पश्चिम दिशा में नया राजस्व
 पक्कोट स्थान का जाता है पश्चिम दिशा में क्षेत्र हेमन्त, श्रीम प्रकाश, विनोद
 कुतेश्वर, व वेदपाल के लिए है। जो पूर्वी दिशा में रीज साईकल से
 का जाता है स्थल है।



विवरण
 थाना मगौरी
 मयूर
 दि. मगौरी मयूर

(122)

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD3

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0341

Date (दिनांक): 22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना): मगोरा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)

b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 09/12/2024

c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 11:00 बजे

d) End time of Investigation(जांच अंत समय): 15:30 बजे

Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोरा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोरा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य


b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

seen



CO9

(23)

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station (पुलिस स्टेशन) :

Country (देश) :

f) Description (विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पचा नं0 2 दिनांक 27.11.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2

a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name (गवाह का नाम) :

c) Relative Name (रिश्तेदार का नाम) :

d) Age (उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :


Pincode (पिन संख्या) :

Police Station (पुलिस स्टेशन) :

Country (देश) :

f) Description (विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा वाटी चौकी सौख पर उपस्थित आये हैं जिन्होंने मुकदमा उपरोक्त में पूर्व फर्द बरामदगी से अलग पेड काटे जाने के सम्बन्ध में एक फर्द बरामदगी की छायाप्रति मय प्रार्थना पत्र



124

व अन्य प्रपत्र मुझ विवेचक को प्राप्त कराये है। जिसका अवलोकन कर संलग्न सीडी किया जाता है

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

अवलोकन प्रार्थना पत्र सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मगोरा। महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 08.12.2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे मुखविर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी चकरोड के किनारे बम्बा की तरफ कुछ पेड उखाड़े गये है। सूचना पर तत्काल मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पहुँचे तो देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेडों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ कुछ पेड उखड़े मिले। जिनकी नपत की गयी जो 8 पेड नीम गोलाई 106,78,108, 105,98,155,120,125. 3 पेड पापडी गोलाई 122,100,140 तथा 2 पेड प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 68,80, 1 पेड छौंकर गोलाई 92 सेमी कुल 14 पेड उखड़े मिले। उखड़े पेडों की फर्ट बरामदगी मौके पर बनायी गयी संलग्न है। तथा बरामद लकड़ी को सौख कोठी नर्सरी पर रखवाया जा रहा है आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेडों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मरौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार 3. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मरौरा जिला मथुरा के द्वारा जेसीबी द्वारा लगभग 3 या 4 दिन पूर्व उखडवाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s).



125

13381/1984 .. VERSUS UNION OF INDIA ORS LA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08.05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है एक व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता : ग्राम दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहड़ील, जिला मथुरा मो0 7895373793 हस्ताक्षर अपठनीय अनुभाग अधिकार गोवर्धन प्रार्थी हस्ताक्षर अपठनीय (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रंज, प्रभाग मथुरा।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :


Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

अवलोकन फर्ट बरामदगी फर्ट बरामदगी आज दिनांक 08.12.2024 को समय 09.00 बजे घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी चकरोड किनारे पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है। बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा क्र0सं0 1 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 106 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 2 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 78 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 3 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 108 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 4 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 105 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 5 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 98 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 6 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 155 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 7 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 120 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 8 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 125 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 9 प्रजाति पापडी गोलाई से0मी0 122 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त



126

सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 10 प्रजाति पापडी गोलाई से०मी० 100 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 11 प्रजाति पापडी गोलाई से०मी० 140 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 12 प्रजाति प्रोसोपिस ज्यू गोलाई से०मी० 68 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 13 प्रजाति प्रोसोपिस ज्यू गोलाई से०मी० 80 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 14 प्रजाति छोंकर गोलाई से०मी० 92 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष नोट: लकड़ी हरी है सूखने पर माप में अन्तर आ सकता है। गवाह हस्ताक्षर नाम व पता हस्ताक्षर अपठनीय (राधेश्याम) वनरक्षक गोवर्धन रेंज जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर नाम व पता बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर अपठनीय (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त के वादी वनरक्षक कुशलपाल को लेकर घटनास्थल पर पहुँचा जहाँ प्राप्त करायी फर्द बरामदगी की छायाप्रति के अनुसार पेड़ों की जड़ों को दिखाया जिस पर नंबरिंग पड़ी है।



127

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)
-------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य

b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 09/12/2024

c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):

d) Remarks (टिप्पणियाँ):

e) Description (विवरण):

श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।

f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):

अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)
-------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------------	---

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 09/12/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

Submitted PL

(Signature)
SHO 10.12.24



सेवा में,

प्रभारी निरीक्षक
थाना मर्गोरा।

128

महोदय,

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 08.12.2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे मुखविर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी चकरोड के किनारे बम्बा की तरफ कुछ पेड उखाड़े गये हैं। सूचना पर तत्काल मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पहुँचे। तो देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेडों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ कुछ पेड उखड़े मिले। जिनकी नपत की गयी जो 8 पेड नीम गोलाई 106,78,108, 105,98,155,120,125, 3 पेड पापडी गोलाई 122,100,140 तथा 2 पेड प्रोसोपिस ज्यूलीफलोरा गोलाई 68,80, 1 पेड छौंकर गोलाई 92 से0मी0 कुल 14 पेड उखड़े मिले। उखड़े पेडों की फर्द बरामदगी मौके पर बनायी गयी संलग्न है। तथा बरामद लकडी को सौख कोठी नर्सरी पर रखवाया जा रहा है आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेडों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मर्गोरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार 3. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मर्गोरा जिला मथुरा के द्वारा जे0सी0मी0 द्वारा लगभग 3 या 4 दिन पूर्व उखड़वाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s).13381/1984 M.C. MEHTA VERSUS UNION OF INDIA & ORS - IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08.05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है।

अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

स्थायी पता :-

ग्राम - दौलतपुर बसाऊ,

पोस्ट व थाना - नौहशील, जिला - मथुरा

मो0 - 7895373793

प्रार्थी

(कुशलपाल)

वनरक्षक

गोवर्धन रेंज, प्रभाग मथुरा

अनुभाग अधिकारी
गोवर्धन

o/c



आज दिनांक 08/12/2024 को समय लगभग 09:00 AM बजे घटना स्थल ग्राम शोला भाग सीतापट्टी चक्रोड के डिग्रे पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. स.	प्रजाति	बरामद सम्पत्ति का ब्यौर		अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष
		शीलाई से.मी.	लम्बाई से.मी.	
1.	नीम	106	-	
2.	— " —	78	-	
3.	— " —	108	-	
4.	— " —	105	-	
5.	— " —	98	-	
6.	— " —	155	-	
7.	— " —	120	-	
8.	— " —	125	-	
9.	पापड़ी	122	-	
10.	— " —	100	-	
11.	— " —	140	-	
12.	जेसेपिस ज्यू.	68	-	
13.	— " —	80	-	
14.	हॉडर	92	-	


नोट:- लकड़ी हरी है सूखने पर माप में अंतर आ सकता है।

गवाह हस्ताक्षर
नाम व पता

जिससे सम्पत्ति बरामद की
गयी है उसके हस्ताक्षर
नाम व पता

बरामद करने वाले
अधिकारी का नाम/पदनाम व
हस्ताक्षर

(शचेरयाम)
वनरक्षक
जोवर्धन रंज



(कुशलपाल)
क. र.
जोवर्धन रंज

कायालय क्षेत्राय वन आधिकारी, गावधन रज
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा

130

पत्रांक 133/35-3 गोवर्धन, दिनांक 08/12/2024

सेवा में,

श्री कुशलपाल सिंह वनरक्षक
गोवर्धन रेंज।

विषय:- दिनांक 22.11.2024 को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी में वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 तथा एफ आई आर सं० 0341 दिनांक 22.11.2024 में बरामद प्रकाष्ठ को अपनी अभिरक्षा में लेने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि वन अपराध संख्या सं० 15/गोवर्धन/2024-25 तथा एफ आई आर सं० 0341 दिनांक 22.11.2024 में बरामद प्रकाष्ठ जो आपके द्वारा श्री चन्द्रमान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दिया गया था जो आज दिनांक 08.12.2024 तक मौके पर पड़ा है जिसकी रात्रि में चोरी हो जाने की संभावनाएँ बनी हुयी हैं प्रकाष्ठ की सुरक्षा के दृष्टिगत उसको सुरक्षित स्थान पर रखने हेतु तत्काल आप अपनी अभिरक्षा में लेना सुनिश्चित करें तथा प्रकाष्ठ को सुरक्षित स्थान पर रखते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

भवदीय


क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज

पत्रांक / दिनांकित।

- प्रतिलिपि:-
1. प्रभागीय निदेशक महोदय मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 2. प्रमारी निरीक्षक थाना मर्गोरा को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. श्री आशीष सिंह वनदरोगा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने पर्यवेक्षण में उक्त प्रकाष्ठ को अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित स्थान पर रखवाते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को रिपोर्ट प्रेषित करें।
 4. श्री चन्द्रमान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उपरोक्त केस/एफ आई आर में बरामद प्रकाष्ठ को विभाग की अभिरक्षा में श्री कुशलपाल सिंह वनरक्षक को सुपुर्द करें।

भवदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज



Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD4

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.):0341

Date (दिनांक):22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना):मगोर्रा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)

b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 30/12/2024

c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 11:20 बजे

d) End time of Investigation(जांच अंत समय): 19:30 बजे

Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुंताविक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदर थाना मगोर्रा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोर्रा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

Seen

CoS



132

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station (पुलिस स्टेशन) :

Country (देश) :

f) Description (विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पचा नं0 3 दिनांक 09.12.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No. (क्र.सं.) 2

a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name (गवाह का नाम) :

c) Relative Name (रिश्तेदार का नाम) :

d) Age (उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :


Pincode (पिन संख्या) :

Police Station (पुलिस स्टेशन) :

Country (देश) :

f) Description (विवरण) :

श्रीमान जी आज मैं विवेचक थाना हाजा से खाना होकर ग्राम स्यौबा आया हूँ। जहाँ मुकदमा उपरोक्त की लकड़ी को अपनी सुपर्दगी में लेने वाले चन्द्रभान पुत्र स्व0 भवर सिंह को तलाश किा



133

तो वह अपने घर पर मौजूद मिले। जिनसे मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में पूछताछ कर बयान दर्ज किये जाते हैं।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :


Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान गवाह श्री चन्द्रभान पुत्र स्व० भवर सिंह नि० ग्राम स्यौबा थाना मगोरा जनपद मथुरा उम्र करीब 68 वर्ष मो० न० 9410446249 ने पूछने पर बताया कि दिनांक 21.11.2024 को मैं गांव में ही मौजूद था हमारे गांव से नहर बम्बा की ओर जाने वाली चकरोड़ की नाप तोल एवं सिमांकन राजस्व टीम द्वारा किया गया था मेरे भतीजे देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह नि० ग्राम स्यौबा थाना मगोरा मथुरा के चक में लगे पेड़ पौधे चकरोड़ की हद में आ गये थे। क्योंकि चकरोड़ पर खरन्जा का प्रस्ताव जिला पंचायत अध्यक्ष किशन सिंह द्वारा कराया गया था जिसका ठेका ठेकेदार श्री चिरन्जीलाल गोला पुत्र श्री नेमीचन्द नि० मुस्तफाबाद परखम थाना फरह मथुरा को होने वाला था परन्तु अभी तक ठेका हुआ भी नहीं था कि हमारे गांव के पास के गांव भदार निवासी रवीन्द्र सिंह पुत्र प्रेम सिंह जो जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन सिंह के साथ रहकर उनके ठेके आदि के कार्यों को देखरेख करता है ने हमारे गांव के पुष्परज उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल एवं नेत्रपाल सिंह पुत्र श्याम सिंह व सतो उर्फ सत्यप्रकाश उर्फ सतवीर पुत्र मुख्तयार सिंह एवं दिगम्बर सिंह पुत्र हरी सिंह के साथ मिलकर राजनीति की हनक दिखाते हुए बिना किसी बन विभाग की परमीशन के रविन्द्र एवं हमारे गांव के लोगों ने मिलकर बिना ठेकेदार चिरन्जीलाल गोला की मौजूदगी में जे०सी०बी० मंगाकर चकरोड़ की हद में आये हरे भरे पेड़ पौधों को जे०सी०बी० से उखाड़कर चकरोड़ पर मिट्टी डाल दी। जिसकी सूचना मैंने अपने भतीजे देवेन्द्र फौजदार को दी और उसने वन विभाग से पेड़ों को उखाड़ दिये जाने के सम्बन्ध शिकायत की जिस

3



134

पर वन विभाग के वनरक्षक श्री कुशलपाल मौके पर आये और समस्त उखड़े पड़े पेड़ पौधों की नाप तोल कर समस्त पेड़ पौधों को मेरी सुपुर्दगी में देकर थाने जाकर पाँचों व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा लिखवाया तथा मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन बाद वनरक्षक श्री कुशलपाल द्वारा अन्य छूटे हुए 14 वृक्षों की नाप तोल करने के बाद उसकी सूचना भी थाने पर दी गयी थी और वृक्षों को स्वयं लेकर गये थे मेरी सुपुर्दगी में नहीं दिया था। जो जो मेरी जानकारी में था मैंने आपको बता दिया। यही मेरा बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

तत्पश्चात मुझ विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में अन्य लोगों से जानकारी करनी चाही तो कुछ लोग गवाही से बचने की बात कहते हुए जिनसे पूछताछ कर बयान दर्ज किये जाते हैं।

S.No.(क्र.सं.) 5


a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :



135

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान गवाह श्री वासुदेव सिंह पुत्र श्री कारे नि० स्यौबा थाना मगोर्वा जनपद मथुरा उम्र 59 वर्ष मो० न० 9950422807 ने पूछने पर बताया कि साहब हमारे गांव की यह चकरोड काफी समय से कुछ दबी पड़ी थी इसको निकलवाने एवं बनवाने के लिए हमारे गांव के नेत्रपाल दिगम्बर एवं अन्य लोग काफी समय से प्रयासरत थे तथा अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे थे। गांव का रास्ता चौड़ा और सही होने पर सभी आराम रहता है हमारे खेत भी उसी चकरोड पर आगे जाकर पास ही में आ रहे थे चकरोड को जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन सिंह द्वारा अपनी निधि से मंजूर कराकर किसी ठेकेदार द्वारा बनवाया जा रहा है लेकिन हमारे गांव के कुछ लोगों ने एवं गांव भटार के रविन्द्र पुत्र प्रेम सिंह के साथ मिलकर जल्दीबाजी करते हुए जे०सी०बी० से मिट्टी चकरोड पर डलवा दी जिससे देवेन्द्र फौजदार के छोटे मोटे वृक्षों को काफी नुकसान हो गया यह इन लोगों की गलती है इन्होंने बिना परमीशन लिये पेड़ों को नुकसान कर दिया साहब मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। यही मेरा बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 6


a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :



136

House No.

(मकान संख्या) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान गवाह श्री वेदप्रकाश पुत्र महाराज सिंह नि० स्यौबा थाना मगोरा जनपद मथुरा उम्र 59 वर्ष ने पूछने पर बताया कि साहब मैं पढा लिखा नहीं हूँ और न ही गांव की राजनीती में हिस्सा लेता हूँ यह सारा कार्य राजनीती से प्रेरित होकर ही किया गया है जैसे हमारे गांव की यह चकरोड काफी समय से कुछ टबी पड़ी थी इसको निकलवाने एवं बनवाने के लिए हमारे गांव के नेत्रपाल दिगम्बर एवं अन्य लोग काफी समय से प्रयासरत थे तथा आधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे थे। गांव का रास्ता चौड़ा और सही होने पर सभी आराम रहता है हमारे खेत भी उसी चकरोड पर आगे जाकर पास ही में आ रहे थे चकरोड को जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन सिंह द्वारा अपनी निधि से मंजूर कराकर किसी ठेकेदार द्वारा बनवाया जा रहा है लेकिन हमारे गांव के कुछ लोगों ने एवं गांव भदार के रविन्द्र पुत्र प्रेम सिंह के साथ मिलकर जल्दीबाजी करते हुए जे०सी०बी० से मिट्टी चकरोड पर डलवा दी जिससे देवेन्द्र फौजदार के छोटे मोटे वृक्षों को काफी नुकसान हो गया यह इन लोगों की गलती है इन्होंने बिना परमीशन लिये पेड़ों को नुकसान कर दिया साहब मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। यही मेरा बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 7


a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :



137

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान गवाह श्री रामगोपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह नि० स्यौबा थाना मगोरा जनपद मथुरा उम्र करीब 46 वर्ष मो० न० 9871815991 ने पूछने पर बताया कि साहब मैं गांव की राजनीती में हिस्सा नहीं लेता हूँ यह सारा कार्य राजनीती से प्रेरित होकर ही किया गया है जैसे हमारे गांव की यह चकरोड काफी समय से कुछ दबी पड़ी थी इसको निकलवाने एवं बनवाने के लिए हमारे गांव के नेत्रपाल दिगम्बर एवं अन्य लोग काफी समय से प्रयासरत थे तथा अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे थे। गांव का रास्ता चौड़ा और सही होने पर सभी आराम रहता है हमारे खेत भी उसी चकरोड पर आगे जाकर पास ही में आ रहे थे चकरोड को जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन सिंह द्वारा अपनी निधि से मंजूर कराकर किसी ठेकेदार द्वारा बनवाया जा रहा है लेकिन हमारे गांव के कुछ लोगों ने एवं गांव भदार के रविन्द पुत्र प्रेम सिंह के साथ मिलकर जल्दीबाजी करते हुए जे०सी०बी० से मिट्टी चकरोड पर डलवा दी जिससे देवेन्द्र फौजदार के छोटे मोटे वृक्षों को काफी नुकसान हो गया यह इन लोगों की गलती है इन्होंने बिना परमीशन लिये पेड़ों को नुकसान कर दिया साहब मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। यही मेरा बयान है।

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (वरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

7



138

- a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य
 b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 30/12/2024
 c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):
 d) Remarks (टिप्पणियाँ):
 e) Description (विवरण):
 श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।
 f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):
 अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commeted By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 30/12/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Ram
30-12-24

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav


Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

Submitted pl

Shirish
SHO 31.12.24



139

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD5

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.):0341

Date (दिनांक):22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना):मगोरा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)

b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 31/12/2024

c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 10:00 बजे

d) End time of Investigation(जांच अंत समय): 16:30 बजे

Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) खेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोरा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोरा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

Seen

GA

CS



140

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station (पुलिस स्टेशन) :

Country (देश) :

f) Description (विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पचा नं0 4 दिनांक 30.12.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No. (क्र.सं.) 2

a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name (गवाह का नाम) :

c) Relative Name (रिश्तेदार का नाम) :

d) Age (उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :


Police Station (पुलिस स्टेशन) :

Country (देश) :

f) Description (विवरण) :

श्रीमान जी मुझ विवेचक द्वारा ठेकेदार चिरन्नीलाल गोला से उनके मो0 न0 8077841369 से सम्पर्क कर मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध बयान दर्ज कराने हेतु कहा गया तो वह आने को तैयार हो

2



141

गये और बताया कि मैं इस समय सौख में ही हूँ आप चाहे तो मैं आपके पास चौकी सौख पर ही आ जाता हूँ मेरे कहने पर वह चौकी पर उपस्थित आये जिनसे मुकदमा के सम्बन्ध में पूछताछ कर बयान दर्ज किये जाते हैं।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :


Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान ठेकेदार गवाह श्री चिरन्जीलाल पुत्र नेमीचन्द नि० मुस्तफाबाद परखम थाना फरह जनपद मथुरा मो० न० 8077841369 उम्र करीब 56 वर्ष ने पूछने पर बताया कि मैं खरन्जा रोड़ आदि बनाने की ठेकेदारी करता हूँ ग्राम स्यौबा में मन्दिर से बम्बा नहर की ओर चकरोड दूरी करीब 700 मी० पर ईट खरन्जा का प्रस्ताव जिला पंचायत जनपद मथुरा से स्वीकृत हुआ है यह ठेका मुझे ही दिया गया है परन्तु हम किसी भी साइड पर काम तभी करते हैं जब हमें लिखित में बनाने की परमीशन/कायदिश प्राप्त होता है यह कायदिश मुझे कार्यालय जिला पंचायत मथुरा द्वारा दिनांक 12.12.2024 को प्राप्त हुआ है जिसकी छायाप्रति मैं आपको अभी उपलब्ध करा दूँगा। साहब मेरे द्वारा चकरोड पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कराया गया है क्योंकि उक्त घटना के समय तक यह क्लीयर नहीं हुआ कि उक्त कार्य का ठेका मुझे ही मिलेगा लेकिन मुझे पता चला कि आपसी राजनिती के चलते द्वेष भावना पूर्वक रविन्द्र सिंह पुत्र प्रेम सिंह नि० भदार थाना मगोर्रा मथुरा द्वारा ग्राम स्यौबा के कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर जबरदस्ती बिना मेरी मर्जी के चकरोड पर जे०सी०बी० द्वारा मिट्टी डलवा दी और जे०सी०बी० से चकरोड की साइड में आने वाले पेड पौधों को बिना वन विभाग के परमीशन लिये उखडवा दिये। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो यह आदेश दिनांक 12.12.2024 को प्राप्त हुआ है और अभी मैंने कोई कार्य शुरू भी नहीं कराया है। मैं आदेश की कपी दे रहा हूँ। यही मेरा बयान है।

3



3001

152

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

Street Name

(गली का नाम) :


Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

State (राज्य) :

f) Description(विवरण) :

नकल कार्यदिश कार्यालय जिला पंचायत मथुरा पत्रांक 953/निर्माण अनु0/202425 दिनांक 12/12/24 श्री चिरंजीलाल गोला पुत्र श्री नेमीचन्द नि0 मुस्तफाबाद परखम जिला मथुरा। इस कार्यालय के पत्रांक 905/निर्माण अनु0/202425 दिनांक 10.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण जितके काम में आपके द्वारा परिपालन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गई है। आप द्वारा किए गए अनुबंध के अधीन रहते हुए पचन राज्य विल्ट आयोन योजनान्तर्गत वर्ष 202425 में प्राप्त आवंटित धनराशि के स ऑनलाईन ईनिविदा के अन्तर्गत विख मोबर्धन के ग्राम पंचायत सीगापट्टी के ग्राम श्यौबा में मन्दिर बम्बा की और ईट खरंजा कार्य हेतु स्वीकृत ऑनलाईन ईनिविदा की धनराशि रू0 23,36.127.26 40 शब्देन तेईस लाख छत्तीस हजार एक सौ सत्ताईस रू0 छब्बीस पै0) मात्र के अन्तर्गत निविदा शर्ती अनुसार कार्यदिश जारी होने के दिनोंक से तीन माह (दिनांक 10.03.2025 तक) के अन्दर प्रत्येक दश में कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। क्षेत्रीय अवर अभियंता की देखरेख मानक / तकनीकी रूप से कार्य पूर किये जाने के साथ ही प्रचलित कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व का फोटो, तथा कार्य के दौरान संचालित कार्य फोटो तथा कार्य पूर्ण होने का फोटो अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय सीमा के अमागत यदि आप द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उ0प्र0 क्षेत्र समिति / जिल पंचायत निर्माण नियमावली 1964 के सुसंगत प्राविधानों तथा समयसमय पर जारी दिशानिर्देशों में विहित आविधानों के अन्तगत आपकी देय धननाशि से कटौती सुनिश्चित किये जाने के साथ ही आगामी निविदा में भाग लेने के प्रतिबंध हेतु सक्षम स्तर पर विचारणीय होगा और इस तरह की किसी भी कार्यवाही के विरुद्ध आर पारितोषिक/छूट को थोन्य नहीं होगा। साथ ही कार्य में प्रयुक्त



(143)

सामग्री (स्टोन बैलास्ट, स्टोन ब्रिट कोर सैण्ड, फाईन सैण्ड) आदि के एमएम11 पृथक 2 रूप से समयान्तर्गत भुगतान से पूर्व लगाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में शासनादेशानुसार आपके भुगतान बिल से 6 गुना कटौती कर ली जायेगी, जिससे होने वाली क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तदुसार सम्पूर्ण तथ्यों का संज्ञान लेते हुए प्रश्नगत कार्य सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें। हस्ताक्षर अपठनीय अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत मथुरा। पृष्ठकिनः 953/निर्माण अनु0/202425 दिनांक 12.12.24 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 1. नाथ अध्यक्ष, जिला पंचायत मथुरा। 2. अभियन्ता जिला पंचायत मथुरा की तदुसार अनुपालनार्थ। 3. क्षेत्रीय अवर अभियन्ता जिला पंचायत मथुरा को इस आदेश के साथ कि उपरोक्त की दृष्टिगत निर्धारित अवधि में देवबंदार से समन्वय स्थापित कर मानक तकनीकी रूप से कार्य पूर्ण कराकर ससमय भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। हस्ताक्षर अपठनीय अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत मथुरा। 12.12.2024

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

a) Action Taken (कार्यवाही): अनूय

b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 31/12/2024

c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):


d) Remarks (टिप्पणियाँ):

e) Description (विवरण):

श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।

f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):

अनुसंधान के अंतर्गत



144


5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commeted By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)
-------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------	---

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 31/12/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):



31-12-024


Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

submitted pl.



SHO 11.1.25.


कार्यालय

जिला

पंचायत

मथुरा

165

कार्यादेश

क्रमांक 453 / निर्माण अनु0 / 2024-25

दिनांक 21/2/24


श्री विरजीलाल गोला पुत्र श्री नगीचन्द
नि0- मुस्तफाबाद, परसम,
जिला- मथुरा ।

इस कार्यालय के पत्रांक 905/निर्माण अनु0/2024-25 दिनांक 10.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण कर
जिसके क्रम में आपके द्वारा परिपालन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गई है । आप द्वारा किए गए अनुबंध / शर्तों
के अधीन रहते हुए पंचायत राज्य वित्त आयोग योजनांकृत वर्ष 2024-25 में प्राप्त / आवंटित धनराशि के सापेक्ष
ऑनलाइन ई-निविदा के अन्तर्गत वि0ख0 गोवर्धन के ग्राम पंचायत सीमापट्टी के ग्राम शीवा में मन्दिर से
बम्बा की ओर ईट खरजा कार्य हेतु स्वीकृत ऑनलाइन ई-निविदा की धनराशि रु0 23,36,127.26 पौ0 (
शब्दों में तेईस लाख छत्तीस हजार एक सौ सत्ताईस रु0 छत्तीस पौ0) मात्र के अन्तर्गत निविदा शर्तों के
अनुसार कार्यादेश जारी होने के दिनांक से तीन माह (दिनांक 10.03.2025 तक) के अन्दर प्रत्येक दशा
में कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें । वेंतीय अवर अनियन्ता की देख-रेख मानक / तकनीकी रूप से कार्य पूर्ण
किये जाने के साथ ही प्रचलित कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व का फोटो तथा कार्य के दौरान संचालित कार्य का
फोटो तथा कार्य पूर्ण होने का फोटो अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । अनिश्चित
समय सीमा के अन्तर्गत यदि आप द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त धनराशि / जिला
पंचायत निर्माण निगम/वर्ष 1984 के सुसंगत प्रविन्दा तथा समय-समय पर जारी दिश-निर्देशों से विहित
प्रक्रियाओं के अन्तर्गत आपकी देय धनराशि से कटौती सुनिश्चित किये जाने के साथ ही आगामी निविदा में योग्य
होने के प्रतिवचन हेतु स्वयं स्तर पर विचारणीय होगा और इस तरह की किसी भी कार्यवाही के विरुद्ध आप
पारलैबिक/छूट के योग्य नहीं होंगे। साथ ही कार्य में प्रयुक्त सावधि (स्टोन बलस्ट, स्टोन चिट,
कोर-सेण्ड फाईन सेंड) आदि के एम0एम0-11 पृथक-2 रूप से सभ्यान्तर्गत भुगतान से पूर्व लगाना
अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में ग्राहक/देयताधार आपके भुगतान बिल से 6 गुना कटौती कर ली
जायेगी, जिससे होने वाली क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे । तदनुसार सम्पूर्ण तथ्या का सञ्चान
होने पर प्रस्तावित कार्य सञ्चालित करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

आपर मथुरा जिलाधिकारी
जिला पंचायत, मथुरा ।
दिनांक 21/2/24

पत्रांक 753 / निर्माण अनु0 / 2024-25
प्रतिनिधि, निर्माण विभाग को सूचना एवं आदेश का कार्यवाही हेतु प्रेषित
1. ग्राम अन्तर्गत जिला पंचायत-मथुरा ।
2. आयुक्त, जिला पंचायत, मथुरा को तदनुसार अनुपालनाय ।
3. वेंतीय अवर अनियन्ता, जिला पंचायत-मथुरा को इस आदेश के साथ ही उपरोक्त के वृत्तिगत
निर्धारित अचर में उक्त कार्य से सम्बन्ध स्थापित कर मानक / तकनीकी रूप से कार्य पूर्ण करवाकर
उत्समय भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

आपर मथुरा जिलाधिकारी
जिला पंचायत, मथुरा ।



146

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD6
Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0341 Date (दिनांक): 22/11/2024
District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा
P.S. (थाना): मगोरा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)
b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 02/01/2025
c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 09:40 बजे
d) End time of Investigation (जांच अंत समय): 12:00 बजे
Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):
संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, बादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोरा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पराज पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0 गण ग्राम श्योबा थाना मगोरा जनपद मथुरा।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

- S.No.(क्र.सं.) 1
a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य
b) Witness Name (गवाह का नाम) :
c) Relative Name (रिश्तेदार का नाम) :
d) Age (उम्र) :
e) Address (पता) :

icen

Handwritten signature

004



147

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पचा नं0 5 दिनांक 31.12.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :


Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त की विवेचात्मक कार्यवाही के अनुक्रम में मुझ विवेचक को उच्चाधिकारीगणों द्वारा मौखिक आदेशित कर मय हमराह के थाना हाजा से खाना होकर मुकदमा

2



(148)

उपरोक्त के नामित अभियुक्तगण (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदर थाना मगोरा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोरा जनपद मथुरा हस्व तलबिदा थाना हाजा पर उपस्थित हुए। मुझ विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त के बारे में बताया तो कहने लगे साहब हमें इस मुकदमे की पूरी जानकारी है हम आपका पूरा सहयोग करने को तैयार है। श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में सजा का प्रावधान 07 वर्ष से कम है। अभियुक्तगण उपरोक्त विवेचना में सहयोग कर रहे है तथा हस्वइंदुल तलब समय से पुलिस व अदालत के समक्ष पेश होंगे। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 35(3) बीएनएसएस में निहित प्रावधानो से अवगत कराते हुये बयान अंकित करते हुये नोटिस तामील कराये गये। तामील शुदा नोटिस सलग केश डायरी है।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया): अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम):

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम):

d) Age(उम्र):

e) Address (पता):

House No.

(मकान संख्या):

Street Name

(गली का नाम):

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर):

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल):

District (ज़िला):

State (राज्य):

Pincode (पिन संख्या):

Police Station(पुलिस स्टेशन):

Country(देश):

f) Description(विवरण):

बयान अभियुक्त रवेन्द्र पुत्र प्रेम सिंह नि0 ग्राम भदर थाना मगोरा जिला मथुरा उम्र करीब 43 वर्ष मो0 न0 9568917071, 9639908116 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा।

3



149

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान अभियुक्त सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुख्तयार सिंह नि0 ग्राम स्यौबा थाना मगोर्रा जिला मथुरा उम्र करीब 58 वर्ष मो0 न0 9720463643 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :



150

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान अभियुक्त पुष्पराम उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल नि० ग्राम स्यौबा थाना मगोरा जिला मथुरा उम्र करीब 23 वर्ष मो० न० 6396857795 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा ।..... पुष्पराम उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल नि० ग्राम स्यौबा थाना मगोरा जिला मथुरा उम्र करीब 23 वर्ष मो० न० 6396857795 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा ।

S.No.(क्र.सं.) 6

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य


b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :


e) Address (पता) :

5



(151)

- House No. (मकान संख्या) :
- Street Name (गली का नाम) :
- Colony/Locality/Area (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :
- Village/Town/City (ग्राम/नगर/शहर) :
- Tehsil/Block/Mandal (तहसील/ब्लॉक/मंडल) :
- District (ज़िला) :
- State (राज्य) :
- Pincode (पिन संख्या) :
- Police Station (पुलिस स्टेशन) :
- Country (देश) :
- f) Description (विवरण) :
- बयान अभियुक्त नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह नि० ग्राम स्यौबा थाना मगोरा जिला मथुरा उम्र करीब 50 वर्ष मो० न० 8393937580 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा ।
- S.No.(क्र.सं.) 7
- a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य
- b) Witness Name (गवाह का नाम) :
- c) Relative Name (रिश्तेदार का नाम) :
- d) Age (उम्र) :
- e) Address (पता) :



(152)

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान अभियुक्त दिगम्बर सिंह पुत्र हरीसिंह नि 0 ग्राम स्यौबा थाना मगोरा जिला मथुरा उम्र करीब 37 वर्ष मो 0 न 0 9760902816 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा ।

S.No.(क्र.सं.) 8

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :



153

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

इसके उपरान्त मुकदमा उपरोक्त के नामित अभिगणों को धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 का नोटिस तामील कराकर एवं बयान दर्ज कर थाना हाजा से सादर लखसत किया गया।

S.No.(क्र.सं.) 9

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : साक्ष्य विवरण

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में सभी विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। घटना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है।

8



(154)

S.No.(क्र.सं.) 10

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अंतिम प्रतिवेदन/आरोप पत्र

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :


Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी वादी श्री कुशलपाल वन रक्षक (बीट मगोर्ग) पुत्र श्री साहब सिंह नि० दौलतपुर वसाऊ थाना नौहड़ील जनपद मथुरा हाल तैनात वन संरक्षक गोवर्धन जनपद मथुरा की हिन्दी लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 22.11.2024 को मु०अ०सं० 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि० 1976 बनाम (1) रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि० गांव भदार थाना मगोर्ग जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि०गण ग्राम श्यौबा थाना मगोर्ग जनपद मथुरा के विरुद्ध पंजीकृत होकर हस्व आदेश प्रभारी निरीक्षक महोदय के विवेचना मुद्दा उ०नि० द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गयी। दौरान विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन बरामदगी, अवलोकन सुपुर्दगीनामा आदि साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त के अभि०गण (1) रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि० गांव भदार थाना मगोर्ग जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्परज पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि०गण ग्राम श्यौबा थाना मगोर्ग जनपद मथुरा के विरुद्ध जुर्म धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि० 1976 का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभि०गण (1) रविन्द्र (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश (3) नेत्रपाल (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्परज (5) दिगम्बर उपरोक्त का चालान जरिये आरोप पत्र संख्य 01/2025 दिनांक 02.01.2025 माननीय न्यायालय किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि सबूत तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

9





3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

- a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य
b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 02/01/2025
c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):
d) Remarks (टिप्पणियाँ):
e) Description (विवरण):
श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है। विवेचना समाप्त।

- f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):
अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 02/01/2025

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Ram
02-01-2025

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav


Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

submitted pl.

M. Singh
SHO | 3.1.25



पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं0०२३411०२4 अन्तर्गत धारा 4/10 वन (नं०) 1974 दिनांक 22-11-०२4
 थाना मन्डोली रो0आम संख्या व समय 056-22:19 वन थाना मन्डोली जनपद
 मन्डोली नाम अभियुक्त/अभियुक्ता रविन्द्र सिंह पुत्र/पुत्री/प्रली पद्म सिंह निवासी
 ग्राम/मोहल्ला मन्डोली थाना मन्डोली जनपद मन्डोली

मो0न0 ०२६८९१७०७ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना मन्डोली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 3411०२4 दिनांक 22-11-०२4 धारा 4/10 वन (नं०) 1974 के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्यो और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये युक्ति-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 02.11.०२5 को समय 09:00 AM तक अपराध/पूर्वाह थाना/कार्यालय मन्डोली पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यदि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निम्नांकित सभी शर्तों व निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।

ख- आप मामले में साक्ष्यों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देंगे।

घ- जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे।

च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुँचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे।

छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रिया प्रस्तुत करेंगे।

ज- आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।

झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमित नहीं देंगे।

ञ- कोई अन्य शर्तें जो मामले के तथ्यों के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/एसएचओ द्वारा लगाई जा सकती हैं।

इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है।

भारदासक अधिकारी का नाम

पद नाम/मुहर

थाना


जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 02.11.०२5 के अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 02.11.०२5 समय 9:00 से 10:00 तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे गये रजिस्टर में नोटिस की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जब्ती ज्ञापन/प्रस्तुति ज्ञापन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया गया है। नोटिस प्राप्त करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पान करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)



विवेचक के हस्ताक्षर

रविन्द्र सिंह

R Singh

9568917071

Ravi Singh

02/11/25

रविन्द्र सिंह

थाना मन्डोली

मन्डोली

157

भारत सरकार
Government of India

श्री. रविन्द्र
Shri Ravindra

जन्म तिथि / DOB : 11/03/1961.
पुरुष / Male



XXXX XXXX 4921

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: S/O: प्रेम सिंह, भादर, सोन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, 281123
Address: S/O: Prem Singh, Bhadar, Son, Mathura, Uttar Pradesh, 281123

XXXX XXXX 4921

1947 300 1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

R. Singh

9568917071

9639908116



158

पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं0 341/024 अन्तर्गत धारा 35(3) के अन्तर्गत धारा 35(3) के अन्तर्गत दिनांक 22-11-2024
 थाना अगोरा रो0आम संख्या व समय 56-22-1976 थाना अगोरा जनपद
 नाम अभियुक्त/अभियुक्ता ने0ज0न सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी शशाङ्क निवासी
 ग्राम/मोहल्ला (मोती लीला पट्टा) थाना अगोरा जनपद अगोरा
 मो0न0 0393937580 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना अगोरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 341/024 दिनांक 22-11-2024 धारा 35(3) के अन्तर्गत धारा 35(3) के अन्तर्गत के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्य और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये युक्ति-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 02.11.2025 को समय 9:00 के बीच अपराह्न/पूर्वाह्न थाना/कार्यालय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यदिपि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निश्चित सभी शर्तों व निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।

ख- आप मामले में साक्ष्यों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देंगे।

घ- जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे।

च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी भी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे।

छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रियां प्रस्तुत करेंगे।

ज- आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।

झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमति नहीं देंगे।

ञ- कोई अन्य शर्त जो मामले के तथ्यों के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/एचएचओ द्वारा लगाई जा सकती है।

इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है।

भारदासक अधिकारी का नाम

पद नाम/मुहर

थाना

जनपद


पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 21.11.2024 के अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 21.11.2024 समय 9:00 से 10:00 तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे गये रजिस्टर में नोटिस की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जब्ती शोपन/प्रस्तुति शोपन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया गया है। नोटिस प्रसार करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पालन करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)

ने0ज0न सिंह
 8393937580



21/11/25
 रविशंकर सिंह
 धाम - अगोरा
 अगोरा

159

पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं0 341/1-24 दिनांक 23-11-2024
 थाना मंगोरी रो0आम संख्या व समय 05:11-29:19 थाना मंगोरी जनपद
 प्रयुक्त नाम अभियुक्त/अभियुक्ता रवि कुमार शर्मा पुत्र/पुत्री/पत्नी सुश्रिता देवी निवासी
 ग्राम/मोहल्ला (मंगोरी, जिला) थाना मंगोरी जनपद मंगोरी
 मो0न0 9720463043 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना मंगोरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 341/1-24 दिनांक 23-11-2024 धारा 35(3) के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्यो और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न-पूछने के लिये युक्ति-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 21.11.2025 को समय 9.00 बजे अपरान्ह/पूर्वान्ह थाना/कार्यालय मंगोरी पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यदिपि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निम्नांकित सभी शर्तों व निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगे।
 - आप मामले में साक्ष्यों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेगे।
 - आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या बचन नहीं देगे
 - जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगे
 - जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होगे और अन्वेषण में सहयोग करेगे।
 - आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेगे।
 - आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रिया प्रस्तुत करेगे।
 - आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेगे।
 - आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमित नहीं देगे।
 - कोई अन्य शर्तें जो मामले के तथ्यों के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/ईएचओ द्वारा लगाई जा सकती है।
- इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है।

भारधासक अधिकारी का नाम
 पद नाम/मुहर
 थाना
 जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 02.11.2025 के अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 02.11.2025 समय 9.00 से 10.00 तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे गये रजिस्टर में नोटिसों की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जब्ती ज्ञापन/प्रस्तुति ज्ञापन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जम्मा कर लिया गया है। नोटिस प्राप्त करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पालन करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)

रवि कुमार शर्मा

9720 46 30 43

विवेचक के हस्ताक्षर

Ram
 02/11/25
 रवि कुमार शर्मा
 थाना - मंगोरी
 मंगोरी



160

पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं0 34/1/2024 अन्तर्गत धारा 4/10 UP गौरीगंज परीक्षा परीक्षा दिनांक 22/11/2024
 थाना भगौरा रो0आम संख्या व समय 25/11/2024
 भगौरा नाम अभियुक्त/अभियुक्ता 056-2271/पुष्प थाना भगौरा जनपद
 ग्राम/मोहल्ला भगौरा वि.गो.प.771 थाना भगौरा जनपद भगौरा निवासी
 मो0न0 6396857795 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना भगौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 34/1/2024 दिनांक 22-11-2024 धारा 4/10 के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्य और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये व्यक्ति-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 02/11/2025 को समय 9.00 AM अपराह्न/पूर्वाह्न थाना/कार्यालय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
 यदि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निर्दिष्ट सभी शर्तों व निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

- क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।
 ख- आप मामले में साक्ष्यों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
 ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देंगे।
 घ- जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।
 ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे।
 च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे।
 छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रियां प्रस्तुत करेंगे।
 ज- आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।
 झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमित नहीं देंगे।
 ञ- कोई अन्य शर्त जो मामले के तथ्यों के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/ईएचओ द्वारा लगाई जा सकती है।
 इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है।

भारदासक अधिकारी का नाम
 पद नाम/मुहर
 थाना
 जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 02/11/2025 के अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 06/11/2025 समय 9.00 AM से 12.00 PM तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे गये रजिस्टर में नोटिस की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जब्त/शोपन/प्रस्तुति शोपन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया गया है। नोटिस प्रेषित करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पालन करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)

पुष्प राय

6396857795

विदेचक के हस्ताक्षर

Ravi S.
02/11/2025

रवि कुमार

थाना भगौरा

भगौरा



पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं00341/024 अन्तर्गत धारा 35(3) के अन्तर्गत दिनांक 22-11-024

थाना मगोरी रो0आम संख्या व समय 05:00-22:11:00 थाना मगोरी जनपद
मथुरा नाम अभियुक्त/अभियुक्ता डि.ए.ए. सि.ई. पुत्र/पुत्री/पत्नी हरि सिंह निवासी
ग्राम/मोहल्ला 6.मोती खिगा 5771 थाना मगोरी जनपद मथुरा

मो0न0 926090281C भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना मगोरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 341/024 दिनांक 22-11-024 धारा 35(3) के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्यो और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये युक्ति-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 02/11/2024 को समय 9:00 बजे अपरोह/पूर्वाह्न थाना/कार्यालय मगोरी पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यद्यपि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निम्नांकित सभी शर्तों व निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।

ख- आप मामले में साक्ष्यों के साथ किसी तरह का छेउछाउ नहीं करेंगे।

ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देंगे।

घ- जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे।

च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे।

छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रियां प्रस्तुत करेंगे।

ज- आप सब अपराधों को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।

झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमित नहीं देंगे।

ञ- कोई अन्य शर्त जो मामले के तथ्यों के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/ईंफंएचओ द्वारा लगाई जा सकती है।

इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है।

भारद्वासक अधिकारी का नाम

पद नाम/मुहर

थाना

जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 02/11/2024 के अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 02/11/2024 समय 9:00 से 10:00 तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे गये रजिस्टर में नोटिसी की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जल्दी ज्ञापन/प्रस्तुति ज्ञापन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जब्द कर लिया गया है। नोटिस प्रपात करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पालन करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)

9760902816



विवेचक के हस्ताक्षर

Ram 02-11-2024

विवेचक के हस्ताक्षर
थाना - मगोरी
मथुरा

163




जो गणपति

NP
83 93 93 75 80




169



विगम्वर सिंह
9760902816




165




 पुष्पराज सिंह
 Pushpraj Singh
 जन्म तिथि / DOB: 20/03/2001
 पुरुष / Male
 XXXX XXXX | 3028
 मेरा आधार, मेरी पहचान

पुष्पराज

6396 85 77 95




 नैराज सिंह
 Neeraj Singh
 पता: आत्मज: नैराज सिंह, स्योबा, सिंग पट्टी, सोनध,
 मथुरा, उत्तर प्रदेश, 281123
 Address: S/O: Neeraj Singh, syoba, Singa
 Patti, Sonidh, Mathura, Uttar Pradesh, 281123
 XXXX XXXX | 3028
 1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in



166

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

FINAL FORM/ REPORT

अंतिम फार्म/रिपोर्ट

(Under Section 193 B.N.S.S.)

(धारा 193 बी एन एस एस के अन्तर्गत)

IN THE COURT OF : जे0एम0 प्रथम महोदय (के न्यायालय में)

1. District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना): मगोर्वा

Year(वर्ष): 2024

FIR No.(प्र.सू.रि.सं.):0341

Date(दिनांक): 22/11/2024

2. Final Report / Charge Sheet No.(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.): 01

3. Date(दिनांक): 02/01/2025

4. S.No. Acts(अधिनियम)

Sections(धाराएँ)

1 उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 4

2 उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 10

5. Type of Final Form/Report आरोप पत्र

(अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार):

6. If FR Unoccurred

(यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):

7. If Charge sheet

मूल

(यदि आरोप पत्र दाखिल किया):

1



167

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)8. Name of I.O. at the time of charge sheet
(आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम):

Ravindra Kumar Yadav

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 972140517

9. (a) (क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाले का नाम):
कुशलपाल वनसंरक्षक

(b) (ख) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during
investigation and relied upon:(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया
हो):

S. No	Property Description	Estimated Value (in Rs.)	Police Station Property Register No.	From whom/ where revered or seized	Disposal
(क्र. सं.)	(सम्पत्ति का विवरण)	(अनुमानित मूल्य (रु.में))	(थाना सम्पत्ति रजिस्टर सं.)	(कहाँ/किससे जब्त अथवा बरामद की गई)	(निराकरण)

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों
का विवरण):

S. No. (क्र. सं.): 1

(i) Name रविन्द्र

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Relative's Name (रिश्तेदार का नाम):

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1982

(iv) Sex (लिंग): पुरुष


(v) Nationality (राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No. (पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

2



168

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation (व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	गाँव भदार, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	गाँव भदार, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest (गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):


(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections (अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties (जमानतियों का ब्यौरा):



169

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जांच कार्य -V)

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
--------------------	---------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं.

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 2

(i) Name सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रक

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): मुख्त्यार सिंह

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1967

(iv) Sex(लिंग): पुरुष


(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

4



170

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation (व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम श्यौबा भाग सीगापट्टी, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम श्यौबा भाग सीगापट्टी, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest (गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections (अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties (जमानतियों का ब्यौरा):



171

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फॉर्म -V)

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
-----------------	------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx) Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 3

(i) Name नेत्रपाल

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1975

(iv) Sex(लिंग): पुरुष


(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

6



(172)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	श्यौबा भाग सीगांपट्टी, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	श्यौबा भाग सीगांपट्टी, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

7



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फॉर्म -V)

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
-----------------	------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx) Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 4

(i) Name पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पराज

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): नेत्रपाल

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 2002

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

8



174

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	श्यौबा भाग सींगापट्टी, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	श्यौबा भाग सींगापट्टी, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):



(15)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फॉर्म -V)

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
-----------------	------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references
(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx) Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 5

(i) Name दिगम्बर

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): हरी सिंह

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1988

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

10



176

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	श्यौबा भाग सींगापट्टी, मगोर्ग, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	श्यौबा भाग सींगापट्टी, मगोर्ग, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):



177

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
--------------------	---------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):(xx) Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

12. Particulars of accused persons - not charge sheeted (suspect)

(आरोप पत्र दाखिल न किए गए (संदिग्ध) अभियुक्तों का विवरण):

13. Particulars of witnesses to be examined (पूछताछ किए जाने वाले गवाहों का विवरण):

S. No. (क्र. सं.)	Name/ Mob No (नाम/ मोब नं०)	Father's/ Husband's name (पिता/पति का नाम)	Date/ Year of birth (जन्म तिथि /वर्ष)	Occupat ion (व्यवसाय)	Address (पता)	Type of evidence to be tendered (प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार)
1	कुशलपाल वनसंरक्षक/ 7695373793		1979		वर्तमान पता: गोवर्धन रेन्ज, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: गोवर्धन रेन्ज, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	शिकायतकर्ता

12



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

2	श्री राधेश्याम वन रक्षक / 8791315814	पिता: श्रीराम		वर्तमान पता: वन संरक्षक गोवर्धन, गांव भैंसा, रिफाइनरी, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: वन संरक्षक गोवर्धन, गांव भैंसा, रिफाइनरी, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य
3	श्री चन्द्रभान / 9410446249	पिता: स्व० भवंर सिंह	1957	वर्तमान पता: ग्राम स्यौबा, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम स्यौबा, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
4	श्री वासुदेव सिंह / 9950422807	पिता: श्री कारें	1966	वर्तमान पता: स्यौबा थाना मगोर्वा, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: स्यौबा थाना मगोर्वा मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
5	श्री वेदप्रकाश / 9871815991	पिता: महाराज सिंह	1966	वर्तमान पता: स्यौबा थाना मगोर्वा, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: स्यौबा थाना मगोर्वा मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
6	श्री रामगोपाल / 9871815991	पिता: श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह	1979	वर्तमान पता: स्यौबा थाना मगोर्वा, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: स्यौबा थाना मगोर्वा मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
7	श्री चिस्नीलाल / 8077841369	पिता: नेमीचन्द	1969	वर्तमान पता: मुस्तफाबाद परखम थाना फरह, फरह, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: मुस्तफाबाद परखम थाना फरह, फरह, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
8	हे०का० 1550 गिरजेश कुमार पी०एन०ओ० न० 062241410 / 9411020191	पिता: श्री लज्जा राम		वर्तमान पता: नगला सिंहमन थाना सिरसागंज, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: नगला सिंहमन थाना सिरसागंज, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत	अनुसंधान साक्षी
9	उ०नि० रविन्द्र कुमार सिंह पी०एन०ओ० न० 972140517 / 9412563927	पिता: श्री राम कुमार सिंह		वर्तमान पता: हाल तैनात थाना मगोर्वा, ग्राम ताजपुर माफी थाना कटघर, कटघर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: हाल तैनात थाना मगोर्वा, ग्राम ताजपुर माफी थाना कटघर, कटघर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत	अनुसंधान साक्ष्य





N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

14. If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken
u/s 182/211 I.P.C / 217/248 B.N.S :

(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 / 217/248 बी एन एस के
अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15. Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):

श्रीमान जी वादी श्री कुशलपाल वन रक्षक (बीट मगोर्वा) पुत्र श्री साहब सिंह नि० दौलतपुर बसाऊ थाना
नौहड़ोल जनपद मथुरा हाल तैनात वन संरक्षक गोवर्धन जनपद मथुरा की हिन्दी लिखित तहरीर के
आधार पर दिनांक 22.11.2024 को मु०अ०सं० 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि०
1976 बनाम (1) रविन्द पुत्र प्रेमसिंह नि० गांव भदार थाना मगोर्वा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो
पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र
हरी सिंह नि०गण ग्राम श्यौबा थाना मगोर्वा जनपद मथुरा के विरुद्ध पंजीकृत होकर हस्व आदेश प्रभारी
निरीक्षक महोदय के विवेचना मुझ उ०नि० द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गयी। दौराने विवेचना बयान
वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन बरामदगी, अवलोकन सुपुर्दगीनामा आदि
साक्ष्य संकलन से मुकदसा उपरोक्त के अभि०गण (1) रविन्द पुत्र प्रेमसिंह नि० गांव भदार थाना मगोर्वा
जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ
गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्परज पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि०गण ग्राम श्यौबा थाना
मगोर्वा जनपद मथुरा के विरुद्ध जुर्म धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि० 1976 का पर्याप्त साक्ष्य
उपलब्ध है। अतः अभि०गण (1) रविन्द (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश (3) नेत्रपाल (4)
पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्परज (5) दिगम्बर उपरोक्त का चालान जरिये आरोप पत्र संख्य 01/2025 दिनांक
02.01.2025 माननीय न्यायालय किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि सबूत तलब
फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।



180

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

17. Refer Notice served नहीं
(जारी किए नोटिस):

Date(दिनांक):

(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18. Despatched on(प्रेषण की तिथि): 02/01/2025

19. No. of enclosures(संलग्नको की संख्या): 2

20. List of enclosures : As annexed (संलग्नको की सूची):

IIF1.pdf, IIF2.pdf

21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not: (नाम और पता अभियुक्त, जो चालान नहीं किये गए हैं/चाहे पकड़े गए हो या नहीं पकड़े गए हों):

21क. Suspected accused name, address and age / संदिग्ध अभियुक्त का नाम, पता और आयु :

21ख. The absconding accused name, address and age / फरार अभियुक्त का नाम, पता और आयु :

22. Names and addresses of the accused, who have been challaned (अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालान किया गया हो) :

22क. Name, address and age of the accused on bail (जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त का नाम, पता और आयु) :

22ख. Mafarur accused name, address and age / सफरर अभियुक्त का नाम, पता और आयु :

23. Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not. (माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं।) :

24. Result of trial (मुकदमे का परिणाम) :

25. Complete Punishment (पूर्ण सजाएँ) :

25क. Date (दिनांक) :

25ख. Place (स्थान) :

25ग. Punishment (सजा) :

15



(18)

N.C.R.B (एन. सी. आर. बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जांच फार्म - V)

3.1.26

Forwarded by Officer in charge
(प्रभारी अधिकारी द्वारा अवेजित)
Name (नाम): PS Magorra
Rank (पद): I (Inspector)
PNO/CUG No. 9454403945
पीएनओ/सीयूजी सं: 9454403945

Ravi
2.01.025

Signature of investigating Officer submitting
final report/charge sheet
(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जांच
अधिकारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): Ravindra Kumar Yadav
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
PNO/CUG No. 972140517
पीएनओ/सीयूजी सं: 972140517


to
ce

31/1/25

cos



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर मूल आवेदन संख्या 1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के अनुलान में कार्यालय प्रभागीय निदेशक के पत्रांक 4115/35-3 दिनांक 11.03.2025 से गठित समिति द्वारा दिनांक 18.03.2025 को उक्त प्रकरण में जब्त किये गये प्रकाष्ठ के निरीक्षण के फोटोग्राफ्स -



कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा।

पत्रांक 4612/35-3

मथुरा, दिनांक

11/04/2025.

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मथुरा।

विषय :-

ग्राम श्योबा भाग सींगा पट्टी में चकरोड़ के किनारे विभिन्न प्रजाति के 41 वृक्ष एवं 49 झाड़ियों को अवैध रूप से काटे जाने पर दोषियों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर ओ0ए0सं0-1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम उ0प्र0 राज्यादि।

उपरोक्त विषयगत पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 21.11.2024 व दिनांक 08.12.2024 को ग्राम श्योबा भाग सींगा पट्टी में चकरोड़ के किनारे 41 वृक्ष एवं 49 झाड़ियों का पातन किया गया है। जिससे पर्यावरण को भारी मात्रा में क्षति पहुँची है। इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में याची श्री देवेन्द्र फौजदार द्वारा मूल आवेदन सं0-1400/2024 दाखिल की गयी है। उक्त मूल आवेदन में याची द्वारा आपको भी प्रतिवादी सं0-2 बनाया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय क्षति के लिये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत यथा आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। कृपया उपरोक्त प्रकरण में आपके द्वारा की गयी कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

पत्रांक / दिनांकित।

1-प्रतिलिपि-वन संरक्षक आगरा वृत्त, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रतिलिपि-जिलाधिकारी, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3-प्रतिलिपि-उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

